

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL****PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI****Original Application No. 985/2019****With****Original Application No. 986/2019****With****Original Application No. 528/2023****IN THE MATTER OF:****In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh****With****In Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh****With****News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village****INDEX**

<b>S.NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO.</b>
1.	REPLY ON BEHALF OF THE PRINCIPAL SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, UTTAR PRADESH	7-29
2.	<b><u>ANNEXURE-1.</u></b>	30-32

	A copy of Letter No. D/2931/Na.A./Adhi. Abhi(Pro)/24-25 dated 10.01.2025 from the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Kanpur Nagar, regarding Ganga Ghat cleaning	
3.	<b><u>ANNEXURE-2.</u></b> A copy of the bioremediation measures document for specified drains (with third-party analysis protocols)	33-59
4.	<b><u>ANNEXURE-3.</u></b> A copy of Letter No. 1228-31/J.K./2024 dated 31.12.2024 from the Director, J.K. Cancer Hospital, showing daily biomedical waste disposal and free provisions for patients.	60
5.	<b><u>ANNEXURE-4.</u></b> A copy of the Letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 from Member Secretary, UPPCB	61-63
6.	<b><u>ANNEXURE-5.</u></b> A copy of the Action Taken Report on Environmental Compensation (Rs. 9,45,68,000/-) imposed on CETP/STP operators at Jajmau, Kanpur	64-219
7.	<b><u>ANNEXURE-6.</u></b> A copy of the 20 MLD CETP (Jajmau) process flow chart (installed under the National Mission for Clean Ganga)	220
8.	<b><u>ANNEXURE-7.</u></b> A copy of Letter No. Jal/A.A.-3/D-3588/Sewer Samasya/2024-25 dated 08.01.2025 regarding damage and repair of the sewer line in Ward 14, Juhi Baburiya.	221-228
9.	<b><u>ANNEXURE-8.</u></b>	

	A copy of Letter No. 1958/SA-147/2024 dated 17.12.2024 from the Regional Officer, UPPCB, Kanpur Nagar, directing medical camps for chromium/mercury detection.	229-230
10.	<b><u>ANNEXURE-9.</u></b> A copy of the Letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 from Member Secretary, UPPCB	231-233
11.	<b><u>ANNEXURE-10.</u></b> A copy of Table-3.3, serial no. 4c, from the DPR by M/s ERM showing lesser chromium contamination in Khanchandpur.	234
12.	<b><u>ANNEXURE-11.</u></b> A copy of the year-wise Cr(VI) groundwater data (14 locations in Garhampur, Shivnathpurwa, Khanchandpur) exceeding BIS norms.	235-241
13.	<b><u>ANNEXURE-12.</u></b> A copy of Letter No. 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26.05.2022 constituting a Sub-Committee to oversee chromium remediation at Khanchandpur, Rania	242-243
14.	<b><u>ANNEXURE-13.</u></b> Copies of MoUs with TSDF operators (M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd. and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi) for scientific disposal of chromium waste.	244-249
15.	<b><u>ANNEXURE-14.</u></b> A copy of the 09.12.2022 order from ADM(E), Kanpur Dehat, deputing staff for on-site supervision (including details of www.hwms.co.in).	250

16.	<b><u>ANNEXURE-15.</u></b> Copies of 23.08.2024 work orders to TSDF operators for disposing ~6,000 MT of leftover chromium waste in Umran.	251-252
17.	<b><u>ANNEXURE-16.</u></b> A copy of letter No. 1424/R-130/2025 dated 20.01.2025 from District Magistrate , Kanpur Dehat	253-282
18.	<b><u>ANNEXURE-17.</u></b> A copy of the Draft Action Plan (RO/Ultra/Nano-Filtration, Biotechnology) for chromium remediation.	283-296
19.	<b><u>ANNEXURE-18.</u></b> Copies of 17.01.2025 show-cause notices to three industries for violating ash disposal guidelines.	297-302
20.	<b><u>ANNEXURE-19.</u></b> A copy of Letter No. ka.de./Mu.Chi.A./NGT/Swasthya Pari./Adkya/2025/6442 dated 16.01.2025 from the CMO, Kanpur Dehat, on chromium/mercury testing and medical camps in Khanchandpur.	303-319
21.	<b><u>ANNEXURE-20.</u></b> A copy of the UPPCB's survey on the Noon River in Kanpur Dehat (monsoonal flow, ZLD industries).	320-328
22.	<b><u>ANNEXURE-21.</u></b> Copies of quarterly monitoring reports at TSDF sites in Kumbhi (M/s UP Waste Management Project, M/s Bharat Oil & Waste Management) confirming permissible levels of chromium, arsenic, and lead.	329-341

23.	<p><b><u>ANNEXURE-22.</u></b></p> <p>A copy of the Letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 from Member Secretary, UPPCB</p>	342-343
24.	<p><b><u>ANNEXURE-23.</u></b></p> <p>Copies of letters dated 03.01.2025 and 10.01.2025 (Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, and CMO, Fatehpur) on health camps, ash disposal actions, and local industries' notices in Gudhrauli, Fatehpur.</p>	344-346
25.	<p><b><u>ANNEXURE-24.</u></b></p> <p>A copy of Letter No. G 01322/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 from the Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, seeking Jal Nigam's measures for potable water in Gudhrauli.</p>	347-348
26.	<p><b><u>ANNEXURE-25.</u></b></p> <p>A copy of Letter No. 90/M-21/01 dated 09.01.2025 from the Executive Engineer, Jal Nigam (Rural), Fatehpur, confirming water supply in Gudhrauli and Abhaypur under local Gram PayjalYojnas.</p>	349
27.	<p><b><u>ANNEXURE-26.</u></b></p> <p>A copy of Letter No. G 01323/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 from UPPCB, Prayagraj, directing the SDM, Bindki, to prevent new construction on chromium-affected land.</p>	350-351

28.	<b><u>ANNEXURE-27.</u></b>  A copy of Letter No. H18707/C-2/NGT-654/24 dated 16.10.2024 from UPPCB engaging CSIR-IITR Lucknow (at Rs. 47,20,000/-) to survey chromium in Gudhrauli, with 64 samples collected on 11.01.2025.	352
-----	--	-----

Through



Date: 19.01.2025

Place: New Delhi

**PRIYANKA SWAMI**  
STANDING COUNSEL FOR STATE, UTTAR PRADESH  
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014  
E-mail: [advpriyankaswami@gmail.com](mailto:advpriyankaswami@gmail.com)

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 985/2019

With

Original Application No. 986/2019

With

Original Application No. 528/2023



**IN THE MATTER OF:**


**In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh**

With

**In Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh**

With

**News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village"**



**REPLY ON BEHALF OF THE PRINCIPAL SECRETARY, ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE, UTTAR PRADESH.**

I, Anil Kumar S/o Shri Late Ramesh Chandra Meena, aged about 50 years, presently posted as Principal Secretary, Environment, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.
2. That the accompanying Reply has been drafted by our counsel upon my instructions.
3. That the contents of the accompanying Reply are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.
4. It is respectfully submitted that the present issues pertain to the failure to scientifically handle and dispose of chromium dumps at Rania, Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Rakhi Mandi, Gudhrauli, Fatehpur, and also to the continuing water pollution reportedly caused by tanneries discharging untreated and partially treated industrial effluents, resulting in industrial pollution in the aforementioned districts and adversely affecting water sources.
5. It is respectfully submitted that the Learned Amicus Curiae, on 14.08.2024, sought permission to visit the affected area and accordingly visited the Districts of Kanpur Dehat, Kanpur Nagar, and Fatehpur. Subsequently, the Learned Amicus Curiae submitted an Interim Report on 26.11.2024.

That it is respectfully submitted that by its Order dated 27.11.2024, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct the



Respondent on behalf of the State of Uttar Pradesh to file its response to the Interim Report, supported by an affidavit, and to appear virtually on the next date of hearing. It is further submitted that the Respondent herein was impleaded on the last date of hearing, and accordingly, the answering Respondent directed the officials of concerned districts to submit a report. Accordingly, the response is being filed.

7. Hence, the present affidavit is being filed in compliance with the aforementioned Order. The State's response to the Interim Report submitted by the Learned Amicus Curiae is set forth as follows:

**A. RESPONSE OF ISSUES PERTAINING TO KANPUR NAGAR AND ITS COMPLIANCE**

Regarding extent of pollution in Atal Ghat Nawabganj, Kanpur Nagar and sewage and solid trash including plastic in Gola Ghat drain and its clogging



It is pertinent to note that the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Kanpur Nagar vide Letter No. D/2931/Na.A./Adhi. Abhi(Pro)/24-25 dated 10.01.2025, has informed that cleaning of the Ganga Ghats—namely Atal Ghat, Sasaiya Ghat, Guptar Ghat, Bhagwat Das Ghat, Siddhanath Ghat, Bhairav Ghat, Rani Ghat, Magazine Ghat, Hospital Ghat, Parmar Ghat, Baba Ghat, Shyam Ghat, and Kalighat is regularly carried out by the Health Department under the Municipal Corporation. The Zonal Sanitation Officers of Zones 1, 2, and 4, Municipal Corporation

Kanpur, have submitted relevant documents concerning the cleaning of Ganga Ghats, waste collection, and geo-tagged photographs. A copy of Letter No. D/2931/Na.A./Adhi. Abhi(Pro)/24-25 dated 10.01.2025 from the Municipal Commissioner, Nagar Nigam Kanpur Nagar, regarding regular cleaning at Ganga Ghats, along with documents on waste collection and geo-tagged photographs, is filed herewith and marked as **ANNEXURE 1**.

9. That it is respectfully submitted that, further, the Municipal Commissioner vide his letter dated 10.01.2025 has informed that in pursuance of the directions of this Hon'ble Tribunal, the Government of Uttar Pradesh has undertaken measures for sewage treatment using bioremediation in seven (7) untapped drains (Rani Ghat Nala, Golaghat Nala, Rameshwar Ghat Nala, Maskar Ghat Nala, Dabka Nala, Parmian Nala on Guptar Ghat Nala) flowing into the Ganga and six (6) untapped drains (Halwakhanda Nala, Panki Nala, Ganda Nala, Arra Nala, Sagarpuri Nala, Pipori Nala) flowing into River Pandu, which is a tributary of the River Ganga. Through tender-appointed agencies, the work of sewage treatment is conducted by the bioremediation method, while recognized expert laboratories such as CSIR-IITR, Lucknow, or other NABL-accredited facilities perform third-party analyses of post-treatment water quality. A copy of the document detailing the measures undertaken by the Government of Uttar Pradesh for sewage treatment through bioremediation, including the third-party analysis protocols by CSIR-IITR/NABL-accredited labs, is filed herewith and marked as **ANNEXURE 2**.



**The lack of adequate basic facilities in JK Cancer Hospital,  
Kanpur Nagar**

10. That it is respectfully submitted that, in the Compliance Report submitted by the Director, J.K. Cancer Hospital, Kanpur Nagar vide Letter No. 1228-31/J.K./2024 dated 31.12.2024, it is clarified that J.K. Cancer Hospital is a government specialty cancer hospital under the Government of Uttar Pradesh, extending radiotherapy and chemotherapy services to cancer patients. The biomedical waste generated in the hospital is disposed of daily by the M/s Medical Pollution Control Committee which is duly authorized by the Uttar Pradesh Pollution Control Board, and the hospital ensures proper cleanliness.
11. That it is respectfully submitted that, further, regarding the status of the patients, it is submitted that diagnostic tests are available at government-specified rates, and medicines, consumables, and surgical materials are provided free of cost. Each admitted patient is provided with one (1) liter of milk per day, and free meals are arranged through Ramroti Sanstha. A copy of the Letter dated 31.12.2024 is enclosed herewith and marked as ANNEXURE 3.



**Improper functioning of STPs in Kanpur Nagar**

12. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has

informed that the Sewage Treatment Plants (STPs) located in Kanpur Nagar are subjected to routine monitoring by the U.P. Pollution Control Board (UPPCB) through its Regional Office on a weekly basis. Monitoring is carried out at differing timings (including surprise inspections) to ensure compliance. The STPs maintain logbooks documenting hourly outflows, as captured by flow meters at their outlets. Inspecting officials scrutinize these logbooks during site inspections to ascertain the operational status of the STPs and to check for any irregular discharge, including nighttime discharges. A status of sewage treatment plants in Kanpur Nagar, in tabulated form, is contained in the records. A copy of the Letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 is enclosed herewith and marked as **ANNEXURE-4**.

13. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has further informed that the U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation on the operator(s) of the Common Effluent Treatment Plant (CETP) and STPs at Jajmau, Kanpur, namely the Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural/Urban), Kanpur, and M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., Kanpur, on multiple occasions for failing to adhere to prescribed standards. The details of such measures and the Environmental Compensation imposed, cumulatively amounting to Rs. 9,45,68,000/-, are presented in tabular form and collectively enclosed herewith as **ANNEXURE 5**.



A status of sewage treatment plant in Kanpur Nagar in action taken is summarized tabulated format is mentioned below:

<b>Status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar Uttar Pradesh (as on January 07,2025)</b>							
• Commissioned STPs – 06 with designed capacity – 482 MLD							
Sr No	Status	<b>Compliance Status w.r.t MoEF&amp;CC norms dated 13.10.2017</b>					
1	Complying	2					
2	Non-complying	4					
<b>Operational and Compliance status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar,U.P.</b>							
S. No	Name of STPs	Ganga Front Town	Treatment Technology	Designed Capacity (MLD)	Date of Inspection	Operational /Non-Operational Status	Compliance Status w.r.t MoEF&CC norms dated 13.10.2017
1	130 MLD Jajmau STP Kanpur	Kanpur	ASP	130	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
2	Jajmau (43 MLD) Kanpur	Kanpur	ASP	43	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
3	Jajmau (36 MLD Old CETP) Kanpur	Kanpur	UASB	27	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
4	Bingawan (210 MLD) STP,	Kanpur	UASB	210	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
5	Sajari (42 MLD) STP, Kanpur	Kanpur	ASP	42	07.01.2025	Operational	Complying BOD TSS & FC
6	Pankha (30 KLD) STP	Kanpur	SBR	30	07.01.2025	Operational	Complying BOD TSS & FC

### ACTION TAKEN REPORT TABLE

Sl. No.	Reason of Action Taken	Total Environmental Compensation in Rs/-	Action Taken
1	Due to not achieving the standards at the outlet of 130 MLD STP and 43 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	4,00,000	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN. (Rural) Kanpur.

Sl. No.	Reason of Action Taken	Total Environmental Compensation in Rs/-	Action Taken
2	Due to not achieving the standards at the outlet of 43 MLD STP, 130 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	5,18,57,500	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
3	Due to not achieving the standards at the outlet of 5 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	56,85,500	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN (Urban) Kanpur.
4	Due to not achieving the standards at the outlet of 210 MLD STP at BINGAWN, Kanpur.	3,66,25,000	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
	<b>Total</b>	<b>9,45,68,000/-</b>	

**Functioning of CETP at Jajmau, Kanpur**

14. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that a 20 MLD Common Effluent Treatment Plant (CETP) at Jajmau, Kanpur has been established by the National Mission for Clean Ganga (NMCG) through the executing agency Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA). A Special Purpose Vehicle (SPV), "Jajmau Tannery Effluent



Treatment Association (JTETA),” comprising member tannery units and the district administration, headed by the District Magistrate, Kanpur Nagar has been constituted. The CETP in Jajmau has a 20 MLD capacity for tertiary treatment, with a dilution arrangement using treated sewage. All tannery units discharge primary-treated effluent via the existing conveyance channel, which is then pumped through four (4) newly established tannery pumping stations located at Sheetla Bazar, Chhabilepurwa, Wajidpur Nala, and Budhia Ghat Nala at Jajmau. The process flow chart of the 20 MLD CETP at Jajmau, Kanpur Nagar, is enclosed herewith and marked **ANNEXURE-6**.

15. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that 20 MLD CETP at Jajmau, Kanpur is monitored weekly by the UPPCB through its Regional Office. Presently, it operates at a load of approximately 12.50 MLD. It holds a valid Consolidated Consent & Authorization (CCA) until 31.12.2028. Treated effluent at the CETP outlet meets the discharge standards notified by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification dated 09.09.2024 under the Environment (Protection) Act, 1986, following dilution with treated effluent from the 130 MLD, 43 MLD, and 36 MLD (old CETP utilized as STP). The conveyance channels, tannery pumping stations, and operation of the 20 MLD CETP are maintained by JTETA, Kanpur, and the final discharge consisting of the combined treated effluent is directed to the irrigation channel. The 130 MLD and 43 MLD STPs are



operated by M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., Kanpur, under U.P. Jal Nigam (Rural), and the 36 MLD old CETP (used as STP after 08.08.2024 diversion) is operated by U.P. Jal Nigam (Urban).

**Drinking water issue and clogged sewer pipes in Juhi Baburiya and Rakhi Mandi**

16. That it is respectfully submitted that the Executive Engineer (Zone-3), Jal Kal Department, Nagar Nigam, Kanpur, vide Letter No. Jal/A.A.-3/D-3588/Sewer Samasya/2024-25 dated 08.01.2025, informed the Environmental Engineer (Project), Nagar Nigam, Kanpur, that in Ward 14 of Juhi Baburiya, the sewer line was damaged during the course of Metro construction by UPMRC, thereby creating sewage disposal challenges. Joint inspections were carried out and UPMRC has communicated that they are laying 250 meters of a 600 mm diameter sewer line, of which 60% has been completed, with an expected time frame of 20 days for the remaining work. Furthermore, clogged sewers are flushed by employing mud pumps and sewer jetting/robotic machines, and no sewer clogging is presently found at the site. A copy of the letter dated 08.01.2025 is annexed herewith and marked as ANNEXURE 7.

**Presence of Mercury and Chromium in the blood of some patients in Rakhi Mandi, Afeem Kothi area along with other medical conditions.**



17. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44671/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Nagar vide Letter No. 1958/SA-147/2024 dated 17.12.2024, directed the Chief Medical Officer, Kanpur, to hold medical camps in coordination with CSIR-IITR, Lucknow, at Juhi Baburia (Rakhi Mandi), Afeem Kothi (Rakhi Mandi), Kanpur, Ruma Treatment Storage Disposal Facility, Panki Industrial Area, Jajmau Industrial Area, Nauraiya Kheda, Tezab Mill Campus, and Anwarganj in District Kanpur Nagar. A copy of the aforementioned letter dated 17.12.2024 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 8**.

**B. RESPONSE OF ISSUES PERTAINING TO KANPUR DEHAT AND ITS COMPLIANCE**


Regarding mismanagement / water logging ground water contamination due to leaching from the Chromium dump site near Khanchandpur village, Rania.



That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that in Village–Shivnathpurwa, Rania, Kanpur Dehat and the adjoining localities, chromium-containing waste was surreptitiously deposited by Basic Chromium Sulphate (BCS) manufacturing industries established in District Kanpur Dehat and neighboring districts. The Central Pollution Control Board (CPCB) had assigned the task of conducting a detailed survey and preparing a DPR along with providing technical consultancy

services for remediation of chromium-contaminated areas in District Kanpur Dehat to M/s ERM, New Delhi, in 2018. In their DPR, M/s ERM incorporated Village–Garhampur, Shivnathpurwa, the Waste Storage Area, and Village–Khanchandrapur as the Primary Study Area (PSA). The remedial program is structured such that the zones with the highest contamination are addressed first, followed by lesser-contaminated locales. Chromium deposits on the left side of the excavated site, referenced by the Learned Amicus Curiae, correspond to the lesser contamination area delineated in Table–3.3, serial no. 4c of the DPR. A copy of letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 and copy of Table–3.3, serial no. 4c, from the DPR prepared by M/s ERM, identifying the “lesser contamination” zone on the left side of the excavated chromium dump at Khanchandpur, are filed herewith and marked as **ANNEXURE 9 and 10** respectively.

19. That it is respectfully submitted that, moreover, regarding any remnant chromium in the area, it is submitted that the heap consists of soil used to cover the HDPE liner prior to the commencement of excavation by UPSIDA. During excavation, said soil was removed and placed near the perimeter of the waste dump site. Residual chromium, which often oxidizes into a yellowish color on contact with moisture, is commingled with the soil and subject to in-situ remediation under the DPR. A low-lying depression formed after excavation and scraping of contaminated soil has been filled with rainwater, thereby creating a water body on the chromium dump location; however, the water accumulation does not signify an actual chromium dump, but rather reflects a naturally formed depression. Chromium contamination in the



adjacent region, already identified by the committee/sub-committee, is addressed under extant work orders to TSDF operators M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat.

**Ground water contamination:**

20. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that in Khanchandpur village, Rania, Kanpur Dehat and nearby areas, chromium-containing waste was illicitly deposited by BCS-manufacturing industries within and around the district resulting in groundwater pollution through leaching of hexavalent chromium. The contamination plume is estimated to extend up to 1.5 km southward into Khanchandpur. Over multiple inspections, groundwater samples were drawn from 14 locations across villages Garhampur, Shivnathpurwa and Khanchandpur with 9 out of these 14 samples surpassing BIS-DW norms for Cr(VI), ranging from 0.17 mg/l to 11.59 mg/l. Copy of the year-wise Cr(VI) concentration trend is annexed herewith and marked as

**ANNEXURE 11.**

**Mechanism for Chromium monitoring in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat**

21. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that in compliance with directions from the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, a Sub-Committee




consisting of the Additional District Magistrate (Administration), Kanpur Dehat, the Executive Officer (PWD), and the Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat, was constituted through Letter No. 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26.05.2022, annexed herewith as **ANNEXURE 12**.

22. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter dated 17.01.2025 has informed that, for on-site monitoring during implementation of the project work for lifting and scientifically disposing of dumped Chromium waste, including the submission of periodic physical and financial progress reports. Scientific disposal of Chromium bearing hazardous waste at Gram Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat has been allotted to two TSDFs, namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd. and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat, under MoUs (**ANNEXURE 13**).

23. That it is respectfully submitted that, UPPCB vide letter dated 17.01.2025 has informed that to ensure uninterrupted vigil, staff from UPPCB and PWD were deputed via an order dated 09.12.2022 by the Sub-Committee Chairman (ADM(E), Kanpur Dehat). A dedicated web portal ([www.hwms.co.in](http://www.hwms.co.in)) developed by the U.P. Pollution Control Board tracks waste-lifting activity using GPS-enabled vehicles, including weight and stabilization data. A copy of the order dated 09.12.2022 from the Sub-Committee Chairman (ADM(E), Kanpur Dehat), deputing UPPCB and PWD staff for on-site supervision of chromium waste disposal, along with details of the [www.hwms.co.in](http://www.hwms.co.in) portal, is filed herewith and marked as **ANNEXURE 14**.



24. Furthermore, it is respectfully submitted that UPPCB vide letter dated 17.01.2025 has informed that approximately 85,006 MT of chromium waste was disposed of between 15.12.2022 and 17.05.2023. Upon a subsequent inspection on 19.05.2023, an additional quantity of around 10,000 MT was assessed. In a meeting on 06.06.2023, the Committee decided that both TSDF operators, M/s U.P. Waste Management Project and M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., would jointly dispose of the remainder on a pro-rata basis, accomplishing said task by 10.11.2023. Consequently, a total of 95,006 MT (5,500 MT by M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd. and 89,506 MT by M/s U.P. Waste Management Project) stands disposed of thus far. It is also submitted that about 6,000 MT of chromium waste is still lying near the tyre washing area and in front of M/s Natraj Industries, Umran, for which work orders dated 23.08.2024 have been issued to both TSDF operators for scientific disposal on a pro-rata basis. Copies of the work orders dated 23.08.2024 directing TSDF operators M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd. to dispose of the remaining ~6,000 MT of chromium waste on a pro-rata basis near Umran, are filed herewith and marked as **ANNEXURE 15**.



**Efforts towards providing clean water in the affected area**

25. That it is respectfully submitted that District Magistrate , Kanpur Dehat vide his letter No. 1424/R-130/2025 dated 20.01.2025 has informed that all the works related to Khanchandpur Gramin Pipe Payjal Yojna are complete and drinking water is being supplied

and also informed that Executive Officer, Nagar Panchayat, Rania, Kanpur Dehat has been directed to increase the number of water tankers for drinking water supply. A copy of Letter dated 20.01.2025 is filed herewith and marked as **ANNEXURE 16**.

**Suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano- Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium**

26. That it is respectfully submitted that this Hon'ble National Green Tribunal, vide its order dated 23.09.2022 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019, directed the UPPCB and CPCB to ascertain the feasibility of establishing a pilot plant for chromium treatment employing RO/Ultra/Nano-Filtration processes and applying Biotechnology, akin to existing arsenic/fluoride removal systems. UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that this shall be complied with once the disposal of chromium waste at the dump site is completed. A Draft Action Plan for remediation of Chromium contaminated soil and groundwater has already been prepared (**ANNEXURE 17**).

**Industrial ash dumping on the agricultural land and landfilling**

27. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that a District-Level Committee constituted by the District Magistrate, Kanpur Dehat, observed the dumping of ash (including husk/coal ash) on roadsides and in low-lying areas.



Based on these findings, notices were issued to industries generating said ash, directing them to adhere to CPCB guidelines on proper loading, unloading, transportation, and storage of ash. On 17.01.2025, show-cause notices were served by UPPCB upon three defaulting industries. Copies of show-cause notices dated 17.01.2025 to three industries (violating ash disposal guidelines) are filed herewith and marked as **ANNEXURE 18**.

**Psychological, neurological disorders and behavioral changes and also patients with skin and asthmatic issues**

28. That it is respectfully submitted that the Chief Medical Officer, Kanpur Dehat, vide Letter No. ka.de./Mu.Chi.A./NGT/Swasthya Pari./Adkya/2025/6442 dated 16.01.2025, has apprised that, in Village-Khanchandpur, chromium and mercury testing was conducted on 21.10.2024, and as per IITR's communication dated 14.11.2024, 29 individuals' results showed chromium in excess of the permissible limit while mercury was either absent or below the prescribed norms. The Chief Medical Officer informed that two or three medical camps were organized in villages Khanchandpur, Palanpurwa, Chauhanpurwa, and Yadavpurwa. A Medical College is also operational in the district with specialist doctors whose services can be utilized in these camps if warranted. A copy of the Letter dated 16.01.2025 is enclosed herewith and marked as **ANNEXURE 19**.



**Sewage disposal infrastructure in Khanchandpur**

29. That it is respectfully submitted that District Magistrate , Kanpur Dehat vide his letter No. 1424/R-130/2025 dated 20.01.2025 has informed that Kanpur Dehat produces around 30.94 MLD of sewage. At present, disposal of sewage is primarily reliant on septic tanks and soak pits, owing to the absence of an established sewer network, STP, or FSTP. DPR's for ULBs Pukhraya, Jhinhak, Rasoolabad, Rania, Rura, Moosanagar, and Rajpur are under preparation and 6 MLD STP and 15 KLD FSTP have been proposed for Nagar Panchayat Akbarpur.

**Status of testing facilities in UPPCB for chromium, mercury and other heavy metals**

30. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that the facility for analyzing chromium, mercury, and other heavy metals is presently available at the Central Laboratory of the UPPCB, situated in its Head Office at Lucknow.

**Contamination in the Noon River**

31. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that the Noon River, a tributary of the Yamuna, flows in District Kanpur Dehat predominantly as a monsoonal watercourse due to a paucity of perennial freshwater sources. As per a detailed survey conducted by UPPCB, it traverses numerous villages, carrying domestic discharge, and eventually receives effluents near Barojore toll plaza on Kanpur-Jhansi Highway, including



domestic waste and the effluent from M/s H L Agro Product Pvt. Ltd. and M/s Kanpur Edibles Pvt. Ltd., both of which maintain zero-liquid-discharge (ZLD) systems. A copy of the detailed survey report is annexed herewith and marked as **ANNEXURE 20**.

**TSDF sites at Kumbhi, namely M/s UP Waste Management Project and M/s Bharat Oil and Waste Management Pvt. Ltd.**

32. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44673/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that both the TSDF sites are inspected routinely by the UPPCB, with quarterly groundwater sampling conducted, and the results for total chromium, arsenic, and lead are consistently within permissible limits. Copies of the relevant monitoring reports are collectively annexed herewith and marked as **ANNEXURE 21**.

**C. RESPONSE OF ISSUES PERTAINING TO FATEHPUR AND ITS COMPLIANCE**

**Chromium deposit outside M/s MLMP Food Pvt. Ltd. near Village-Gudhrauli**

33. That UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that M/s Madhuchandra Technochem Pvt. Ltd. is situated near M/s MLMP Food Pvt. Ltd., Village-Gudhrauli, and during an inspection by officers of the Regional Office, UPPCB, Prayagraj on 09.01.2025, a greenish-yellow hazardous sludge was discovered, apparently dumped long

prior. Nine (9) sludge samples and four (4) hand pump water samples from the affected locality were collected for analysis. Copy of letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 is enclosed herewith and marked as **ANNEXURE-22**.

**Health issues like coughing, breathing problems, swelling of limbs and skin issues in village-Gudhrauli.**

34. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that the Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, vide Letter No. G 01321/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025, communicated with the Chief Medical Officer, Fatehpur, seeking information about medical checkups and remedial measures from a health standpoint in Gram Panchayat Gudhrauli and other impacted areas, asking for an action-taken report within five (5) days. The CMO, Fatehpur, through Letter No. Mu.Chi.A./Gudhrauli/Suchna/2024-25/11157 dated 10.01.2025, conveyed that block-level rapid response teams had organized camps, finding no new patients afflicted by chromium or mercury. Copies of these letters dated 03.01.2025 and 10.01.2025 are collectively enclosed herewith and marked as **ANNEXURE 23**.

**Ash and chromium deposited on land near the water body, and chromium plume lying on the Baniya Kheda Road.**

That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that a joint inspection was conducted by IITR and UPPCB on



11.01.2025, and 64 samples were collected from the following areas: Abhaypur, Gudhrali (38 samples), Aung Ambuj Nagar Road, Abhaypur (16 samples), Chhiwali, Rashulpur (6 samples), and the Nursing College, ChhiwaliAbhaypur (4 samples). Analysis reports from IITR are awaited. In Baniya Kheda Road, Gudhrauli, District Fatehpur, ash disposal was observed, whereupon the Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, vide Letters dated 12.12.2024 instructed M/s R.P. Industries and M/s Shayamanand Industries, Village-Gudhrauli, Bindki, to desist from depositing ash along the roadside and to ensure safe, scientific disposal.

**For Providing Clean Drinking water in the affected area of Gudhrauli**

36. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that 11 Handpumps in village Gudhrauli have been de-assembled /sealed. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letter No. G 01322/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 has sought information from Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Fatehpur regarding their departmental action towards providing clean drinking water to the residents of village Gudhrauli and other affected area. Copy of the letter dated 03.01.2025 is enclosed herewith and marked as **ANNEXURE 24**.

37. That it is respectfully submitted that the Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Fatehpur vide his letter No. 90/M-21/01 dated 09.01.2025 has replied that clean drinking water is being provided



in village Gudhrauli and Abhaypur under Gudhrauli Gram Payjal Yojna and Abhaypur Gram Payjal Yojna respectively. Copy of the letter dated 09.01.2025 is enclosed herewith and marked as **ANNEXURE 25.**

**No further construction be allowed on area/ site that have chromium deposition under the ground**

38. That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, through Letter No. G 01323/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025, informed the SDM, Bindki under whose jurisdiction the impacted area lies, to ensure compliance with the recommendation advanced by the Learned Amicus Curiae that no fresh construction occur upon areas/sites where chromium is deposited underground. A copy of Letter No. G 01323/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 from the Regional Officer, UPPCB, Prayagraj, instructing the SDM, Bindki, to prohibit new construction on chromium-affected lands, is filed herewith and marked as **ANNEXURE 26.**

**Evaluation of Dumped Chromium Waste Quantity and its concentration at Gudhrauli, District- Fatehpur.**

That it is respectfully submitted that UPPCB vide letter No. G44672/C-2/NGT CELL-46/2025 dated 17.01.2025 has informed that for evaluation of dumped chromium waste and its concentration at Gudhrauli, UPPCB has engaged CSIR-IITR



Lucknow vide letter No. H18707/C-2/NGT-654/24 dated 16.10.2024 for a total project cost of Rs 47,20,000/- with a timeline of completing the project in 5 months. CSIR-IITR Lucknow has carried out the survey of Village Gudhrauli and other affected areas on 11.01.2025 and collected 64 soil samples from different locations. Detailed survey and analysis report of CSIR-IITR is awaited. Copy of the letter dated 16.10.2024 is enclosed herewith and marked as ANNEXURE 27.

- 40. That the present affidavit on behalf of the State of Uttar Pradesh is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

  
DEPONENT

**VERIFICATION:**

Verified at 2ke on this the 21<sup>st</sup> day of January, 2025 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

  
DEPONENT



Sworn and Verified before me

21/1/25

NOOR JAHAN  
Advocate & Notary  
Court, Lucknow  
Registration No. 10942/18

I know & identify the deponent / Exponent who has signed / put his T.I. before me

S. Iqbal Advocate  
Reg. No. 6043/1998  
HR Uo



कार्यालय नगर आयुक्त  
नगर निगम कानपुर

पत्रांक:-डी/ 2931 /न0आ0 /अधि0अभि0(प्रो) /24-25

दिनांक:- 10.01.2025

प्रेषक,

नगर आयुक्त,  
नगर निगम कानपुर

प्रेषित,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
कानपुर।

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985 / 2019, ओ0ए0 986 / 2019 एवं ओ0ए0 528 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र संख्या-1955 / सा0-147 / 24, दिनांक 17.12.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985 / 2019, ओ0ए0 986 / 2019 एवं ओ0ए0 528 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के प्रस्तुत अंश के अनुसार पारित आदेशानुपालन में निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की अपेक्षा करते हुए बिन्दुवार कृत कार्यवाही संबंधी अनुपालन आख्या यथाशीघ्र क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को प्ररण की सुनवाई हेतु नियत अग्रिम तिथि दिनांक 22.01.2025 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है, ताकि मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या ससमय दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके।


तदनुक्रम में अवगत कराना है कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर के कार्यालय पत्र दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से उल्लिखित 04 बिन्दुओं पर संबंधित विभागों से अनुपालन-आख्या प्राप्त करते हुए संकलित अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत है :-

क्र0सं0 / बिन्दु संख्या	अपेक्षित बिन्दु का विवरण	संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत अनुपालन आख्या
1	तट पर स्थित समस्त घाटों (सरसैयाघाट, गुप्तारघाट, भगवतदास घाट, सिद्धनाथ घाट, अटल घाट, भैरव घाट, रानीघाट, मैग्जीन घाट, अस्पताल घाट, परमट घाट, बाबाघाट, श्यामघाट, कालीघाट) में प्लास्टिक की बोतल या अन्य ठोस अपषिष्ट सामग्रियों को निरन्तर रूप से एकत्रित कर ठोस अपषिष्ट प्रसंस्करण प्लाण्ट तक पहुंचाने एवं घाटों में समुचित सफाई व स्वच्छता हेतु प्रभावी कार्यवाही कराया जाना।	जनपद कानपुर नगर में गंगा नदी के तट पर स्थित समस्त घाटों (सरसैया घाट, गुप्तारघाट, भगवतदास घाट, सिद्धनाथ घाट, अटल घाट, भैरव घाट, रानीघाट, मैग्जीन घाट, अस्पताल घाट, परमट घाट, बाबाघाट, श्यामघाट, कालीघाट) में प्लास्टिक की बोतल या अन्य ठोस अपषिष्ट गंगा घाटों की साफ सफाई कार्य के सापेक्ष उल्लेखनीय है कि नगर निगम के अर्न्तगत स्वास्थ्य विभाग द्वारा गंगा घाटों की सफाई का कार्य कराया जा रहा है। जोनल स्वच्छता अधिकारी, जोन-01, 02 एवं 04, नगर निगम कानपुर द्वारा गंगा घाटों की सफाई कार्य सम्बंधी उपलब्ध करायी गयी आख्या, अपषिष्ट उठान एवं जियो टैग फोटो अवलोकनार्थ संलग्न है।

2	<p>गंगा नदी में मिलने वाले अनटैप्ड/आंशिक टैप्ड नाले क्रमशः रानीघाट नाला, गोलाघाट नाला, सत्तीचौरा नाला, डब्का नाला तथा पाण्डु नदी में मिलने वाले नाले-पिपौरी नाला, अर्ना नाला, सागरपुरी नाला, हलवाखण्डा नाला, पनकी थर्मल नाला, गन्दा नाला में बायोरेमिडियेशन (जैविक षोधन) कार्य कराया जाना।</p>	<p>2720</p> <p>मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेशानुपालन में गंगा में मिलने वाले विभिन्न 07 अनटैप्ड नालों यथा (1) रानीघाट नाला, (2) गोलाघाट नाला, (3) रामेश्वर घाट नाला, (4) सत्तीचौरा-मैस्कर घाट नाला, (5) डबका नाला, (6) गुप्तार घाट नाला एवं (7) परमियां नाला एवं गंगा नदी की सहायक नदी पाण्डु नदी के विभिन्न 06 नालों यथा-(1) हलवाखण्डा नाला, (2) पनकी नाला, (3) गंदा नाला, (4) अर्ना नाला (5) सागर पुरी नाला एवं (6) पिपौरी नाला के बायोरेमिडियेशन विधि से जलषोधन की कार्यवाही उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित <b>Standard Operating Procedure (SOP)</b> के अनुसार नियमित रूप से करायी जा रही है। एवं निविदान्तगत अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से उक्त नालों के बायोरेमिडियेशन विधि से जलषोधन के कार्य हेतु गुणवत्तापरक जलषोधन के 0थर्ड पार्टी परीक्षण का कार्य इस क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसियों यथा-“निदेशक, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी0 एस0 आई0 आर0 - आई0 आई0टी0आर), लखनऊ/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एन0 ए0 बी0 एल0 की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करायी जाती है।</p>
3	<p>जूही बंबुरहिया स्थित चोक सीवेज लाइन की अनुरक्षण/सफाई कार्य कराया जाना।</p>	<p>जूही बम्बुरहिया स्थित चोक सीवेज लाइन की अनुरक्षण/सफाई कार्य कराये जाने के संदर्भ में अधिषाषी अभियंता, जोन-3, जलकल विभाग, नगर निगम कानपुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-3588/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक 08.01.2025 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि वार्ड-14 के अन्तर्गत जूही बम्बुरहिया में एक वर्ष पूर्व यू0पी0एम0आर0सी0 द्वारा मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान विभागीय गहरी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी जिसमें जूही अग्रवाल मार्केट के सामने से सम्पूर्ण जूही बम्बुरहिया 127/189-190 के सामने व जनता ट्रेडर्स के सामने से सम्पूर्ण जूही गढ़ा की सीवर लाइन लगभग 08 फीट की गहराई से मिली थी। बड़ी व गहरी सीवर लाइन में बस्ती की सीवर लाइन सीवर चैम्बर की सतह 08 फीट गहराई से मिली थी, किन्तु मेट्रो द्वारा बस्ती की सीवर लाइन को 03 फीट ओवर प्लो कम व्यास की सीवर लाइन में जोड़ दिया जिसकी वजह से जूही बम्बुरहिया में सीवर की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। उपरोक्त समस्या के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा यू0पी0एम0आर0सी0 के साथ विगत एक वर्ष में विभिन्न पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-23/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-03.04.2024, पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-695/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-11.07.2024, पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-2784/सीवरसमस्या/2024-25 दिनांक-21.10.2024 एवं पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-2886/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक -28.10.2024, के माध्यम से पत्राचार किया गया (प्रति संलग्न) एवं मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के</p>


		<p>2721 उपरान्त यू0पी0एम0आर0सी0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु जूही हमीरपुर रोड पर 600 एम0एम0 व्यास की 250 मीटर सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जा रहा है, जो कि लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा अगामी 20 दिवसों के अन्दर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सीवर भराव की स्थिति में जलकल विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से मडपम्प लगाकर कर्मियों के माध्यम से सर्विस सीवर लाइनों का खाली करने के उपरान्त सीवर जेटिंग मशीन/रोबोट मशीन द्वारा सीवर सफाई का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में सन्दर्भित स्थल पर कोई सीवर भराव की समस्या नहीं है। उपरोक्तानुसार जलकल विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं छाया-चित्र संलग्न है।</p>
4	<p>जनपद कानपुर नगर समस्त संचालित सीवेज शोधन संयंत्र (जाजमऊ क्षेत्र के 130 एम.एल.डी., 43 एम.एल.डी., 36 एम.एल.डी. एस.टी.पी., विनगवां क्षेत्र के 210 एम.एल.डी. एस.टी.पी., सजारी क्षेत्र के 42 एम.एल.डी. एस.टी.पी. व पनका क्षेत्र के 30 एम.एल.डी. एस.टी.पी.) को नियमित रूप से संचालन कराया जाना।</p>	<p>सूचना अप्राप्त है।</p> <p>संबंधित बिन्दु पर वांछित सूचना महाप्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर के स्तर से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।</p>

अतः उपरोक्तानुसार उत्तदायी विभागों से प्राप्त अनुपालन आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 22.01.2025 के पूर्व मा0 अधिकरण में उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या दाखिल/प्रस्तुत कराये जाने का कष्ट करें।  
संलग्नक : यथोपरि।

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम कानपुर

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. महाप्रबंधक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
2. महाप्रबंधक, जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।
3. नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम कानपुर।
4. मुख्य अभियंता नगर निगम कानपुर।
5. पर्यावरण अभियंता, नगर निगम कानपुर।

  
नगर आयुक्त  
नगर निगम कानपुर

## प्रोजेक्ट सेल, नगर निगम कानपुर

### Annexure-R/2

मा0 एन0जी0टी0 के पारित आदेशानुपालन में गंगा में मिलने वाले विभिन्न 07 अनटैप्ड नालों यथा (1) रानीघाट नाला, (2) गोलाघाट नाला, (3) रामेश्वर घाट नाला, (4) सत्तीचौरा-मैस्कर घाट नाला, (5) डबका नाला, (6) गुप्तार घाट नाला एवं (7) परमियां नाला एवं गंगा नदी की सहायक नदी पाण्डु नदी के विभिन्न 06 नालों यथा—(1) हलवाखाण्डा नाला, (2) पनकी नाला, (3) गंदा नाला, (4) अर्रा नाला (5) सागर पुरी नाला एवं (6) पिपौरी नाला के बायोरेमिडियेशन विधि से जलशोधन की कार्यवाही उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित Standard Operating Procedure (SOP) के अनुसार नियमित रूप से करायी जा रही है। एवं निविदान्तर्गत अनुबंधित एजेंसियों के माध्यम से उक्त नालों के बायोरेमिडियेशन विधि से जलशोधन के कार्य हेतु गुणवत्तापरक जलशोधन के थर्ड पार्टी परीक्षण का कार्य इस क्षेत्र की विशेषज्ञ एजेंसियों यथा—“निदेशक, भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सी0 एस0 आई0 आर0 – आई0 आई0टी0आर), लखनऊ/उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/एन0 ए0 बी0 एल0 की मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करायी जाती है।

*dw*  
*m*


# APPROACH WORK PLAN FOR IN-SITU BIO-REMEDIATION TREATMENT AT KANPUR

**NAME OF WORK:** - Procurements of Scientific & Technical Services for Complete Supply, Fabrication, Erection, and Installation & Successful Commissioning of in Situ Nallah Treatment By Bio Phyto-remediation technology in 06 Drains of (River) GANGA in KANPUR UTTAR PRADESH

**DEPARTMENT :-** KANPUR MUNICIPAL CORPORATION.

**COMPANY :-** M/S VISHANT CHAUDHARY CONTRACTOR JV with M/S NEXTGEN INFOWORLD Pvt Ltd.

**PROJECT AREA :-**





In-Situ Treatment of Sewage of the Nallas joining the river Ganga in Kanpur City through innovative & eco-friendly technology of Bioremediation will reduce the volume of sewage and domestic waste reaching River Ganga. Bioremediation will help to achieve water bodies discharge quality criteria of CPCB for all major parameters.

Bioremediation based treatment of 6 Nallas Kanpur City as per attached list below so as to ensure:-

- Reduction in Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demands (COD), Total Suspended Solid (TSS).

2724



# Eco Master<sup>®</sup>

## BIOREMEDIATION

### Benefits & Area of Applications

Ecomaster Bioremediation offers a comprehensive, organic solution for managing ammonia levels in water bodies. Formulated with the natural properties of yucca and a carefully selected blend of beneficial microorganisms, this product effectively breaks down ammonia and other harmful gases, promoting a healthier aquatic environment. Regular application of Ecomaster Ammonia Control introduces specialised deammonifying microbes into the system. These natural bacteria are designed to degrade ammonia and nitrite into non-toxic by-products, thereby enhancing water quality and supporting the overall well-being of fish and shrimp.

#### Benefits of Ecomaster Bioremediation

- Effectively lowers ammonia levels
- Reduces reliance on chemical treatments
- Promotes enhanced growth of fish and shrimp

#### Area of Application


- Aquaculture
- Pond and Lake Management
- Wastewater Treatment
- Agricultural Runoff Management
- Recreational Water Bodies
- Stormwater Management
- Public Aquatic Facilities

#### Physical Properties

- Powder Form
- Off White Colour
- 2 Years of Shelf Life
- 100g, 1kg and 25 Kg Bag



## PROJECT EXECUTION PROCESS FLOW SHEET



### ❖ PHYSICAL SURVEY :-

Survey already done by us at all drain & its tributaries.

### ❖ INITIAL SAMPLING :-

Initial Sampling will be done from inlet & outlet of each drain before commencement of the project to obtain the baseline data for seasons.


### ❖ CLEANING OF DRAIN :-

As per current site condition of drains (pictures attached below), there is huge quantity of solid waste & floatable settle down in all 7 drains since many years. Since the deposition of floatable and solid waste on the surface of each drain is huge and floatable has covered the surface of drains hence Bioremediation treatment would not be fully effective to achieve desired results. So, Initially

2726

**Screen Bar:-**

We will install Screen Bar at the end of each drain for the collections of floating matters from the drain. Labors will appoint for daily manual cleaning and removal of floating matters from screen bar.



**Kanpur, Uttar Pradesh, India**  
F9F74XQ4, Whilst Thomson St, Ordnance Town, Civil Lines, Kanpur  
Katahikanpur, Kohna, Uttar Pradesh 208001, India  
Lat 26.474543°  
Long 80.364648°  
02/11/24 10:52 AM GMT +05:30

Google


60 02/11/24 10:52 AM

2727


**❖ FLOW MEASUREMENT:-**

Flow reported in the drain exhibit considerable seasonal variations, therefore, for measurements of actual discharge of waste water treated by Bio-remediation technology we will install 90° V- Notch at downstream of each drain before discharging into River Gomati. The same shall be used for management of the project including all payments towards treatment under the project. The flow shall measure daily thrice between 9 AM to 10 AM in the morning, 1 PM to 2 PM noon and 7 PM to 8 PM in the evening during the treatment period. According to measured flow the dosing schedule shall maintain and also to prepare monthly bill with the average flow during this period.



# 1. RANI GHAT DRAINS





# 3. RAMESHWAR GHAT DRAINS





# 5. DABKA DRAINS



# SAMPLING PHOTOGRAPHS




# 7. PARMIYAN GHAT DRAINS





2733



BXG/L/24-25/1369

10 December 2024

The Executive Engineer  
Kanpur Nagar Nigam,  
Kanpur

Sub: Treatment of Drain by Bioremediation or any other non-conventional innovative and proven technologies at Kanpur for 5 drains (ARRA, SAGARPURI, PIPAURI, HALWAKHAND and PANKHI NALA) – Bioremediation Activities and consumed Bio-culture

Ref: 1) Contract agreement – Certificate number: GT 580954, Dt: 17.01.2024.  
2) Ref LOA Ref - Letter No - D/622/AA/Pro.Cell/20-21 Dt:04.09.2020  
3) Extn. Letter:



Dear Sir,

This has reference to the contract agreement (1) and (2) cited above, wherein we have been awarded the work for the treatment of the drains by bioremediation technology and we have been carrying out bioremediation works in Kanpur ARRA Drain, SAGARPURI Drain, PIPAURI Drain. HALWAKHAND and PANKHI NALA). In this regard during stabilization period, we dosed Bioculture around 0.5 to 2ppm, and after stabilization period we dosed Bioculture around 0.05 to 0.3ppm

And it depends on the following factors

- Available residence time
- Flow velocity
- F/M ratio
- Kg BOD/COD loading per day

It suits all the 5 drains (ARRA, SAGARPURI, PIPAURI, HALWAKHAND and PANKHI NALA) at Kanpur Bioremediation activities. And also, I attached the daily activities of Bioremediation at Kanpur.

Drains Name and treated water MLD following bellows:

1. ARRA Drain .....35.36MLD
2. SAGARPURI .....5.81MLD
3. PIPAUR.....0.39MLD
4. HALWAKHAND.....54.38MLD
5. PANKHI NALA.....10.54MLD



Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.


Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.

info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670

CLEAN INDIA, my GREEN INDIA


2734



Always assuring our best services

Thanking you

For Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.



K Padmaraj  
General Manager – Procurement & Projects

Encl: Photos of Daily activities and flow measurements pictures

**SOLVE:**

**Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.**

Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam,  
Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office,  
Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.  
info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670



**CLEAN INDIA, my GREEN INDIA**



### Bioremediations Activity at ARRA NALA

Dosing Point 1

Dosing point 2



Flow Measurement (Average Flow - 35.69 MLD)



**SOLVE:**


Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.

Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.

info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670

CLEAN INDIA, my GREEN INDIA



### Bioremediations Activity at SAGARPURI NALA

Dosing point 1

Dosing Point 2




GPS Camera

Rathour Ji Tiraha, 106, Bingawan, Kanpur, Uttar Pradesh 208021, India  
 26.391419°, 80.300534°  
 Altitude: 76m - Accuracy: 5m  
 10/12/24 10:52 AM GMT+05:30

GPS Camera

New Bajrang Chauraha, 901, Bingawan, Kanpur, Uttar Pradesh 208021, India  
 26.390303°, 80.300718°  
 Altitude: 76m - Accuracy: 4m  
 10/12/24 11:01 AM GMT+05:30

V-Notch (Average Flow- 5.81 MLD)



GPS Camera


Naubasta, Fatehpur Dakshin, Kanpur, Uttar Pradesh 208021, India  
 26.39039°, 80.297938°  
 Altitude: 77m - Accuracy: 5m  
 10/12/24 10:34 AM GMT+05:30

SOLVE:

Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.  
 Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam,  
 Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office,  
 Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.  
 info@biogreen.com, www.biogreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670



CLEAN INDIA, my GREEN INDIA



### Bioremediations Activities on Pipauri Drain

Dosing Point

V- Notch - Average Flow – 0.39 MLD



**Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.**

Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office,

Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.

info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670

**CLEAN INDIA, my GREEN INDIA**





**Bioremediation Activities on HALWAKHAND DRAINS**

1<sup>st</sup> Dosing Point

2<sup>nd</sup> Dosing point




GPS Camera

F 551, near Mary Jesus Education Centre, Barra 8, Barra, Kanpur, Uttar Pradesh 208027, India  
 26.420974°N, 80.297592°E  
 Altitude: 79m - Accuracy: 7m  
 10/12/24 09:16 AM GMT+05:30

GPS Camera

14/142, Jarauli Phase 2 Barra, Kanpur, Uttar Pradesh, 208021, India  
 26.415807°N, 80.296025°E  
 Altitude: 79m - Accuracy: 4m  
 10/12/24 09:27 AM GMT+05:30

R-Notch Average flow - 54.83 MLD



GPS Camera

Unnamed Road, Bingawan, Uttar Pradesh 208021, India  
 26.407634°N, 80.290079°E  
 Altitude: 75m - Accuracy: 3m  
 10/12/24 09:55 AM GMT+05:30

**SOLVE:**


**Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.**

Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam, Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office, Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.

info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670



**CLEAN INDIA, in / GREEN INDIA**



### Bioremediations Activities on Pankhi NALA

1<sup>st</sup> Dosing Point

2<sup>nd</sup> Dosing point



V- Notch Average Flow - 10.54 MLD



SOLVE:

**Bioxgreen Technology Pvt. Ltd.**  
 Corporate Office: Ghatala Towers, 3rd Floor, 19, Avenue Road, Nungambakkam,  
 Chennai - 600 034, India. Tel: +91 44 7968 3723.

Regional Office (West): Office No. B-21, Ground Floor, Gundecha Onclave, Kherani Road, Next to Post Office,  
 Saki Naka, Andheri (E), Mumbai, Maharashtra - 400 072, Tel: +91 22 6699 0006.  
 info@bioxgreen.com, www.bioxgreen.com CIN: U74999KA2016PTC096670

CLEAN INDIA, n.y GREEN INDIA.

2740

सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् | COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) | MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, GOVT. OF INDIA

डॉ. अंकुर गोयल  
Dr. Ankkur Goel  
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, आरपीबीडी  
Sr. Principal Scientist, RPBD

CSIR-IITR/RPBD/GAP-452/2024  
दिनांक: 14-06-2024

सेवा में-

मेसर्स विशान्त चौधरी ठेकेदार  
4, चित्रांजली कॉलोनी, स्वरण जयंती नगर,  
अलीगढ़ - 202 001 (उत्तर प्रदेश)

विषय : विश्लेषण रिपोर्ट का प्रेषण -

महोदय,

आईआईटीआर एवं कानपुर नगर निगम स्टाफ द्वारा एकत्रित किए गए Drain water sample of Kanpur के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

Report no: GAP-452  
Report Signed by: Dr. N.G. Ansari /Dr. Satyakam Patnaik  
Your reference no. letter: S. no.-BIO/2/24-25 Dated: 24.05.2024  
Sample collected by: IITR and Nagar Nigam staff  
Sample and plan procedure: Drain Water Samples  
Date of sampling: 30-05-2024  
Environment condition during sample: Normal  
Sample condition: Unsealed  
Source of sampling: Kanpur Nagar Nigam, Kanpur

नमूनों हेतु आपके संदर्भ को हमारे आंतरिक आईआईटीआर कोड सं. से मिलान कर लिया गया है

Sl. No.	Sample Site (30.05.2024)	Sl. No.	Sample Site (30.05.2024)
1.	Parmia (INLET)	8.	Guptarghat (OUTLET)
2.	Parmia (OUTLET)	9.	Golaghat (INLET)
3.	Rameshwar (INLET)	10.	Golaghat (OUTLET)
4.	Rameshwar (OUTLET)	11.	Sati Chauraha (INLET)
5.	Ranighat (INLET)	12.	Sati Chauraha (OUTLET)
6.	Ranighat (OUTLET)	13.	Dabka Drain (INLET)
7.	Guptarghat (INLET)	14.	Dabka Drain (OUTLET)

धन्यवाद।

संलग्नक: उपर्युक्त रिपोर्ट

भवदीय,

(आरपीबीडी)

विश्वविद्यालय भवन, 31, भा. मा. मार्ग, लखनऊ-226001, उ.प्र. भारत  
Vishwgyan Bhawan, 31, M.C. Marg, Lucknow-226001, U.P. India

विश्वविद्यालय भवन, आरपीबीडी, कानपुर नगर निगम, कानपुर  
विश्वविद्यालय भवन, आरपीबीडी, कानपुर नगर निगम, कानपुर  
CRK Campus, Ghera, Sarojini Nagar Industrial Area, Kanpur Road, Lucknow-201001

Phone: +91-522-2613357, 2621866, 2628278, 2621877 (CRK Campus), Fax: +91-522-2625277, e-mail: director@siarraia.org, director@iitr.res.in, iitr@iitr.res.in, iitr@iitr.res.in, iitr@iitr.res.in, www.iitr.res.in

2741



सीएसआईआर - भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW - 226001 U.P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2626227 Email: director@iitrindia.org  
 www.iitrindia.org



TC-7103

### DRAIN WATER ANALYSIS REPORT

1. Name of analyzing laboratory : Water Analysis Lab Date: 11<sup>th</sup> June, 2024  
 2. Nature / type of sample(s) : GAP-452, (Drain Water Sample, Kanpur).  
 3. Sealed/Unsealed : Unsealed  
 4. Date of receipt : 30<sup>th</sup> MaY, 2024  
 5. Method of Analysis : As per APHA/AWWA; 23<sup>rd</sup>Edn.(2017)  
 6. Sample Collected by : IITR & Nagar Nigam Staff

S. No.	Sampling Site	RESULT	RESULT mg/L	RESULT mg/L	RESULT mg/L
		pH (4500-H <sup>+</sup> B)	Total Suspended Solids (2540-D)	COD (5220-C)	BOD (5210-B)
1.	Parmia (INLET)	7.83	178.00	218.62	70.00
2.	Parmia (OUTLET)	7.63	52.00	54.66	20.00
3.	Rameshwar (INLET)	7.81	248.00	296.70	80.00
4.	Rameshwar (OUTLET)	7.88	72.00	85.88	22.50
5.	Ranighat (INLET)	7.78	244.00	296.00	90.00
6.	Ranighat (OUTLET)	7.87	68.00	70.72	24.00
7.	Guptarghat (INLET)	7.56	238.00	327.94	105.00
8.	Guptarghat (OUTLET)	7.01	196.00	179.58	75.00
9.	Golaghat (INLET)	7.72	222.00	286.29	90.00
10.	Golaghat (OUTLET)	7.82	42.00	84.79	25.00
11.	Sati Chauraha (INLET)	7.64	224.00	247.25	80.00
12.	Sati Chauraha (OUTLET)	7.08	66.00	72.08	25.00
13.	Dabka Drain (INLET)	7.59	196.00	338.35	80.00
14.	Dabka Drain (OUTLET)	7.56	168.00	249.86	42.50
23.	Standard Uncertainty ±	0.14	2.8	2.92	5.60

Dr. NG Ansari

Dr. SATYAKAM PATNAIK

- The report pertains to the sample tested only.
- This report shall not be used or produced in fragments.
- This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor.
- CSIR-IITR is not regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances.

2742

सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
CSIR-INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् | COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH  
(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार) | MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY, GOVT. OF INDIA

डॉ. अंकुर गोयल  
Dr. Ankkur Goel  
वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक, आरपीबीडी  
Sr. Principal Scientist, RPBD

CSIR-IITR/RPBD/SSP-480/2024  
दिनांक: 09-07-2024

सेवा में-

मेसर्स विशान्त चौधरी ठेकेदार  
4, चित्रांजली कॉलोनी, स्वरण जयंती नगर,  
अलीगढ़ - 202 001 (उत्तर प्रदेश)

विषय : विश्लेषण रिपोर्ट का प्रेषण -

महोदय,

आईआईटीआर एवं कानपुर नगर निगम स्टाफ द्वारा एकत्रित किए गए Drain water sample of Kanpur के नमूनों की विश्लेषण रिपोर्ट इस पत्र के साथ संलग्न है।

Report no:	SSP-480
Report Signed by:	Dr. N.G. Ansari /Dr. Satyakam Patnaik
Your reference no. letter:	S. no.-BIO/2/24-25 Dated: 24.05.2024
Sample collected by:	IITR and Nagar Nigam staff
Sample and plan procedure:	Drain Water Samples
Date of sampling:	13-06-2024
Environment condition during sample:	Normal
Sample condition:	Unscaled
Source of sampling:	Kanpur Nagar Nigam, Kanpur

नमूनों हेतु आपके संदर्भ को हमारे आंतरिक आईआईटीआर कोड सं. से मिलान कर लिया गया है

Sl. No.	Sample Site (13.06.2024)	Sl. No.	Sample Site (13.06.2024)
1.	Parmia (INLET)	8.	Guptarghat (OUTLET)
2.	Parmia (OUTLET)	9.	Golaghat (INLET)
3.	Rameshwar (INLET)	10.	Golaghat (OUTLET)
4.	Rameshwar (OUTLET)	11.	Sati Chauraha (INLET)
5.	Ranighat (INLET)	12.	Sati Chauraha (OUTLET)
6.	Ranighat (OUTLET)	13.	Dabka Drain (INLET)
7.	Guptarghat (INLET)	14.	Dabka Drain (OUTLET)

धन्यवाद।

संलग्नक: उपर्युक्त रिपोर्ट

भवदीय,

(आरपीबीडी)

विश्वग्राह भवन 31, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ-226001, उ.प्र., भारत  
Vishvgrah Bhawan, 31, M.G Marg, Lucknow-226001, U.P., India

विश्वग्राह भवन, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र Toxicology Group कैंपस  
वीश्वग्राह भवन, कानपुर औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर रोड, लखनऊ - 226008  
CRK Campus: Granu, Sanyal Nagar Industrial Area, Kanpur Road, Lucknow - 226008

Phone: +91-522-2613357, 2621855, 2638228, 2391872 (CRK Campus); Fax: +91-522-2628227, 2611547  
Email: director@iittr.res.in, iittr@iittr.res.in, iittr@iittr.res.in, iittr@iittr.res.in, iittr@iittr.res.in

2743



सीएसआईआर – भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ – 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW – 226001 U P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2626227 Email: director@iitrindia.org  
 www.iitrindia.org



### DRAIN WATER ANALYSIS REPORT

1. Name of analyzing laboratory : Water Analysis Lab Date: 21<sup>st</sup> June, 2024  
 2. Nature / type of sample(s) : GAP-452, (Drain Water Sample, Kanpur).  
 3. Sealed/Unsealed : Unsealed  
 4. Date of receipt : 13<sup>th</sup> June, 2024  
 5. Method of Analysis : As per APHA/AWWA; 23<sup>rd</sup>Edn.(2017)  
 6. Sample Collected by : IITR & Nagar Nigam Staff

S. No.	Sampling Site	RESULT	RESULT mg/L	RESULT mg/L	RESULT mg/L
		pH (4500-H <sup>+</sup> B)	Total Suspended Solids (2540-D)	COD (5220-C)	BOD (5210-B)
1.	Parmia (INLET)	7.25	182.00	351.36	60.00
2.	Parmia (OUTLET)	7.26	56.00	78.08	16.00
3.	Rameshwar (INLET)	7.22	244.00	351.36	55.00
4.	Rameshwar (OUTLET)	7.24	68.00	93.70	14.00
5.	Ranighat (INLET)	7.09	248.00	273.28	70.00
6.	Ranighat (OUTLET)	7.14	72.00	78.08	20.00
7.	Guptarghat (INLET)	7.08	234.00	312.32	75.00
8.	Guptarghat (OUTLET)	7.06	70.00	93.70	22.00
9.	Golaghat (INLET)	7.12	226.00	390.40	80.00
10.	Golaghat (OUTLET)	7.25	46.00	93.70	24.00
11.	Sati Chauraha (INLET)	7.19	220.00	347.02	65.00
12.	Sati Chauraha (OUTLET)	7.23	62.00	97.60	18.00
13.	Dabka Drain (INLET)	7.41	204.00	303.64	90.00
14.	Dabka Drain (OUTLET)	7.26	60.00	81.33	26.00
23.	Standard Uncertainty ±	0.14	2.8	2.92	5.60

Dr. NG Ansari

Dr. SATYAKAM PATNAIK

- The report pertains to the sample tested only.
- This report shall not be used or produced in fragments.
- This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor.
- CSIR-IITR is not regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances.

2744

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

TEST REPORT: WATER LABORATORY (SURFACE WATER)

Ref no-16931166/Kanpur Nagar/2022

Date: 12/07/2022

- 1- Sample Location: Sattichaura Drain Pre
- 2- District: Kanpur nagar
- 3- Address: Kanpur
- 4- Sample Source: Drain
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Sandeep Kumar Soniyal , JRF
- 7- Odour : Other
- 8- Quantity and Packing : 1 Ltr
- 9- Date of Sample Collection : 30/06/2022
- 10- Analyis Indented by : RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab : 30/06/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH, 4500 H B Electronic method	-	7.25	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	78	5.0 -10000 mg/l
BOD. 3 day 27 0C IS 3025 ( Part 44): 1993 Bio	mg/l	48	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	120	4.0 -1000 mg/l

Remark:\* - NA

Analysed by

[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]

Authorized by  
CHITRA  
SRIVASTAVA  
Chitra Srivastava SO

Digitally signed by  
CHITRA SRIVASTAVA  
Date: 2022.07.12  
07:51:42 +05'30'

AMIT  
MISHRA  
Regional Officer

Digitally signed  
by AMIT MISHRA  
Date: 2022.07.12  
15:17:25 +05'30'

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

2745

## Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 0C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>

2746

REGIONAL LABORATORY KANPUR  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD  
5243, Sadbhavana nagar, Awas vikas phase-3, Kalyanpur, Kanpur-17

**TEST REPORT: WATER LABORATORY(SURFACE WATER)**

Ref no-16931530/Kanpur Nagar/2022

Date:12/07/2022

- 1- Sample Location: Ranighat Drain Post
- 2- District: Kanpur nagar
- 3- Address: Kanpur
- 4- Sample Source: Drain
- 5- Type of sample : Surface Water
- 6- Sample Collected By : Sandeep Kumar Soniyal , JRF
- 7- Odour : Other
- 8- Quantity and Packing : 1 Ltr
- 9- Date of Sample Collection : 30/06/2022
- 10- Analysis Indented by : RO Kanpur Nagar
- 11- Date of sample receipt in Lab : 30/06/2022

Parameter	Unit	Results	Detection Range
pH,4500 H B Electronic method	-	7.18	02-12
Suspended Solids , 2540 D Total Suspended Solids dried at 103-105 0C	mg/l	52	5.0 -10000 mg/l
BOD, 3 day 27 0C IS 3025 ( Part 44): 1993 Bio	mg/l	24	1.0 -1000 mg/l
COD, 5220 B Open Reflux Method	mg/l	90	1.0 -1000 mg/l

Remark:\* - NA

Analysed by

[Sandeep Kumar Soniyal (JRF)]

Authorized by  
CHITRA  
SRIVASTAVA  
Chitra Srivastava SO

Digitally signed by  
CHITRA SRIVASTAVA  
Date: 2022.07.12  
07:52:39 +05'30'

AMIT  
MISHRA  
Regional Officer

Digitally signed  
by AMIT MISHRA  
Date: 2022.07.12  
15:15:58 +05'30'

Note: 1 The results in the Test Report relate only to the items tested; 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

2747

## Water Quality Criteria

Designated-Best-Use	Class of water	Criteria
Drinking Water Source without conventional treatment but after disinfection	A	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 50 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 6mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 2mg/l or less
Outdoor bathing (Organised)	B	Total Coliforms Organism MPN/100ml shall be 500 or less pH between 6.5 and 8.5 Dissolved Oxygen 5mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Drinking water source after conventional treatment and disinfection	C	Total coliforms Organism MPN/100ml shall be 5000 or less pH between 6 to 9 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Biochemical Oxygen Demand 5 days 20 0C 3mg/l or less
Propagation of Wild life and Fisheries	D	pH between 6.5 to 8.5 Dissolved Oxygen 4mg/l or more Free Ammonia (as N) 1.2 mg/l or less
Irrigation, Industrial Cooling, Controlled Waste disposal	E	pH between 6.0 to 8.5 Electrical Conductivity at 25 0C micro mhos/cm Max. 2250 Sodium absorption Ratio Max. 26 Boron Max. 2mg/l

Source: <http://www.cpcb.nic.in/wqstandards/>

2748

# AMAR PHARMACEUTICALS & LABS (INDIA) PVT. LTD.

(ANALYTICAL DIVISION)

107, B-2, DADA NAGAR, KANPUR (U.P.)-208022  
Office : 0512-2242652, 8726033666, Fax No.: 0512-2242652

ISO ACCREDITED LABORATORY  
(TC-6397)

E-mail: amarpharma107@gmail.com

Ayush Approved Laboratory  
UP/01/2018/0112/21

## CERTIFICATE OF ANALYSIS


Format No.: 7.8F-01(B)


Customer Name and Address:	Bioxgreen Technology Pvt. Ltd. Ghatala tower , 3 <sup>rd</sup> floor, 19 Avenue road, Nungambakkam, Chennai - 600034		
Name of Sample	BXG/Kan/Pan-In-27112024-01	Date of receipt of Sample:	27/11/2024
Batch No.:	NA	Date of Testing Perform:	27/11/2024
Date of Mfg :	NA	Date of Expiry:	NA
Sample Qty.:	1000 ml.	Date of Issue :	30/11/2024
Job Order No.	0704A/APL/24-25	Method Used:	As per IS

### TESTING RESULTS

S. No.	Test Parameters	Unit of Measurement	Results	Limits
1.	pH	--	6.90	--
2.	Total Suspended Solid	mg/l	466	--
3.	B.O.D. (3 days at 27 °C)	mg/l	87.50	NMT 30
4.	C.O.D.	mg/l	267.14	NMT 250

Remarks: Non-Complies in B.O.D. and C.O.D. Parameters.

Reviewed by: 



Authorised by:  
Mr. Sarvesh Dubey  
( Technical Manager

Note:

This Test Report refers only to the particular item(s) submitted for testing.  
The test results reported in this report are valid at the time of and under the stated condition of measurement.  
This particular Test Report cannot be reproduced except in full, without prior permission of Quality Manager

\*\*\*\*\*END OF THE REPORT\*\*\*\*\*

Annexure No. -3

ई-मेल

प्रेषक,

निदेशक,  
जे०के०कैंसर संस्थान,  
कानपुर ।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
क्षेत्रीय कार्यालय,  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
कानपुर नगर

पत्रांक 1228-31 / जेके / 2024

दिनांक 31.12.2024

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 985/2019, ओ०ए० 986/2019 एवं ओ०ए० 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्र संख्या- 1958/सा-147/2024, दिनांक 17.12.2024, के सन्दर्भ में संस्थान से सम्बन्धित मांगी गई बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित है-

बिन्दु सं०	बिन्दु	आख्या
3	Referring to the conditions noticed at Kanpur Nagar, she pointed out the status and extent of pollution in Atal Ghat Nawab Ganj, Kanpur. The lack of adequate basis facilities in J.K.Cancer Hospital. The status of Gola Ghat drain and the improper functioning of STP Bingawa. Learned Amicus Curiae submits the imae 12 of the report.	यह संस्थान उ०प्र० सरकार का कैंसर विशिष्टता का राजकीय अस्पताल है। संस्थान में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में आने वाले कैंसर रोगियों को भर्ती कर के रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी द्वारा उपचारित किया जाता है। संस्थान से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था मेडिकल पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिदिन निस्तारित कराया जाता है। संस्थान की साफ-सफाई व्यवस्था ठीक रखी जाती है।
9	She has also submitted that she visited the cancer hospital at Knapur Nagar where she found the patients in very bad condition just waiting to die.	संस्थान में आने वाले कैंसर रोगियों को संस्थान में उपलब्ध परीक्षण राजकीय दर पर एवं औषधियां/कन्ज्युबिल/सर्जिकल सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। संस्थान द्वारा प्रत्येक भर्ती मरीज को 01 लीटर दूध प्रतिदिन एवं रामरोटी संस्था के माध्यम से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

भवदीय

निदेशक

पत्रांक

/जेके/2024, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जे०के०कैंसर संस्थान, कानपुर।

निदेशक



# Annexure-4 2750R प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No : G44671 /C-2/NGT CELL-46/2025

दिनांक

Date : 17.01.2025

सेवा में,

अनु सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
अनुभाग-7,  
उ०प्र० शासन।

**विषय-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर के पत्रांक 2111/सा-147/25 दिनांक 12/01/2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :-

### Improper functioning of STPs in Kanpur Nagar

- i. Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar are being monitored by U.P. Pollution Control Board through its Regional Office regularly and discharge is monitored on weekly basis. That the inspections are carried out at different timings to ensure surprise inspections for effective monitoring. That the STPs maintain logbooks for maintenance of records related to hourly discharges at outlet through the flow meter. That the records and logbooks are examined by inspecting officials during inspections to monitor the state of functioning of the STP and also to check the discharges during night time. A status of sewage treatment plant in Kanpur Nagar in tabulated format is mentioned below:

Status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar Uttar Pradesh (as on January 07,2025)							
• Commissioned STPs – 06 with designed capacity – 482 MLD							
Sr No	Status	Compliance Status w.r.t MoEF&CC norms dated 13.10.2017					
1	Complying	2					
2	Non-complying	4					
Operational and Compliance status of Sewage Treatment Plants in Kanpur Nagar,U.P.							
S. No	Name of STPs	Ganga Front Town	Treatment Technology	Designed Capacity (MLD)	Date of Inspection	Operational /Non-Operational Status	Compliance Status w.r.t MoEF&CC norms dated 13.10.2017
1	130 MLD Jajmau STP Kanpur	Kanpur	ASP	130	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
2	Jajmau (43 MLD) Kanpur	Kanpur	ASP	43	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
3	Jajmau (36 MLD Old CETP) Kanpur	Kanpur	UASB	27	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
4	Bingawan (210 MLD) STP,	Kanpur	UASB	210	07.01.2025	Operational	Non-complying BOD & FC
5	Sajari (42 MLD) STP, Kanpur	Kanpur	ASP	42	07.01.2025	Operational	Complying BOD,TSS & FC
6	Pankha (30 KLD) STP	Kanpur	SBR	30	07.01.2025	Operational	Complying BOD,TSS & FC

- ii. U.P. Pollution Control Board has imposed Environmental Compensation against the operator of CETP and STPs at Jajmau Kanpur i.e. Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam (Rural/Urban), Kanpur. M/s Kanpur River Management Pvt. Ltd., Kanpur from time to time on the basis of different defaults. The details of action taken is summarized in tabular form below:-

Sl. No.	Reason of Action Taken	Total Environmental Compensation in Rs/-	Action Taken
1	Due to not achieving the standards at the outlet of 130 MLD STP and 43 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	4,00,000	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN (Rural) Kanpur.
2	Due to not achieving the standards at the outlet of 43 MLD STP, 130 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	5,18,57,500	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
3	Due to not achieving the standards at the outlet of 5 MLD STP at Jajmau, Kanpur.	56,85,500	Imposition of environmental compensation against Ganga Pollution Control Unit GPCU, UPJN (Urban) Kanpur.
4	Due to not achieving the standards at the outlet of 210 MLD STP at BINGAWN, Kanpur.	3,66,25,000	Imposition of environmental compensation against Kanpur River Management Pvt Ltd.
	<b>Total</b>	<b>9,45,68,000/-</b>	

The details of imposition of Environmental Compensation is being collectively enclosed as **Annexure No. -1.**

#### **Functioning of CETP at Jajmau, Kanpur**

- iii. 20 MLD Common Effluent Treatment Plant at Jajmau, Kanpur has been installed by National Mission for Clean Ganga and Executing agency Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA). The Special Purpose Vehicle "Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA)" of member tannery units and district administration headed by District Magistrate, Kanpur Nagar has been formed. CETP at Jajmau, Kanpur is having capacity of 20 MLD to treat tertiary treatment along with Dilution facility with treated sewage. All the tannery units discharge primary treated effluent through existing conveyance channel, which is further pumped through 04 new tannery pumping stations located on these nalas, namely Sheetla Bazar, Chhablepurwa, Wajidpur Nala and Budhia Ghat Nala at Jajmau respectively. The Process flow chart of 20 MLD CETP at Jajmau, Kanpur Nagar is enclosed as **Annexure No. 2.**
- iv. The maintenance of conveyance channel, tannery pumping stations and operation of 20 MLD CETP is done by Jajmau Tannery Effluent Treatment Association (JTETA), Kanpur. The treated CETP effluent gets further diluted with treated effluent of 130 MLD, 43 MLD and 36 MLD Old CETP (using as STP) at the premises of 20 MLD CETP Jajmau before being finally discharged into irrigation channel. The 130 MLD, 43 MLD STPs are also operated and maintained by operator M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur selected by UP Jal Nigam (Rural) and 36 MLD old CETP (w.e.f dated 08/08/2024; 09 MLD tannery effluent from the old 36 MLD CETP has been diverted for treatment at 20 MLD CETP then old CETP using as STP) are operated and maintained by UP Jal Nigam (Urban).
- v. 20 MLD Common Effluent Treatment Plant in Jajmau, Kanpur Nagar is being monitored by the UPPCB through its Regional office on weekly basis. 20 MLD CETP is operational and operating at a utilized capacity of approx 12.50 MLD. The CETP is operating with valid CCA (Consolidated Consent & authorization) for period upto 31/12/2028. Treated effluent at outlet of CETP is presently complying w.r.t. treated effluent discharge standards notified by MoEF&CC vide notification dated 09/09/2024 under E (P) Act, 1986 after mixing of treated effluent of CETP with treated effluent of all three STPs (130 MLD, 43 MLD and 36 MLD old CETP).

**Presence of Mercury and Chromium in the blood of some patients in Rakhi Mandi, Afeem Kothi area along with other medical conditions.**

- vi. Regional Officer, UPPCB, Kanpur Nagar vide letter no. 1958/SA-147/2024 dated 17.12.2024 has instructed Chief Medical Officer - Kanpur to conduct medical camps by CSIR- IITR, Lucknow at the sites of Juhi Baburia (Rakhi Mandi), Afeem Kothi (Rakhi Mandi), Kanpur, Ruma Treatment Storage Disposal Facility, Panki Industrial Area, Jajmau Industrial Area, Nauraiya Kheda, Tezab Mill Campus, Anwarganj in district Kanpur Nagar. Copy of the letter dated 17.12.2024 of the Regional Officer, UPPCB, Kanpur office is enclosed as **Annexure No. – 3**.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में जनपद कानपुर नगर से सम्बंधित उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,



(संजीव कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

संदर्भ सं०  
Ref. No. ....

1135102

/सि-2/N.G.T. Cell/M-2/2019

दिनांक 25-4-19  
Date .....

सेवा में,

महाप्रबंधक  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम,  
कानपुर नगर।

पंजीकृत

Diary No. 287  
File No. ....  
File S. No. ....  
Date 04/5/19

विषय- जाजमऊ स्थित एस०टी०पी० का संचालन दिनांक 16.04.2019 से बन्द होने के कारण अशोधित घरेलू सीवेज का निस्तारण सीधे गंगा नदी में होने के दृष्टिगत मा० एन०जी०टी० द्वारा ओ०ए० सं० 200/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.17 के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया अवगत हों कि जाजमऊ स्थित एस०टी०पी० का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 19.04.19 को तथा जिला स्तरीय अन्तर्विभागीय समिति द्वारा दिनांक 20.04.2019 को किया गया। क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2019 द्वारा प्राप्त निरीक्षण आख्याओं के अनुसार जाजमऊ स्थित कॉमन सीवेज पम्पिंग स्टेशन से 130 एम०एल०डी०, 43 एम०एल०डी० एवं 05 एम०एल०डी० एस०टी०पी० को सम्प्रेषण हेतु स्थापित 1500 एमएम० सीवर लाइन फट जाने के कारण एस०टी०पी० पर घरेलू उत्प्रवाह दिनांक 16.04.2019 को प्रातः 2:30 बजे से सम्प्रेषित नहीं किया जा रहा है तथा सी०एस०पी०एस० पर प्राप्त हो रहे घरेलू उत्प्रवाह को बाईपास कर बिना शुद्धिकरण के सीधे गंगा नदी में निस्तारित किया जा रहा है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के पृष्ठ सं०-465 पर उल्लिखित आदेश के अंश निम्नवत हैं -

....."Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgement and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the STP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default. ....

.....The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by the Tribunal .....

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 21.04.19 द्वारा सी०एस०पी०एस० पर प्राप्त हो रहे घरेलू सीवेज को बिना शुद्धिकरण के सीधे गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर नगर पर दिनांक 16.04.2019 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

-2-


अतः मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के अनुक्रम में उत्तरदायी संस्था गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर पर रू० 50,000/- प्रति उल्लंघन की दर से दिनांक 16.04.2019 से अद्यतन निरीक्षण दिनांक 20.04.2019 तक अर्थात् 05 दिनों हेतु, सी०एस०पी०एस० से अशोधित घरेलू सीवेज का गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत रू० 2,50,000.00 (दोई लाख मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है. तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में प्रकृत सप्ताह के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करने सुनिश्चित करें।

भवदीय

(आशीष तिवारी)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश के साथ कि गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर से उपरोक्तानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

  
सदस्य सचिव

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
2755  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

66

Ref. No. 456795  
सेवा में,

परियोजना प्रबंधक  
मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम,  
कानपुर।

दिनांक 01-02-2021  
Date

पंजीकृत

विषय:- मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के अनुसार मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर द्वारा सी०ई०टी०पी०, जाजमऊ से शोधित उत्प्रवाह के सतत अनुश्रवण हेतु स्थापित ऑनलाईन कान्डीनुअस एफ्लुएण्ट मॉनीटरिंग सिस्टम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार दिनांक 02.12.2020 को TSS & COD दि० 17.12.2020 को TSS, COD & BOD एवं दि० 18.12.2020 को TSS & COD की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पायी गयी है। जिससे स्पष्ट होता है कि सी०ई०टी०पी० जाजमऊ का संचालन प्रभावी रूप से नहीं किया गया है तथा अशोधित उत्प्रवाह प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 एम०सी० मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के पृष्ठ सं०-465 पर उल्लिखित आदेश के अंश निम्नवत हैं -

"Any Government Agency, Public Authority, Industry or person who violates any of the directions contained in this judgement and more particularly in relation to storage, transportation of spent chrome liquor, dumping of any kind of waste in river Ganga and its tributaries or on the banks of the same and discharges effluents from outlet, including the SIP/CETP in violation to the prescribed norms or is found to be discharging spent chrome liquor or any effluent containing chrome or otherwise, shall be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- for each breach or default. Besides above, where offence is related to chrome, in case of industry which is processing 30 or less hides per day, they would be liable to pay environmental compensation of Rs. 25,000/- per breach; industry entitled to process more than 30 but less than 100 hides per day, would be liable to pay environmental compensation of Rs. 50,000/- per breach and the industry processing more than 100 hides per day, Rs. 1,00,000/- per breach. The environmental compensation shall be recovered by the UPPCB on the basis of the violations detected by the Board, any of the inspecting agency or the inspection teams appointed by this Tribunal. In the event of default of payment of the environmental compensation, the industry shall be ordered to be closed."

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-200/2014 में पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 के अनुसार उद्योग द्वारा किये गये जलीय प्रदूषण से पर्यावरण पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति उल्लंघन हेतु रू० 50,000/- (रू० पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जानी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ०प्र० जल निगम, कानपुर पर दिनांक 02.12.2020, 17.12.2020 एवं 18.12.2020 को 03 दिनों की उल्लंघन अवधि हेतु कुल रूपये 1,50,000/- (रू० एक लाख पचास हजार मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com Third Party

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.com

वेबसाइट : www.uppcb.com

प्रतिलिपि :-

4. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
6. लेखाधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

E

LAK

MLH



2757

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No. H62110 /C-2/Water-1706/Kanpur

सेवा में,

दिनांक

Date 4-6-2021

पंजीकृत

प्रोजेक्ट मैनेजर,  
मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि०,  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101(एफएफ)  
कानपुर नगर।

**विषय-** वाजिदपुर, जाजमऊ के सी.ई.टी.पी. परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत संयंत्र संचालनकर्ता संस्था मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानसार जाजमऊ कानपुर स्थित 36 MLD CETP के शोधित उत्प्रवाह को 130 MLD STP के ट्रीटेड एफ्लूएन्ट पम्प हाउस (T.E.P.H.) के सम्प में प्रेषित किया जाता है जोकि 130 MLD STP के शोधित सीवेज के साथ मिश्रित कर इरिगेशन चैनल को सम्प्रेषित किया जाता है। 130 MLD STP का संचालन दिनांक 01.03.2021 से मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा० लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर द्वारा किया जा रहा है। मै० कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्रा० लि० द्वारा 130 MLD STP के मरम्मत कार्य सम्बन्धी सूचना/कार्ययोजना क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित नहीं गयी है एवं न ही सक्षम स्तर से कोई अनुमति प्राप्त की गयी है। आख्यानसार T.E.P.H. पर स्थापित 11 नग पम्प में से मात्र 08 नग पम्प ही क्रियाशील अवस्था में है। 130 MLD STP व 36 MLD CETP से सम्प में प्रेषित सम्पूर्ण शोधित उत्प्रवाह को इरिगेशनल चैनल में पम्प न किये जाने के कारण सम्प में भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। Sluice Gate को आंशिक खोलकर एयरफोर्स नाले में उत्प्रवाह निस्तारित किये जाने से, सम्प में अधिक भराव की स्थिति में Back Flow के कारण शोधित मिश्रित टैनरी उत्प्रवाह भी गंगा नदी में पहुँचना सम्भावित है। नियमित निरीक्षण में T.E.P.H. के सम्प से पूर्व स्थित Sluice Gate से शोधित सीवेज एयरफोर्स नाले में निस्तारित किये जाने एवं सी.एस.पी.एस. से अशोधित सीवेज बाईपास किये जाने, जोकि अन्ततः गंगा नदी में मिलता है, का विवरण निम्नवत् है:-

क्र.सं.	दिनांक	टी.ई.पी.एच. से ओवरफ्लो/बाईपास	सी.एस.पी.एस० से ओवरफ्लो/बाईपास
1.	18.03.2021	हॉ	हॉ
2.	19.03.2021	हॉ	हॉ
3.	20.03.2021	हॉ	हॉ
4.	22.03.2021	हॉ	हॉ
5.	23.03.2021	हॉ	हॉ
6.	24.03.2021	हॉ	-
7.	25.03.2021	हॉ	-
8.	06.04.2021	हॉ	हॉ
9.	18.05.2021	हॉ	हॉ
10.	22.05.2021	हॉ	हॉ
11.	24.05.2021	-	हॉ
12.	25.05.2021	हॉ	हॉ
13.	27.05.2021	हॉ	हॉ
14.	28.05.2021	हॉ	हॉ
15.	29.05.2021	हॉ	हॉ
16.	31.05.2021	हॉ	हॉ
17.	01.06.2021	हॉ	हॉ
18.	02.06.2021	हॉ	हॉ
19.	03.06.2021	हॉ	हॉ

कुल 19 दिवसों में उत्लंघन पाया गया है जिन तिथियों में उत्प्रवाह का गंगा नदी में निस्तारण अवलोकित हुआ है।

PTO

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 से एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में उत्प्रवाह निरस्तारण रोके जाने हेतु महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से दिनांक 20.03.2021, 22.03.2021, 26.03.2021, 19.05.2021 व 01.06.2021 को पत्र प्रेषित किये गये हैं तथा बोर्ड मुख्यालय, के पत्र दिनांक 13.04.2021 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। जिलाधिकारी महोदय, कानपुर द्वारा नगर आयुक्त, कानपुर, महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, कानपुर तथा परियोजना प्रबन्धक, मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0) के साथ दिनांक 28.05.2021 को बैठक कर गंगा नदी में उत्प्रवाह निरस्तारण के सम्बन्ध में सतत निगरानी हेतु निर्देशित किया गया था तथा पत्र संख्या 2654/एस.टी./2021 दिनांक 28.05.2021, प्रमुख सचिव, राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0, लखनऊ को इस सम्बन्ध में संचालनकर्ता को उच्च स्तर से आवश्यक निर्देश हेतु प्रेषित किया गया है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PlxNxRxSxLF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 37500/- प्रतिदिन आती है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्यानुसार दिनांक 18.03.2021 से 06.04.2021 के मध्य कुल 08 उल्लंघन दिवसों हेतु आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये (37500x8)=3,00,000/- तथा दिनांक 18.05.2021 से 03.06.2021 के मध्य कुल 11 उल्लंघन दिवसों को Repeated Violation मानते हुए Deterrent effect को सम्मिलित कर प्रतिदिन के आधार पर आगणित धनराशि को दो गुना कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये (37500x2x11)=8,25,000/- के अनुसार 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर के पत्र दिनांक 03.06.2021 द्वारा प्राप्त आख्या एवं संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में वाजिदपुर, जाजमऊ के सी.ई.टी.पी. परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त 130 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रुपये 11,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं सम्बंधित अधिकारियों का होगा।

सी.ई.टी.पी. जाजमऊ परिसर में स्थित 130 एम.एल.डी. एस0टी0पी0 के टी.ई.पी.एच. एवं सी.एस.पी.एस. से शोधित/अशोधित उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित किया गया है जोकि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-24 का उल्लंघन है। जिसके लिये संचालनकर्ता संस्था मै0 कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0 (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा0 लि0), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के साथ जल अधिनियम की धारा-47 के अन्तर्गत संचालनकर्ता संस्था के दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी उत्तरदायी हैं।

अतः यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न संचालनकर्ता संस्था एवं उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-43/44 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण एक सप्ताह में बोर्ड को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में की गयी विधिक कार्यवाही हेतु संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर नगर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से एस0टी0पी0 संचालक से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. महाप्रबन्धक, गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान निर्धारित समयवाधि में कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि बोर्ड के खाते में जमा कराये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि निर्धारित समयसीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी, कानपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

A

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com



2759

70

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR-PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No.....

H78513

/सी-शुजल-1647/क्षतिपूर्ति/22 दिनांक 15-7-22  
Date.....

सेवा में,

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)  
3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल,  
जनपद-कानपुर नगर।

**विषय:** मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 18.06.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार वाजिदपुर, जाजमऊ स्थित एयरफोर्स नाले के माध्यम से उत्प्रवाह को गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० व 36 एम०एल०डी० सी०ई०टी०पी० का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक की अवधि में किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार जाजमऊ स्थित 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. एवं 36 एम.एल.डी. सी.ई.टी.पी. का शोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किया गया है, जिससे गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जोकि पर्यावरण अधिनियमों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के पुनः निरीक्षण दिनांक 18.06.2022 को क्षतिग्रस्त राइजिंग मेन का मरम्मत कार्य पूर्ण कर सयंत्रों का संचालन सुचारु रूप से किया जाना पाया गया तथा उत्प्रवाह गंगा नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

अतः 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. से सम्बद्ध टी.ई.पी.एच. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 09 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रु० 37,500/- (रु० सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days)=1, R (Panalty in Rs.)= 250, S (Factor for scale of operation, small) =1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार दिनांक 09.06.2022 से दिनांक 17.06.2022 तक 130 एम.एल.डी. एस.टी.पी. का शोधित/अशोधित उत्प्रवाह राइजिंग मेन क्षतिग्रस्त होने के कारण टी.ई.पी.एच. (ट्रीटेड इफ्लूएण्ट पम्प हाउस) का बाईपास गेट खोलकर एयरफोर्स नाले के माध्यम से गंगा नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत 09 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रु० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।


.....2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com 14 MLD


उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू० 3,37,500/- (तीन लाख सैंतीस हजार पाँच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।


सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)





# 2761

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. 1186436 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

दिनांक

Date 29.12.2022

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	8.06	60.0	86.0
4	25.11.22	7.49	34.5	78.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	1.5	1.25	8,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू0 8,25,000/- (रू0 आठ लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिय, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2763



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/22

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

1-2-23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	7.96	64.5	64.0
2	30.12.22	7.59	54.0	53.0
3	03.01.23	7.73	48.0	46.0
4	09.01.23	7.75	57.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S. (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23 )	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 6,37,500/- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

A/4/3 76

संदर्भ सं०  
Ref... 190123 / UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date 01/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.75	57.0	64.0
2	20.01.23	7.99	45.0	66.0
3	23.01.23	7.98	51.0	58.0
4	30.01.23	7.83	48.0	68.0
5	10.02.23	7.80	75.0	84.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरगाण 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	1.5	1.25	12,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 12,00,000/- (रू0 बारह लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विमूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref: 190/24/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 10/03/23

पंजीकृत

शेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी ऑपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.80	75.0	84.2
2	17.02.23	7.99	51.0	76.0
3	20.02.23	8.12	57.0	98.6
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	1.5	1.25	3,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू0 3,75,000/- (रू0 तीन लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2769



संदर्भ सं० 19/585  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 5-11-23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.02.23	8.12	57.0	98.6
2	27.02.23	8.19	48.0	98.2
3	10.03.23	8.08	40.0	87.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uddcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 6,75,000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०  
Ref: H/33397/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

# 2771 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक  
Date ....11/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

- \* विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23	8.01	48.0	84.0
2	28.04.23	8.20	42.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	1.5	1.25	787500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 787500/- (रू0 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Ales



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 192/02  
Ref: UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 18-4-23  
Date 18-4-23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	8.08	40.0	87.0
2	17.03.23	8.1	45.0	108.4
3	24.03.23	7.93	48.0	174.0
4	27.03.23	8.06	57.0	168.0
5	31.03.23	7.47	54.0	134.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	1.5	1.25	4,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 412500 /- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Draa



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

86

संदर्भ सं०

Ref. 194627/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date 30/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.04.23	8.20	42.0	74.0
2	01.05.23	7.54	45.0	78.0
3	12.05.23	7.92	39.0	68.0
4	15.05.23	7.85	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

2776

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.04.23 to 15.05.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 637500 /- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Spec  
30.05.23



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref.....UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.85	42.0	68.0
2	22.05.23	7.85	36.0	50.0
3	29.05.23	7.77	42.0	68.0
4	02.06.23	7.87	39.0	67.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010


Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Jk  
19/6/2023

2779



संदर्भ सं०

Ref: 19.1.12.3 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19.1.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.87	39.0	67.0
2	09.06.23	7.98	33.0	68.0
3	12.06.23	7.52	30.0	38.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	09 Days (From 03.06.23 to 11.06.23)	09	1.5	1.25	3,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 11.06.2023 में कुल 09 दिन की अवधि हेतु रू0 337500/- (रू0 तीन लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jti  
19/7/2023

2781



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....Mo3930.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 12/11/23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित्र उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.11.2023	7.86	36.0	62.0
2	14.11.2023	7.94	18.0	42.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	4 days (10.11.23 to 13.11.23)	4	1.5	1.25	1,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.11.2023 से 13.11.2023 में कुल 04 दिन की अवधि हेतु रू0 1,50,000/- (रू0 एक लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भक्तदीय  
  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

म/क  
  
 12.12.23

2783



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल-2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	02.04.2024	8.02	81.0	316.0
2	09.04.2024	7.92	54.0	324.0
3	16.04.2024	7.96	51.0	112.0
4	23.04.2024	8.07	48.0	106.2
5	30.04.2024	8.00	51.0	98.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010 Lucknow - 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppecb.com  
वेबसाइट www.unnch.com Web Site : www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppecb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	29 days (02.04.24 to 30.04.24)	29	1.5	1.25	10,87,500/-

अंतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 02.04.2024 से 30.04.2024 में कुल 29 दिन की अवधि हेतु रू0 10,87,500/- (रू0 दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
A/c  
24.05.24

Handwritten  
24.05.24

24/5/24

2785



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24



दिनांक: 4-7-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालगजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई से जून 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	30.04.2024	8.00	51.0	98.0
2	07.05.2024	7.89	42.0	126.0
3	14.05.2024	7.96	45.0	92.0
4	21.05.2024	7.84	48.0	86.0
5	28.05.2024	7.89	42.0	60.0
6	04.06.2024	7.69	40.5	68.0
7	11.06.2024	7.72	57.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन एस० टी० पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	42 Days (From 01.05.24 to 11.06.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000/- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के झापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollutin/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

केन्द्रीय  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
03/07/24 03.07.24

2787



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: A16236/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक 27/08/24  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)	फीकल कोलीफार्म (एम0पी0एन0/100 मि0ली0)
1	11.06.2024	7.72	57.0	76.0	84000
2	17.06.2024	7.82	51.0	86.0	120000
3	25.06.2024	7.76	48.0	64.0	84000
4	02.07.2024	7.98	42.0	58.0	110000
5	09.07.2024	8.02	46.5	42.0	120000
6	16.07.2024	7.80	45.0	52.0	140000
7	23.07.2024	7.98	51.0	54.0	130000
8	30.07.2024	8.10	45.0	48.0	130000
9	06.08.2024	8.01	48.0	112.0	150000
10	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com



उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0 टी0 पी0 से शोधित उत्प्रावाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500/- (रू0 तेईस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय  
  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
  
 27/08/24 27.08.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: H/18940 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 22/08/24  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एमओएलओडीओ एसओटीओपीओ जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एसओटीओपीओ) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एसओटीओपीओ के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एसओटीओपीओ/सीओएलओ/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एसओटीओपीओ से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उओप्रओ जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एसओटीओपीओ के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एसओटीओपीओ पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एसओटीओपीओ के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अगस्त से सितम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एसओटीओपीओ के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पीओएचओ	बीओओडीओ (मिग्राओ/लीओ)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्राओ/लीओ)	फीकल कोलीफार्म (एमओपीओएनओ/100 मिओलीओ)
1	13.08.2024	7.82	51.0	60.0	170000
2	20.08.2024	7.91	48.0	54.0	130000
3	27.08.2024	7.88	42.0	34.0	120000
4	03.09.2024	7.96	39.0	36.0	79000
5	10.09.2024	7.84	69.0	128.0	94000
6	17.09.2024	7.92	72.0	48.0	140000
7	24.09.2024	7.94	69.0	52.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एसओटीओपीओ के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन एसओटीओपीओ से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmai, Kanpur	42 Days (From 14.08.24 to 24.09.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000 /- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
22/10/24 (14)  
22.10.24  
27.10.24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक: 11-12-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
2	19.11.2024	7.79	42.0	60.0	79000
3	26.11.2024	7.81	37.5	60.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
11/12/24

  
11/12/24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक:

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- सितम्बर से नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	24.09.2024	7.94	69.0	52.0	94000
2	01.10.2024	7.88	72.0	68.0	70000
3	08.10.2024	8.00	39.0	52.0	140000
4	15.10.2024	7.94	42.0	78.0	120000
5	22.10.2024	8.00	36.0	88.0	110000
6	29.10.2024	7.91	42.0	84.0	94000
7	05.11.2024	7.96	45.0	48.0	79000
8	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	49 Days (From 25.09.24 to 12.11.24)	49	1.5	1.25	18,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन की अवधि हेतु रू0 18,37,500/- (रू0 अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति -
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय -
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में इसी लगाया गया -

Water Pollution  
Kanpur  
UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय



प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
25/11/24

25/11/24

25/11/24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक: 11-12-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 130 एम०एल०डी० एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.88	48.0	48.0	82000
2	19.11.2024	7.79	42.0	60.0	79000
3	26.11.2024	7.81	37.5	60.0	94000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	130 MLD Jajmau, Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 130 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
A.S.  
11/12/24

auth  
11/12/24

2797



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref: H86435 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date: 29.12.2022  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	7.9	147.0	202.0
2	11.11.22	7.92	138.0	202.0
3	19.11.22	8.16	57.0	82.0
4	25.11.22	8.2	42.0	86.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

AEE(F) SA  
15/11/23

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau Kanpur	22 Days (From 04.11.22 to 25.11.22)	22	0.5	1.25	2,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 22 दिन की अवधि हेतु रू0 2,75,000/- (रू0 दो लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक

Date 1-2-23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	8.23	39.0	49.0
2	30.12.22	7.68	39.0	47.0
3	03.01.23	7.72	42.0	36.0
4	09.01.23	7.94	42.0	46.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau Kanpur	17 Days (From 24.12.22 to 09.01.23)	17	0.5	1.25	2,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 09.01.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 2,12,500/- (रू0 दो लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 1190/117  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक 1-3-23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	09.01.23	7.94	42.0	46.0
2	20.01.23	8.15	42.0	62.0
3	23.01.23	7.92	51.0	56.0
4	30.01.23	7.75	51.0	46.0
5	10.02.23	7.59	60.0	54.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

2802

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	32 Days (From 10.01.23 to 10.02.23)	32	0.5	1.25	4,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 10.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 32 दिन की अवधि हेतु रू0 4,00,000/- (रू0 चार लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 190423/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 10/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिसत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.59	60.0	54.2
2	17.02.23	7.68	48.0	67.4
3	20.02.23	7.76	60.0	73.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

A50  
AEE(F)  
18/3/23

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	10 Days (From 11.02.23 to 20.02.23)	10	0.5	1.25	1,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 20.02.2023 में कुल 10 दिन की अवधि हेतु रू0 1,25,000/- (रू0 एक लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2805



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्थूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	20.02.23	7.76	60.0	73.0
2	27.02.23	7.9	42.0	72.4
3	10.03.23	7.89	57.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010

Phone

: 0522-2720831, 2720828

Fax

: 0522 - 2720764

Email

: info@uppcb.com

Web Site

: www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 21.02.23 to 10.03.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 21.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 2,25,000/- (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 18-4-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	7.89	57.0	72.0
2	17.03.23	7.96	42.0	96.0
3	24.03.23	7.88	45.0	52.0
4	27.03.23	7.91	54.0	66.0
5	31.03.23	7.61	51.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.unnch.com

2808

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	0.5	1.25	262500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



संदर्भ सं०

Ref.H.1.2.5.96/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

120

दिनांक

Date 25/4/2023

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	31.03.23	7.61	51.0	52.0
2	06.04.23	7.51	42.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	06 Days (From 01.04.23 to 06.04.23)	6	0.5	1.25	75,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन की अवधि हेतु रू0 75000/- (रू0 पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला





संदर्भ सं०

Ref. 11.9.2395 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

122

दिनांक

Date 11.05.2023

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	17.04.23	7.90	51.0	52.0
2	28.04.23	8.09	51	90.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	11 Days (From 18.04.23 to 28.04.23)	11	0.5	1.25	1,37,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 18.04.2023 से 28.04.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 137500/- (रू0 एक लाख सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ofc  
Date

2813



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date 19-6-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रयालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	15.05.23	7.73	36.0	63.0
2	22.05.23	7.41	45.0	54.0
3	29.05.23	8.01	45.0	70.2
4	02.06.23	7.83	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operatlon)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 225000/- (रू0 दो लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c Jt  
19/6/2023

2815



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref: 191993 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.83	42.0	68.0
2	09.06.23	8.06	42.0	42.6
3	12.06.23	8.04	39.0	36.0
4	16.06.23	8.45	46.0	34.0
5	19.06.23	7.56	42.0	48.2
6	23.06.23	7.64	39.0	54.0
7	26.06.23	7.49	36.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100


उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 26.06.2023 में कुल 24 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	24 Days (From 03.06.23 to 26.06.23)	24	0.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 26.06.2023 में कुल 24 दिन की अवधि हेतु रू0 300000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/c St.  
19/7/2023

2817



संदर्भ सं०

Ref: 197/987.. UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date 20/7/2023

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -जून एवं जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	26.06.23	7.49	36.0	62.0
2	03.07.23	8.19	45.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	07 Days (From 27.06.23 to 03.07.23)	07	0.5	1.25	87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 27.06.2023 से 03.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू0 87500/- (रू0 सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ok  
20/11/2023



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date.....

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	03.07.23	8.19	45.0	74.0
2	10.07.23	7.68	48.0	67.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 04.07.2023 से 10.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

लखनऊ-226010 Lucknow - 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com Web Site :www.uppcb.com

Phone :0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com


2820

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	07 Days (From 04.07.23 to 10.07.23)	7	0.5	1.25	87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 04.07.2023 से 10.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू0 87500/- (रू0 सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



2821



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H99461

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date ..... 16-8-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु गानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.07.23	7.68	48.0	67.0
2	17.07.23	7.66	48.0	58.0
3	21.07.23	7.79	42.0	52.0
4	28.07.23	7.91	42.0	52.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं विभूति खण्ड, गोमती नगर  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com


T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	18 Days (From 11.07.23 to 28.07.23)	18	0.5	1.25	2,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 11.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 225000/- (रू0 दो लाख पचीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



2823



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref.....U PPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 28.8.23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई एवं अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.07.23	7.91	42.0	52.0
2	04.08.23	7.31	45.0	64.0
3	07.08.23	7.60	45.0	62.0
4	11.08.23	7.87	48.0	68.0
5	14.08.23	8.1	45.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.07.2023 से 14.08.2023 में कुल 17 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	17 Days (From 29.07.23 to 14.08.23)	17	0.5	1.25	2,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.07.2023 से 14.08.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 212500/- (रू0 दो लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

*O/c Jti*  
*28/08/2023*

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० H00548  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date ...11/09/23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिरत्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	14.08.23	8.10	45.0	66.0
2	18.08.23	7.52	39.0	66.0
3	21.08.23	7.29	45.0	62.0
4	25.08.23	7.86	42.0	68.0
5	28.08.23	7.67	45.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 15.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	14 Days (From 15.08.23 to 28.08.23)	14	0.5	1.25	1,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 15.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 14 दिनकी अवधि हेतु रू0 175000/- (रू0 एक लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
11.08.23



संदर्भ सं०

Ref: 101131

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date ... 2.2.23/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - अगस्त एवं सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.08.23	7.67	45.0	68.0
2	05.09.23	8.09	42.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	08 Days (From 29.08.23 to 05.09.23)	08	0.5	1.25	1,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रू0 100000/- (रू0 एक लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
22.09.23



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या  
Ref. UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 5/10/23  
Date

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर।

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्राम/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्राम/ली०)
1	05.09.23	8.09	42.0	68.0
2	11.09.23	8.06	42.0	68.0
3	18.09.23	7.98	48.0	73.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 06.09.2023 से 18.09.2023 में कुल 13 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	13 Days (From 06.09.23 to 18.09.23)	13	0.5	1.25	1,62,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 06.09.2023 से 18.09.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रू0 162500/- (रू0 एक लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

etc

05.10.23

2831



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं०

H02334

Ref.....UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date ..26-10-23

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर। 94 73 94 2741

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	18.09.23	7.98	48.0	73.0
2	22.09.23	7.96	54.0	76.0
3	29.09.23	8.02	51.0	72.0
4	03.10.23	7.84	48.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 19.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 15 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	15 Days (From 19.09.23 to 03.10.23)	15	0.5	1.25	1,87,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 19.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 15 दिन की अवधि हेतु रू0 1,87,500/- (रू0 एक लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के गूनिगन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भयदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Hanshik  
25/10/23  
25.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. No. 103929/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 12.11.23  
पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर। 9473942741.

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -अक्टूबर-नवम्बर 2023 में उक्तसंदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेंडेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	25.10.2023	7.62	39.0	72.0
2	07.11.2023	7.67	36.0	64.0
3	14.11.2023	7.67	48.0	68.0
4	20.11.2023	7.98	45.0	78.0
5	27.11.2023	7.86	48.0	66.0
<b>STP Standard MOEF &amp; CC dated 13-10-2017</b>		<b>6.5-9.0</b>	<b>30</b>	<b>100</b>

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.10.2023 से 27.11.2023 में कुल 33 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी सी-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

2834

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	33 days (26.10.23-27.11.23)	33	0.5	1.25	4,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 26.10.2023 से 27.11.2023 में कुल 33 दिन की अवधि हेतु रू0 4,12,500/- (रू0 चार लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Dec  
12.12.23

2835



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref: H06179/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date 24/01/24  
पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्क्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-दिसम्बर 2023 में उक्तसंदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	27.11.2023	7.86	48.0	66.0
2	01.12.2023	8.12	42.0	62.0
3	05.12.2023	8.14	39.0	60.0
4	08.12.2023	7.96	45.0	54.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 में कुल 11 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppecb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@unpcb.com

निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	11 days (From 28.11.23 to 08.12.23)	11	0.5	1.25	1,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 28.11.2023 से 08.12.2023 में कुल 11 दिन की अवधि हेतु रू0 1,37,500/- (रू0 एक लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

olc  
Hagbuts

2837



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर। 9473942741.

**विषय:** 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	08.12.2023	7.96	45.0	54.0
2	15.12.2023	7.94	42.0	62.0
3	22.12.2023	8.09	45.0	60.0
4	29.12.2023	7.96	43.0	62.0
5	05.01.2024	8.04	42.0	52.0
6	12.01.2024	7.94	51.0	72.0
7	19.01.2024	8.16	42.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 09.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 42 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	42 days (From 09.12.23 to 19.01.24)	42	0.5	1.25	5,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 09.12.2023 से 19.01.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पांच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/L  
12.02.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref. 908452 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

Date 19-3-24

पंजीकृत

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक,  
गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय)  
कानपुर। 9473942741.

विषय: 05 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० जाजमऊ, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-फरवरी-2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	19.01.2024	8.16	42.0	62.0
2	27.01.2024	8.06	42.0	66.0
3	02.02.2024	8.02	39.0	54.0
4	09.02.2024	8.20	51.0	68.0
5	16.02.2024	8.22	42.0	72.0
6	23.02.2024	8.28	42.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 20.01.2024 से 23.02.2024 में कुल 35 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	5 MLD, Jajmau, Kanpur	35 Days (From 20.01.24 to 23.02.24)	35	0.5	1.25	4,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 05 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 जाजमऊ, कानपुर पर दिनांक 20.01.2024 से 23.02.2024 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु रू0 4,37,500/- (रू0 चार लाख सैंतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Handwritten signature  
18.03.24

2841

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. No.

सेवा में,

मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि०,  
3/83, विष्णुपुरी, प्लेट नं० 101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

दिनांक,

Date

पंजीकृत

विषय- कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट द्वारा शोधित उत्प्रवाह में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत मै० कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा० लि०, 3/83, विष्णुपुरी, प्लेट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिशोधित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर के पत्र सं० 1103/एस-658/21 दिनांक 06.10.21 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट का अनुश्रवण कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया तथा अनुश्रवण के समय एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया एवं विश्लेषण आख्यानानुसार निम्नलिखित तिथियों में एकत्रित नमूनों में प्रचालकों का मान निर्धारित मानक से अधिक पाया गया है:-

ANALYSIS REPORT OF Bingawan 210MLD STP						
S.NO	Date	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Achieving Standard
1	2/3/2021	7.32	37.5	130	82	NO
2	8/3/2021	7.23	45	180	84	NO
3	16/3/2021	7.49	45	140	84	NO
4	22/3/2021	7.48	37.5	140	76	NO
5	1/4/2021	7.96	39	160	80	NO
6	6/4/2021	7.72	42	160	78	NO
7	13/4/2021	7.69	39	150	76	NO
8	19/4/2021	7.86	36	240	96	NO
9	27/4/2021	7.95	39	150	78	NO
10	12/5/2021	8.16	36	140	84	NO
11	17/5/2021	7.86	37.5	150	80	NO
12	24/5/2021	7.62	39	160	78	NO
13	1/6/2021	7.98	39	180	82	NO
14	9/6/2021	7.57	42	200	86	NO
15	21/6/2021	7.23	42	220	76	NO
17	28/6/2021	7.82	39	180	76	NO
18	5/7/2021	7.74	42	160	82	NO
19	15/7/2021	7.81	48	160	78	NO
20	19/7/2021	7.84	45	160	76	NO
21	26/7/2021	7.32	42	120	78	NO
22	3/8/2021	7.36	45	120	86	NO
23	10/8/2021	NON - OPERATIONAL.				
24	16/8/2021	7.67	45	160	80	NO
25	25/8/2021	7.86	48	180	84	NO
26	31/8/2021	7.22	45	180	76	NO
27	8/9/2021	7.88	-	200	80	-
28	13/9/2021	7.55	-	220	56	-
29	21/09/2021	7.25	-	180	58	-

PTO

टी.सी. - 12 वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.com  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.com  
Website : www.uppcb.com

उपरोक्त वर्णित दिनाकों में 210 एमएलडी एस0टी0पी0 विनगयां द्वारा शोधित उत्प्रवाह में वी0ओ0डी0 प्रचालक का मान बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रचालकों के अनुरूप नहीं पाया गया है तथा निरीक्षण दिनांक 10.08.2021 को एस0टी0पी0 संचालित नहीं पाया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर द्वारा उत्तरदायी संस्था के विरुद्ध ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका के आधार पर दिनांक 02.03.2021 से 09.08.2021 तक तथा दिनांक 11.08.2021 से 31.08.2021 तक कुल 181 दिवसों के उल्लंघन हेतु एस0टी0पी0 संचालक मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर के विरुद्ध रूपये 45,25,000/- (पैंतालिस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स कानपुर रीवर मैनेजमेन्ट प्रा0 लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर पर कुल रू0 45,25,000/- (पैंतालिस लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था एवं उसके उत्तरदायी अधिकारियों का होगा।

सक्षम अधिकारी की अनुमति से निर्गत।

भवदीय



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य अभियन्ता (गंगा), उ0प्र0 जल निगम, प्रधान कार्यालय, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण का संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

OLC

2843



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ क्र. H75C 83  
Ref. No. / सी-2/गल-17061/2022

दिनांक 12-5-22  
Date

सेवा में

पंजीकृत

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०,  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल,  
जनपद-कानपुर नगर।

विषय: कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट द्वारा शोधित उत्प्रवाह में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने के दृष्टिगत मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि०, 3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2022 द्वारा प्राप्त आख्यानानुसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का अनुश्रवण कार्यालय द्वारा विभिन्न तिथियों में किया गया तथा अनुश्रवण के समय एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह का नमूना एकत्र किया गया एवं विश्लेषण आख्यानानुसार निम्नलिखित तिथियों में एकत्रित नमूनों में प्रचालकों का मान निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है:-

ANALYSIS REPORT OF Bingawan 210MLD STP						
S.NO	Date	pH	BOD (mg/l)	COD (mg/l)	TSS (mg/l)	Achieving Standard
1	15.11.2021	7.84	45	200	66	NO
2	22.11.2021	7.96	48	180	66	NO
3	01.12.2021	8.12	42	220	116	NO
4	07.12.2021	7.96	48	180	68	NO
5	14.12.2021	7.49	52	240	64	NO
6	21.12.2021	7.64	54	260	72	NO
7	27.12.2021	7.74	48	220	62	NO
8	03.01.2022	7.96	51	180	60	NO
9	11.01.2022	8.26	45	160	66	NO
10	17.01.2022	7.87	42	240	64	NO
11	22.01.2022	7.82	48	180	76	NO
12	24.01.2022	7.91	54	160	92	NO
13	29.01.2022	7.89	42	220	68	NO
14	31.01.2022	7.69	38	180	62	NO
15	04.02.2022	8.19	45	220	86	NO
16	08.02.2022	7.94	51	190	88	NO
17	11.02.2022	7.86	48	200	74	NO
18	14.02.2022	7.76	51	180	66	NO
19	18.02.2022	7.80	48	210	72	NO
20	21.02.2022	7.64	48	220	66	NO
21	25.02.2022	7.49	54	240	76	NO
22	02.03.2022	7.58	42	180	64	NO
23	07.03.2022	7.46	45	160	58	NO
24	15.03.2022	7.52	48	140	68	NO
25	21.03.2022	7.84	48	220	64	NO
26	28.03.2022	7.69	36	180	66	NO
27	05.04.2022	7.96	48	220	64	NO
28	13.04.2022	7.84	51	180	58	NO

2/-

टी सी - 12 बी, विभूति खण्ड, गमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

AEECA/SACA  
30/05/2022

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

-2-

उपरोक्त वर्णित दिनाकों में 210 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 विनयकों द्वारा शोधित स्वच्छता में गी0ओ0डी0 प्रचालक को मान बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 21.04.2022 द्वारा ओ0ए0 सं0-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन हेतु तैयार की गयी मार्गदर्शिका के आधार पर दिनांक 15.11.2021 से दिनांक 13.04.2022 के मध्य कुल 150 दिवसों के उल्लंघन हेतु एस0टी0पी0 संचालक संस्था मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध रू0 25,000/- प्रतिदिन की दर से कुल 150 दिवस के उल्लंघन हेतु रू0 37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा0लि0, 3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं0 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू0 37,50,000/- (सैंतीस लाख पचास हजार रुपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, दिग्ग खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता नम्बर-701502010002104 आई0एफ0एस0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जाये।
3. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रभारी), वृत्त-2

2845



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
f.No

सेवा में,

मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०)  
3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल,  
जनपद-कानपुर नगर।

दिनांक

Date

पंजीकृत

विषय: मैसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 23.05.2022 द्वारा प्रेषित आख्यानानुसार कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर नगर द्वारा दिनांक 20.05.2022, 21.05.2022, 22.05.2022 एवं 23.05.2022 को किया गया। निरीक्षण आख्यानानुसार निरीक्षण के समय 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० का संचालन बन्द पाया तथा अशोधित उत्प्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया। लॉगबुक रिकार्ड के अनुसार दिनांक 19.05.2022 को प्रातः 06:10 बजे से सायं 07:50 बजे तक तथा रात्रि 11:00 बजे से विद्युत बाधित होने तथा डी.जी. सेट का संचालन न किये जाने के कारण एस.टी.पी. की समस्त इकाईयाँ यथा बार स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर, डायजेस्टर, रियेक्टर, एरियेशन टैंक, बेल्ट फिल्टर प्रेस इत्यादि बन्द पायी गयीं। क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 23.05.2022 को भी विद्युत बाधित होने के कारण पूर्वान्ह 11:30 बजे से अपरान्ह 01:55 बजे तक एस.टी.पी. का संचालन बन्द पाया, तथा एस.टी.पी. का अशोधित उत्प्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित होता पाया गया, जिससे पाण्डु नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। जोकि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (यथासंशोधित) के प्राविधानों का स्पष्ट उल्लंघन दर्शाता है। क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण दिनांक 23.05.2022 को अपरान्ह 01:55 बजे से कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० के सयंत्रों का पूर्ण संचालन किया जाना पाया गया तथा उत्प्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित होता नहीं पाया गया।

अतः कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० से अशोधित उत्प्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी संस्था पर 05 दिवस के उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के बिन्दु सं० 9 का अंश निम्नलिखित है-

".....The UPSPCB may assess the amount of compensation applying the formula laid down by the CPCB only for the days mentioned in the report of the CPCB but for the actual days of violation from the beginning but not beyond five years from the date of calculation....."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-116/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 29.04.2019 एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० सं०-593/2017 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के आंकलन तथा एकत्रित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के उपयोग के सम्बन्ध में कार्ययोजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके अनुसार गणना के लिये निर्धारित सूत्र  $Penalty = PI \times N \times R \times S \times LF$  के अनुसार आंकलित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू० 37,500/- (रू० सैतीस हजार पाँच सौ मात्र) प्रतिदिन आती है। जिसमें PI (Pollution index) = 80, N (Number of days) = 1, R (Penalty in Rs.) = 250, S (Factor for scale of operation, small) = 1.5, LF (Location Factor) = 1.25 for population between 1 to 5 million लिया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी की आख्यानानुसार दि० 19.05.2022 से दि० 23.05.2022 तक कानपुर बिनगवां स्थित 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० से अशोधित उत्प्रवाह पाण्डु नदी में निस्तारित किये जाने के दृष्टिगत 05 दिवस के उल्लंघन हेतु कुल रू० 1,87,500/- (एक लाख सत्तासी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित है।

.....2....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com 14 MLD

-2-

उपरोक्तानुसार सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त इकाई गैरार कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्रा०लि० (सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्रा०लि०), 3/83, विष्णुपुरी, पलैट नं० 101, प्रथम तल, कानपुर नगर पर कुल रू० 1.87.500/- (एक लाख सत्तारसी हजार पाँच सौ रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अधिरोपित की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या-701502010002104 आई०एफ०एस० कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उद्योग स्वामी का स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अतिमति से निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर को इस निर्देश के साथ कि उद्योग से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त न होने की स्थिति में भू-राजस्व की भांति वसूली हेतु कार्यवाही की जायें।
3. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण वृत्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref.....

UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्स्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्स्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-अक्टूबर-2022 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	07.10.2022	7.63	57.0	48.0
2	11.10.2022	7.69	51.0	36.0
3	17.10.2022	7.74	51.0	32.0
4	28.10.2022	7.88	64.5	48.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्स्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 07.10.2022 से 30.10.2022 में कुल 24 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्स्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days (From 3rd of Oct, 2022 to 30th of Oct, 2022)	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	24 Days (From 07.10.2022 to 30.10.2022)	24	1.5	1.25	9,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 07.10.2022 से दिनांक 30.10.2022 तक कुल 24 दिन की अवधि हेतु रु0 9,00,000/- (रु0 नौ लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या- 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

RAM  
GOPAL  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

Digitally signed by  
RAM GOPAL  
Date: 2022.12.09  
15:27:58 +05'30'

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इरा आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

RAM  
GOPAL  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

Digitally signed by  
RAM GOPAL  
Date: 2022.12.09  
15:28:20 +05'30'

ote  
Dease  
09.12.22

2849



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref. 1186430 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date 29.12.2022

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रावह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-नवम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.11.22	8.01	55.5	39.0
2	11.11.22	7.78	39.0	42.0
3	18.11.22	7.39	57.0	84.0
4	25.11.22	7.72	45.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 31.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 26 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

वेबसाइट www.unnch.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	26 Days (From 31.10.22 to 25.11.22)	26	1.5	1.25	9,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 31.10.2022 से 25.11.2022 में कुल 26 दिन की अवधि हेतु रू0 9,75,000/- (रू0 नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 ✓ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref: 1869/32... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date: 6/10/2023

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगावां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रावाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर-2022 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	25.11.22	7.72	45.0	76.0
2	29.11.22	7.86	33.0	62.0
3	05.12.22	7.76	57.0	40.6
4	12.12.22	7.59	48.0	125.0
5	23.12.22	7.7	57.0	125.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.11.2022 से 23.12.2022 में कुल 28 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	28 Days (From 26.11.22 to 23.12.22)	28	1.5	1.25	10,50,000

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 26.11.2022 से 23.12.2022 में कुल 28 दिन की अवधि हेतु रू0 10,50,000 /- (रू0 दस लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर को सूचनार्थ।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Jti  
6/10/2023



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक  
Date ..... 1-2-23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- दिसम्बर-2022 - जनवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.12.22	7.7	57.0	125.0
2	31.12.22	7.36	42.0	54.0
3	03.01.23	7.33	48.0	42.0
4	12.01.23	7.49	51.0	154.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.12.2022 से 12.01.2023 में कुल 20 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	20 Days (From 24.12.22 to 12.01.23)	20	1.5	1.25	7,50,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 24.12.2022 से 12.01.2023 में कुल 20 दिन की अवधि हेतु रू0 7,50,000/- (रू0 सात लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2855



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं० 119011C  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/22

दिनांक 1-3-23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-2023-फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	12.01.23	7.49	51.0	154.0
2	20.01.23	7.82	54.0	166.0
3	24.01.23	7.96	57.0	104.0
4	30.01.23	7.76	48.0	108.0
5	10.02.23	7.70	57.0	168.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 13.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 29 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोगती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	29 Days (From 13.01.23 to 10.02.23)	29	1.5	1.25	10,87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 विनगवां, कानपुर पर दिनांक 13.01.2023 से 10.02.2023 में कुल 29 दिन की अवधि हेतु रू0 10,87,500/- (रू0 दस लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2857



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref: 190421/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date: 10/03/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह फरवरी-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.02.23	7.70	57.0	168.0
2	17.02.23	8.09	51.0	98.0
3	22.02.23	7.62	60.0	158.4
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.02.2023 से 22.02.2023 में कुल 12 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	12 Days (From 11.02.23 to 22.02.23)	12	1.5	1.25	4,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 11.02.2023 से 22.02.2023 में कुल 12 दिन की अवधि हेतु रू0 4,50,000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Devs  
10.03.23

2859



संदर्भ सं० 9/586  
Ref. .... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक 5-4-23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रवन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	22.02.23	7.62	60.0	158.4
2	01.03.23	7.68	51.0	152.0
3	10.03.23	7.9	48.0	79.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 23.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 16 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : .....

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	16 Days (From 23.02.23 to 10.03.23)	16	1.5	1.25	6,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 23.02.2023 से 10.03.2023 में कुल 16 दिन की अवधि हेतु रू0 6,00,000/- (रू0 छः लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

2861



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह मार्च-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	10.03.23	7.90	48.0	79.0
2	18.03.23	7.83	57.0	116.4
3	24.03.23	7.41	39.0	96.0
4	31.03.23	7.36	57.0	84.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppecb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppecb.com  
Web Site : www.unnecb.com

2862

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	21 Days (From 11.03.23 to 31.03.23)	21	1.5	1.25	787500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 11.03.2023 से 31.03.2023 में कुल 21 दिन की अवधि हेतु रू0 787500/- (रू0 सात लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय



मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

ofc  
Allu

2863



संदर्भ सं०

Ref. No. 192/593/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 25.04.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रावह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	31.03.23	7.36	57.0	84.0
2	06.04.23	7.67	45.0	68.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unnch.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	06 Days (From 01.04.23 to 06.04.23)	6	1.5	1.25	2,25,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 01.04.2023 से 06.04.2023 में कुल 06 दिन की अवधि हेतु रू0 225000/- (रू0 दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला


2865



संदर्भ सं०

Ref: 193149 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date: 03/05/23

03-5-23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह के उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	06.04.23	7.67	45.0	68.0
2	14.04.23	7.59	63.0	96.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 07.04.2023 से 14.04.2023 में कुल 08 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unpcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.unpcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	08 Days (From 07.04.23 to 14.04.23)	8	1.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 07.04.2023 से 14.04.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रू0 300000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Jeece



संदर्भ सं०

Ref: 193398/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

178

दिनांक

Date ...11/05/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगावां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

मह अप्रैल -2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	14.04.23	7.59	63.0	96.0
2	26.04.23	7.56	58.5	114.2
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 15.04.2023 से 26.04.2023 में कुल 12 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-


टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com  
Web Site : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	12 Days (From 15.04.23 to 26.04.23)	12	1.5	1.25	4,50,000/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 15.04.2023 से 26.04.2023 में कुल 12 दिन की अवधि हेतु रू0 450000/- (रू0 चार लाख पचास हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला





# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

180

संदर्भ सं०  
Ref. 194629/UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 30-5-23

पंजीकृत

रोवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	26.04.23	7.56	58.5	114.2
2	02.05.23	7.40	60.0	132.0
3	12.05.23	7.72	66.0	96.0
4	15.05.23	7.54	57.0	128.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 27.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 19 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,

लखनऊ- 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

Web Site : www.uppcb.com


2870

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	19 Days (From 27.04.23 to 15.05.23)	19	1.5	1.25	7,12,500/-


अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 27.04.2023 से 15.05.2023 में कुल 19 दिन की अवधि हेतु रू0 712500/- (रू0 सात लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- न्टप्छ0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत  
भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

DL  
Asee  
30.05.23

2871



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह मई-जून 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	15.05.23	7.54	57.0	128.0
2	23.05.23	7.44	54.0	76.0
3	26.05.23	7.33	57.0	74.0
4	02.06.23	7.49	60.0	92.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		<b>6.5-9.0</b>	<b>30</b>	<b>100</b>


उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	18 Days (From 16.05.23 to 02.06.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 16.05.2023 से 02.06.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड- न्टप्ड0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/c Jk  
19/6/2023

2873



संदर्भ सं०

Ref/197946. UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 19/7/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह जून 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	02.06.23	7.49	60.0	92.0
2	09.06.23	7.63	57.0	220.4
3	13.06.23	7.62	60.0	48.6
4	16.06.23	7.60	51.0	42.0
5	23.06.23	7.61	54.0	56.0
6	27.06.23	7.69	51.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 03.06.2023 से 27.06.2023 में कुल 25 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

2874

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	25 Days (From 03.06.23 to 27.06.23)	25	1.5	1.25	9,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 03.06.2023 से 27.06.2023 में कुल 25 दिन की अवधि हेतु रू0 937500/- (रू0 नौ लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-न्टप्छ0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण-अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

*% Jki*  
*19/7/2023*

2875



संदर्भ सं०

Ref. 197986 UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

दिनांक

Date 20/11/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -जून एवं जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	27.06.23	7.69	51.0	66.0
2	04.07.23	8.16	48.0	86.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.06.2023 से 04.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

2876

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	07 Days (From 28.06.23 to 04.07.23)	07	1.5	1.25	2,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 28.06.2023 से 04.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-न्टप्छ0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

dc  
20/7/2023

2877



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्जूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	04.07.23	8.16	48.0	86.0
2	11.07.23	7.89	51.0	74.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 05.07.2023 से 11.07.2023 में कुल 07 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वीं, विभूति खण्ड, गोमती नगर, T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

लखनऊ-226010 Lucknow - 226010

दूरभाष 522-2720831,

फैक्स 0522 - 2720764, 2720676

ई-मेल info@uppcb.com

वेबसाइट www.uppcb.com Web Site : www.uppcb.com

Phone : 0522-2720831, 2720828

Fax : 0522 - 2720764

Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	07 Days (From 05.07.23 to 11.07.23)	7	1.5	1.25	2,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 05.07.2023 से 11.07.2023 में कुल 07 दिन की अवधि हेतु रू0 262500/- (रू0 दो लाख बासठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
A/ee

2879



संदर्भ सं०  
Ref. No. 499460 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक  
Date 16/8/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई 2023में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	11.07.23	7.89	51.0	74.0
2	18.07.23	7.79	45.0	64.0
3	21.07.23	7.92	42.0	72.0
4	28.07.23	8.26	45.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 12.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 17 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12बी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	17 Days (From 12.07.23 to 28.07.23)	17	1.5	1.25	6,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 12.07.2023 से 28.07.2023 में कुल 17 दिन की अवधि हेतु रू0 637500/- (रू0 छः लाख सैतीस हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Dell



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - जुलाई एवं अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.07.23	8.26	45.0	62.0
2	01.08.23	7.52	42.0	64.0
3	08.08.23	7.73	39.0	64.0
4	11.08.23	8.06	42.0	66.0
5	15.08.23	7.49	48.0	62.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.07.2023 से 15.08.2023 में कुल 18 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, किमूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	18 Days (From 29.07.23 to 15.08.23)	18	1.5	1.25	6,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 29.07.2023 से 15.08.2023 में कुल 18 दिन की अवधि हेतु रू0 675000/- (रू0 छः लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड - UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

dc ki  
23/08/2023

2883



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. 100549  
Ref..... UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक 11/08/23  
Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगावां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-अगस्त 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	15.08.23	7.49	48.0	62.0
2	18.08.23	7.5	51.0	76.0
3	22.08.23	7.59	42.0	62.0
4	25.08.23	7.49	39.0	64.0
5	28.08.23	7.52	48.0	42.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 16.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 13 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	13 Days (From 16.08.23 to 28.08.23)	13	1.5	1.25	4,87,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 16.08.2023 से 28.08.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रू0 487500/- (रू0चार लाख सत्तासी हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोगती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु  
अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
11.09.23

2885



संदर्भ सं०

Ref. 1011321/UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date 22/09/23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-अगस्त एवं सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	28.08.23	7.52	48.0	42.0
2	05.09.23	8.02	45.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गौमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com


T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	08 Days (From 29.08.23 to 05.09.23)	08	1.5	1.25	3,00,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 29.08.2023 से 05.09.2023 में कुल 08 दिन की अवधि हेतु रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c   
22.09.23



संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/23

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर।

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रावह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रावह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -सितम्बर- 2023 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	05.09.23	8.02	45.0	76.0
2	12.09.23	8.08	54.0	76.0
3	20.09.23	8.19	48.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 06.09.2023 से 20.09.2023 में कुल 15 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी. विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	15 Days (From 06.09.23 to 20.09.23)	15	1.5	1.25	5,62,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 06.09.2023 से 20.09.2023 में कुल 15 दिन की अवधि हेतु रू0 5,62,500/- (रू0 पाँच लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

05.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ सं० H02333  
Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

दिनांक  
Date 26.10.23

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर गैनेजगेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2287490000

विषय: 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रावाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रावाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह - सितम्बर एवं अक्टूबर 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	20.09.23	8.19	48.0	72.0
2	22.09.23	7.89	39.0	66.0
3	29.09.23	7.86	42.0	64.0
4	03.10.23	7.94	45.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 21.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 13 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non-Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	13 Days (From 21.09.23 to 03.10.23)	13	1.5	1.25	4,87,500

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिंगवां, कानपुर पर दिनांक 21.09.2023 से 03.10.2023 में कुल 13 दिन की अवधि हेतु रु0 4,87,500/- (रु0 चार लाख सत्तासी हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय  
  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
 मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
 केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
 Hazhik. Jeev  
 25/10/23 25.10.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



H039257

Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date .....12/12/23  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),  
3/83, निष्पुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह -अक्टूबर-नवम्बर 2023 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र0सं0	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	25.10.2023	7.67	42.0	64.0
2	03.11.2023	7.98	39.0	66.0
3	10.11.2023	7.86	39.0	66.0
4	17.11.2023	7.78	48.0	68.0
5	24.11.2023	8.06	45.0	76.0
6	29.11.2023	7.96	39.0	72.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 26.10.2023 से 29.11.2023 में कुल 35 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, किमुति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com


T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	35 days (26.10.23-29.11.23)	35	1.5	1.25	13,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 26.10.2023 से 29.11.2023 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु रू0 13,12,500/- (रू0 तेरह लाख बारह हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या- 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत


भवदीय

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

  
12.12.23



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/23

Date .....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह-दिसम्बर 2023 से जनवरी 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	08.12.2023	7.82	48.0	68.0
2	15.12.2023	7.86	45.0	62.0
3	22.12.2023	7.96	48.0	64.0
4	29.12.2023	7.91	51.0	66.0
5	06.01.2024	8.10	48.0	58.0
6	12.01.2024	8.06	48.0	76.0
7	19.01.2024	8.25	45.0	64.0
8	23.01.2024	7.95	51.0	76.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 09.12.2023 से 23.01.2024 में कुल 46 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	46 days (From 09.12.23 to 23.01.24)	46	1.5	1.25	17,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 09.12.2023 से 23.01.2024 में कुल 46 दिन की अवधि हेतु रू0 17,25,000/- (रू0 सत्रह लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या- 701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

0/c  
12.02.24



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



Ref.....UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

19-3-24  
Date .....  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड),  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जनवरी-फरवरी-2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	23.01.2024	7.95	51.0	76.0
2	30.01.2024	8.21	42.0	74.0
3	03.02.2024	7.94	39.0	58.0
4	09.02.2024	8.10	54.0	70.0
5	16.02.2024	8.12	48.0	60.0
6	23.02.2024	8.14	48.0	68.0
7	27.02.2024	8.14	51.0	64.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone :0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com

उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 24.01.2024 से 27.02.2024 में कुल 35 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	35 Days (From 24.01.24 to 27.02.24)	35	1.5	1.25	13,12,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 24.01.2024 से 27.02.2024 में कुल 35 दिन की अवधि हेतु रू0 13,12,500/- (रू0 तेरह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड -UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
3. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
5. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
7. लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
Harshita  
18.02.24



## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref..... UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक

Date.....

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 210 एस0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस0टी0पी0) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस0टी0पी0 के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस0टी0पी0/सी0एल0/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस0टी0पी0 से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस0टी0पी0 के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस0टी0पी0 पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस0टी0पी0 के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- फरवरी 2024 से अप्रैल 2024 में उक्त संदर्भित एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी0एच0	बी0ओ0डी0 (मिग्रा0/ली0)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा0/ली0)
1	27.02.2024	8.14	51.0	64.0
2	05.03.2024	8.26	42.0	62.0
3	12.03.2024	8.19	45.0	74.0
4	18.03.2024	8.06	51.0	72.0
5	26.03.2024	8.19	48.0	76.0
6	02.04.2024	8.10	42.0	56.0
7	09.04.2024	7.94	51.0	64.0
8	16.04.2024	7.96	54.0	68.0
9	24.04.2024	8.14	48.0	56.0
10	30.04.2024	8.07	57.0	58.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ-226010 Lucknow - 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.com  
वेबसाइट www.unnch.com Web Site : www.unnch.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar

Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.com


उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रावह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक 28.02.2024 से 30.04.2024 में कुल 63 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रावह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	63 Days (From 28.02.24 to 30.04.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 28.02.2024 से 30.04.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500 /- (रू0 तेईस लाख बांसठ हजार पांच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक खाता संख्या-701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड-UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।


सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय


  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला


प्रतिलिपि:

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c

  
24.05.24  
Mansabets  
24.05.24

  
24/5/24

2899



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: 13533 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 4-7-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्चूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- मई से जून 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)
1	30.04.2024	8.07	57.0	58.0
2	07.05.2024	8.09	42.0	98.0
3	15.05.2024	7.98	54.0	88.0
4	21.05.2024	7.86	51.0	78.0
5	28.05.2024	7.98	48.0	66.0
6	05.06.2024	7.86	43.5	44.0
7	11.06.2024	8.04	48.0	66.0
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		8.5-9.0	30	100

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppecb.in  
वेबसाइट www.uppecb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppecb.in  
WebSite : www.uppecb.com

## 2900

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	42 Days (From 01.05.24 to 11.06.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 01.05.2024 से 11.06.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000/- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollutin / प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भुवन्दीय



मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
03/07/24  
03-07-24

2901



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: **11/6238/**UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: **27/08/24**  
**पंजीकृत**

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी०, एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु, मानक निर्धारित किये गये है। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- जून से अगस्त 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	11.06.2024	8.04	48.0	66.0	81000
2	18.06.2024	8.10	51.0	62.0	170000
3	25.06.2024	8.10	45.0	64.0	170000
4	10.07.2024	7.94	51.0	58.0	120000
5	16.07.2024	7.89	60.0	64.0	140000
6	23.07.2024	7.89	54.0	68.0	170000
7	06.08.2024	7.84	45.0	56.0	110000
8	13.08.2024	7.79	39.0	44.0	170000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com



उपरोक्तानुसार एस0टी0पी0 के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन एस0टी0पी0 से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	63 Days (From 12.06.24 to 13.08.24)	63	1.5	1.25	23,62,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 विनगवां, कानपुर पर दिनांक 12.06.2024 से 13.08.2024 में कुल 63 दिन की अवधि हेतु रू0 23,62,500/- (रू0 तेईस लाख बाराठ हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति -             | Water Pollution |
| 2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय -                | Kanpur          |
| 3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - | UPPCB           |

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
27/08/24  
27.8.24



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या: H/18938 UPPCB/CL/569/STP&CETP-EC/24

दिनांक: 22/10/24  
पंजीकृत

रोवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्सूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- अगस्त से सितम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	13.08.2024	7.79	39.0	44.0	170000
2	20.08.2024	7.42	48.0	36.0	140000
3	27.08.2024	7.84	42.0	48.0	130000
4	03.09.2024	7.88	48.0	44.0	110000
5	10.09.2024	7.67	60.0	88.0	150000
6	17.09.2024	7.72	57.0	34.0	170000
7	24.09.2024	7.86	54.0	68.0	140000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522-2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	42 Days (From 14.08.24 to 24.09.24)	42	1.5	1.25	15,75,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 14.08.2024 से 24.09.2024 में कुल 42 दिन की अवधि हेतु रू0 15,75,000/- (रू0 पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/Uppcb>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution / प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices / क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance / अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर को सूचनार्थ।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
22/10/24  
22/10/24  
22/10/24  
22/10/24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, प्लॉट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

**विषय:** 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या-एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वाल्क्यूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- सितम्बर से नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा० / ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा० / ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन० / 100 मि०ली०)
1	24.09.2024	7.86	54.0	68.0	140000
2	01.10.2024	7.91	60.0	72.0	120000
3	15.10.2024	7.72	60.0	88.0	110000
4	22.10.2024	7.78	51.0	76.0	120000
5	29.10.2024	7.82	54.0	82.0	110000
6	05.11.2024	7.89	57.0	36.0	94000
7	12.11.2024	7.80	48.0	44.0	79000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T .C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त 2906 अधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	49 Days (From 25.09.24 to 12.11.24)	49	1.5	1.25	18,37,500/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 25.09.2024 से 12.11.2024 में कुल 49 दिन की अवधि हेतु रू0 18,37,500/- (रू0 अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFecsv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकेटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के ड्रापडाउन में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय

प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 2 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 3 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभारी केन्द्रीय प्रयोगशाला

o/c  
25/11/24  
25.11.24

25/11/24



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD



संदर्भ संख्या :

UPPCB/CL/569/STP&amp;CETP-EC/24

दिनांक: 11-12-24

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स कानपुर रिवर मैनेजमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड,  
(सापूरजी पालनजी एण्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड)  
3/83, विष्णुपुरी, फ्लैट नं०-101, प्रथम तल,  
कानपुर नगर। 91-2267490000.

विषय: 210 एम०एल०डी० एस०टी०पी० बिनगवां, कानपुर से शुद्धीकरण के उपरान्त निस्तारित किये जा रहे सीवेज/वहिस्त्राव निर्धारित मानकों के अनुरूप निस्तारित न किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.10.2017 को जारी अधिसूचना के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट से निस्तारित शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु मानक निर्धारित किये गये हैं। समस्त सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एस०टी०पी० के शुद्धीकृत उत्प्रवाह हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप शोधित कर निस्तारित किया जाना अनिवार्य किया गया है। बोर्ड द्वारा अपने पत्रांक संख्या- एच 82654/एस०टी०पी०/सी०एल०/235/2021-22/वालयूम-1 दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से एस०टी०पी० से जनित उत्प्रवाह को उपरोक्तानुसार मानकों के अनुरूप शोधित करने के उपरान्त ही निस्तारित किये जाने के संबंध में पूर्व में प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया था। बोर्ड द्वारा उल्लिखित किया गया कि एस०टी०पी० के शोधन उपरान्त सीवेज की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर संबंधित एस०टी०पी० पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जायेगी, जिसका पूर्ण दायित्व संबंधित एस०टी०पी० के संचालन हेतु उत्तरदायी आपरेटर/विभाग का होगा।

माह- नवम्बर 2024 में उक्त संदर्भित एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह की विश्लेषण आख्या में विश्लेषित प्रचालकों की स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क्र०सं०	नमूना एकत्रण की तिथि	पी०एच०	बी०ओ०डी० (मिग्रा०/ली०)	सस्पेन्डेड सालिड (मिग्रा०/ली०)	फीकल कोलीफार्म (एम०पी०एन०/100 मि०ली०)
1	12.11.2024	7.80	48.0	44.0	79000
2	19.11.2024	7.89	45.0	88.0	94000
3	26.11.2024	7.80	42.0	48.0	120000
STP Standard MOEF & CC dated 13-10-2017		6.5-9.0	30	100	<1000

उपरोक्तानुसार एस०टी०पी० के शोधित उत्प्रवाह के नमूनों के विश्लेषण आख्या के आधार पर दिनांक- 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन एस०टी०पी० से शोधित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित नहीं किया गया है। अतः उक्त डिफाल्टर अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् की गयी है:-

टी.सी.-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ- 226010  
दूरभाष 522-2720831,  
फैक्स 0522 - 2720764, 2720676  
ई-मेल info@uppcb.in  
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar  
Lucknow - 226010  
Phone : 0522-2720831, 2720828  
Fax : 0522 - 2720764  
Email : info@uppcb.in  
WebSite : www.uppcb.com

S. N.	Name of STP	Total No. of Non- Complying Days	Total No. of Days (N)	S (Factor for Scale of Operation)	LF (Location Factor)	Total EC Imposed (in Rs.) EC = PI x N x R x S x LF
1	210 MLD, Bingawan Kanpur	14 Days (From 13.11.24 to 26.11.24)	14	1.5	1.25	5,25,000/-

अतः सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उपरोक्तानुसार संदर्भित 210 एम0एल0डी0, एस0टी0पी0 बिनगवां, कानपुर पर दिनांक 13.11.2024 से 26.11.2024 में कुल 14 दिन की अवधि हेतु रू0 5,25,000/- (रू0 पाँच लाख पच्चीस हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है तथा यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त धनराशि का भुगतान पेमेन्ट गेटवे (यू0आर0एल0: <https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB>) के माध्यम से डेडीकैटेड एकाउन्ट में जमा करना सुनिश्चित करें। पेमेन्ट गेटवे के होम पेज के डाउनलोड में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें-

1. Nature of Pollution/प्रदूषण की प्रकृति - Water Pollution
2. Regional Offices/क्षेत्रीय कार्यालय - Kanpur
3. EC Imposed in Compliance/अनुपालन में ईसी लगाया गया - UPPCB

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में विलिम्बतम 15 कार्य दिवस के अन्दर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जमा करना सुनिश्चित करें तथा जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत

भवदीय




प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 जिलाधिकारी, कानपुर।
- 2 सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 3 प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 4 महाप्रबन्धक, उ0प्र0 जल निगम, कानपुर।
- 5 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर को इस निर्देश साथ कि एस0टी0पी0 से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि निर्धारित समय सीमा में प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें एवं तदनुसार बोर्ड मुख्यालय को सूचित किया जाये।
- 7 लेखा प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति मद में प्राप्त धनराशि का विवरण मुख्य पर्यावरण अधिकारी, केन्द्रीय प्रयोगशाला को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।



प्रभारी  
केन्द्रीय प्रयोगशाला

O/C  
  
11/12/24


ant  
11/12/24

<b>JAJMAU TANNERY EFFLUENT TREATMENT ASSOCIATION (JTETA)</b>	sustainable solutions. for a better life.		
	<b>OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL</b> Implementation of 20 MLD Tannery Common Effluent Treatment Plant (CETP) up to tertiary treatment along with treated sewage dilution for Jajmau Leather Cluster, Uttar Pradesh		
	Contractor Document Number	Rev.	Page
	<b>10P152 – T0001 – 101</b>	<b>0</b>	<b>16 / 446</b>

## 5 PROCESS DESCRIPTION

### 5.1 Process Flow Chart of CETP

The process flow chart of CETP is as below.



## कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

पत्रांक :- जल/अ.अ.-3/डी- 3588 / सीवर समस्या/2024-25 दिनांक:- 09/01/2024

सेवा में,

पर्यावरण अभियन्ता (प्रोजेक्ट)

नगर निगम, कानपुर।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985/2019, ओ0ए0 986/2019 एवं ओ0ए0 528/2023 में पारित आदेश दिनांक-27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक महाप्रबन्धक महोदय जलकल विभाग, को सम्बोधित पत्र संख्या- डी/2897/पर्या0 अभि0/प्रो0/24-25 दिनांक- 04.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985/2019, ओ0ए0 986/2019 एवं ओ0ए0 528/2023 में पारित आदेश दिनांक-27.11.2024 के अनुपालन हेतु बिन्दु संख्या-2 में अंकित जूही बम्बुरहिया स्थित चोक सीवेज लाइन की अनुरक्षण/सफाई कार्य कराया जाना हेतु आख्या चाही गई है।

उक्त के कम अवगत कराना है कि वार्ड-14 के अन्तर्गत जूही बम्बुरहिया में एक वर्ष पूर्व यू0पी0एम0आर0सी0 द्वारा मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान विभागीय गहरी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी जिसमें जूही अग्रवाल मार्केट के सामने से सम्पूर्ण जूही बम्बुरहिया 127/189-190 के सामने व जनता ट्रेडर्स के सामने से सम्पूर्ण जूही गढ़ा की सीवर लाइन लगभग 08 फीट की गहराई से मिली थी। बड़ी व गहरी सीवर लाइन में बस्ती की सीवर लाइन सीवर चैम्बर की सतह 08 फीट गहराई से मिली थी, किन्तु मेट्रो द्वारा बस्ती की सीवर लाइन को 03 फीट ओवर फ्लो कम व्यास की सीवर लाइन में जोड़ दिया जिसकी वजह से जूही बम्बुरहिया में सीवर की समस्या उत्पन्न हो गयी थी।

उपरोक्त समस्या के निस्तारण हेतु विभाग द्वारा यू0पी0एम0आर0सी0 के साथ विगत एक वर्ष में विभिन्न पत्र संख्या-जल/अ0अ0-3/डी-23/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-03.04.2024, पत्र संख्या- जल/अ0अ0-3/डी-695 /सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-11.07.2024, पत्र संख्या- जल/अ0अ0-3/डी-2784/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-21.10.2024 एवं पत्र संख्या- जल/अ0अ0-3/डी-2886/सीवर समस्या/2024-25 दिनांक-28.10.2024 के माध्यम से पत्राचार किया गया (प्रति संलग्न) एवं मेट्रो रेल कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यू0पी0एम0आर0सी0 के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त समस्या के स्थायी समाधान हेतु जूही हमीरपुर रोड पर 600 एम0एम0 व्यास की 250 मीटर सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य कराया जा रहा है, जोकि लगभग 60 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है तथा अगामी 20 दिवसों के अन्दर कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।


उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि सीवर भराव की स्थिति में जलकल विभाग द्वारा तत्काल प्रभाव से मडपम्प लगाकर कर्मियों के माध्यम से सर्विस सीवर लाइनों को खाली कराये जाने के उपरान्त सीवर जेटिंग मशीन/रोबोट मशीन द्वारा सीवर सफाई का कार्य कराया जाता है। वर्तमान में सन्दर्भित स्थल पर कोई सीवर भराव की समस्या नहीं है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 2 सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता जोन-3 जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 3 पत्रावली हेतु।

  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3



वर्तमान स्थल को फोटो



विद्यार्थीय एंथोपट मॉनिंग से शिवा  
लक्ष्मी



GPS Map Camera  
 Kanpur, Uttar Pradesh, India  
 713/a, Juhi Kalan, Govind Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh  
 208006, India  
 Lat 26.444907° Long 80.327687°  
 08/12/24 02:29 PM GMT +05:30



विभागीय भेंटिंग से स्वीकृत कार्यालय

*[Handwritten signature]*




GPS Map Camera  
 Kanpur, Uttar Pradesh, India  
 127/179, Hamirpur Rd, Baradevi, Juhi Kalan, Juhi, Kanpur, Uttar  
 Pradesh 208014, India  
 Lat 26.444756° Long 80.328102°  
 28/10/24 11:34 AM GMT +05:30



उपरोक्त के साथ स्थलीय त्रिजोला

*[Handwritten signature]*

12/17



Infinix HOT 11S

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading 'S.S.' or similar.

30 50 मीटर दूरी पर 600mm व्यास की सीवरेज लाइन चलाने का कार्य

कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

पत्रांक :-जल/अ.अ.-3/डी- 23 / सीवर समस्या/2023-24 दिनांक:-03/04/2024

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक-1बी,  
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0


कानपुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित खबर "आठ माह में 24 शिकायतें, सीवर समस्या का नहीं हुआ समाधान महिला पार्षद ने चलाई खपच्ची" के सम्बन्ध में।

महोदय,



उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित खबर "आठ माह में 24 शिकायतें, सीवर समस्या का नहीं हुआ समाधान महिला पार्षद ने चलाई खपच्ची" के क्रम में अवगत कराना है कि वार्ड-14 के अन्तर्गत जूही हमीरपुर रोड पर उ0प्र0 मेट्रो रेल कारपोरेशन (लि0) द्वारा मेट्रो के निर्माण कराया गया है। मेट्रो के निर्माण कार्य के दौरान बारादेवी चौराहे से हमीरपुर रोड जूही खलवा के बीच 700 एम0एम0 व्यास की मेन गहरी (लगभग 05 मीटर) सीवर लाइन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। उक्त समस्या के निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या- जल/अ0अ0-3/डी-836/मेट्रो निर्माण/2023-24 दिनांक-03.11.2023 एवं महाप्रबन्धक महोदय के कार्यालय पत्रांक- जलकल/1702/जी0एम0एस0-622/2023-24 दिनांक-04.11.2023 द्वारा भी पूर्व में अवगत कराया जा चुका है एवं कई वार मेट्रो के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया परन्तु उक्त स्थल पर सीवर लाइन की सिफिटिंग का कार्य अभी तक नहीं किया गया है जिनके कारण क्षेत्र में सीवर भराव की गम्भीर समस्या बनी हुई है। सीवर भराव होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भित स्थल पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाकर समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 2 अवर अभियन्ता जोन-3 जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 3 पत्रावली हेतु।

  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3  


कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता जोन-3  
जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

पत्रांक :-जल/अ.अ.-3/डी-6957 सीवर समस्या/2024-25 दिनांक:-11/07/2024  
सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक-1 वी,  
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0  
कानपुर।

विषय:-वार्ड-14 के व्याप्त सीवर समस्या के निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि वार्ड-14 के अन्तर्गत जूही हमीरपुर रोड पर म0नं0-127/190 से श्याम पैलेश तक मेट्रो रेल निर्माण कार्य के दौरान विभागीय सीवर लाइन जगह-जगह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जिसके निस्तारण हेतु मेट्रो विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त गहरी सीवर लाइन को समाप्त कर कम व्यास की सीवर लाइन बिछायी गई है। सीवर लाइन कम व्यास की होने के कारण क्षेत्र सन्दर्भित क्षेत्र में सीवर की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जिसकी शिकायत लगातार क्षेत्रीय पार्षद द्वारा की जा रही है। सीवर भराव होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त हैं।

अतः अनुरोध है कि उक्त सन्दर्भित स्थल पर क्षतिग्रस्त सीवर लाइन एवं कम व्यास की बिछायी गई सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन बिछाकर समस्या का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित को आदेशित करने का कष्ट करें।

*Ramu*  
11/7/24  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव महोदय, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 2 अवर अभियन्ता जोन-3 जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 3 पत्रावली हेतु।

*Ramu*  
11/7/24  
अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

## कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

पत्रांक :-जल/अ.अ.-3/डी-2784 / पेयजल समस्या/2024-25 दिनांक:- 21/10/2024

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक-1ए,  
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0  
कानपुर।

विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक " सीवर भराव से गुस्याए लोगों ने पार्षद पर फेंका गंदा पानी" व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित शीर्षक " समस्याओं को लेकर जूही पार्षद की आज से भूख हड़ताल" एवं दैनिक समाचार पत्र आज में प्रकाशित शीर्षक " जूही बम्बुररिया व गढ़ा में सीवर भराव से जिन्दगी नर्क" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक " सीवर भराव से गुस्याए लोगों ने पार्षद पर फेंका गंदा पानी" व दैनिक समाचार पत्र राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित शीर्षक " समस्याओं को लेकर जूही पार्षद की आज से भूख हड़ताल" एवं दैनिक समाचार पत्र आज में प्रकाशित शीर्षक " जूही बम्बुररिया व गढ़ा में सीवर भराव से जिन्दगी नर्क" का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उपरोक्त के क्रम में आज दिनांक- 21.10.2024 को क्षेत्रीय मा0 पार्षद श्रीमती शालू सुनील कनौजिया व अवर अनियन्ता जलकल एवं मेट्रो का कार्य देख रही फर्म सेम इण्डिया के प्रतिनिधि श्री समीर एवं श्री विक्रम पालिया के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जूही हमीरपुर रोड पर मेट्रो का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान ही एक वर्ष पूर्व मेट्रो ने गहरी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी जिसमें जूही अग्रवाल नार्कट के सामने से सम्पूर्ण जूही बम्बुररिया 127/189-190 के सामने व जनता ट्रेडर्स के सामने से सम्पूर्ण जूही गढ़ा की सीवर लाइन लगभग 08 फीट की गहराई से मिली थी। बड़ी व गहरी सीवर लाइन में बस्ती की सीवर लाइन सीवर चैम्बर की सतह 08 फीट गहराई से मिली थी, किन्तु इन्होंने बस्ती की सीवर लाइन को 03 फीट ओवर फ्लो कम व्यास की सीवर लाइन में जोड़ दिया जिसकी वजह से सीवर भराव लगातार रहता है। बस्ती की सीवर हेतु बस्ती की सीवर लाइन को मुख्य सीवर लाइन से चैम्बर की सतह 08 फीट से अन्तः संयोजन कराये जाने से समस्या के स्थाई समाधान हो सकेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सन्दर्भित कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 2 सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता जोन-3 जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 3 मा0 पार्षद श्रीमती शालू सुनील कनौजिया वार्ड-14।
- 4 पत्रावली हेतु।

अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

## कार्यालय, अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर।

पत्रांक :- जल/अ.अ.-3/डी-2886/ सीवर समस्या/2024-25 दिनांक:- 28/10/2024

सेवा में,

परियोजना प्रबन्धक-1ए,  
उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0  
कानपुर।विषय:- दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक " सीवर चैंबर में घुसकर पार्षद ने निकाला तीन बाल्टी पानी" के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला में प्रकाशित शीर्षक " सीवर चैंबर में घुसकर पार्षद ने निकाला तीन बाल्टी पानी" का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित स्थल का अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्षेत्रीय मा0 पार्षद व अवर अभियन्ता जलकल के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जूही हमीरपुर रोड पर मेट्रो का कार्य किया जा रहा है। कार्य के दौरान ही एक वर्ष पूर्व मेट्रो ने गहरी सीवर लाइन क्षतिग्रस्त कर दी गयी थी जिसमें जूही अग्रवाल मार्केट के सामने से सम्पूर्ण जूही बम्बुरहिया 127/189-190 के सामने व जनता ट्रेडर्स के सामने से सम्पूर्ण जूही गढ़ा की सीवर लाइन लगभग 08 फीट की गहराई से मिली थी। बड़ी व गहरी सीवर लाइन में बस्ती की सीवर लाइन सीवर चैंबर की सतह 08 फीट गहराई से मिली थी, किन्तु इन्होंने बस्ती की सीवर लाइन को 03 फीट ओवर फ्लो कम व्यास की सीवर लाइन में जोड़ दिया जिसकी वजह से सीवर भराव लगातार रहता है। जिससे क्षेत्र में महामारी फैलने की संभावना बनी हुई है, जिसकी शिकायत लगातार क्षेत्रीय पार्षद द्वारा की जा रही है। सीवर भराव होने से क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त हैं। बस्ती की सीवर समस्या के निस्तारण हेतु बस्ती की सीवर लाइन को मुख्य सीवर लाइन से चैंबर की सतह 08 फीट से अन्तः संयोजन कराये जाने से समस्या के स्थाई समाधान हो सकेगा।


अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त सन्दर्भित कार्य को शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित करें। उक्त क्षेत्र में सीवर भराव से यदि कोई महामारी फैलती है या क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि0 का होगा, जलकल विभाग इससे लिये उत्तरदायी नहीं होगा।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

  
 अधिशाषी अभियन्ता जोन-3

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 महाप्रबन्धक महोदय, जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 2 सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता जोन-3 जलकल विभाग नगर निगम कानपुर।
- 3 मा0 पार्षद श्रीमती शालू सुनील कनौजिया वार्ड-14।
- 4 पत्रावली हेतु।

  
 अधिशाषी अभियन्ता जोन-3



## क्षेत्रीय कार्यालय : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर

REGIONAL OFFICE : UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, KANPUR

संदर्भ :- 1958/सा-147/2024

दिनांक:- 17/12/2024

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/महत्वपूर्ण/सामयक/ई-गेल

रोवा में,

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
चिकित्सा विभाग,  
कानपुर नगर।  
ई-गेल emoknp@nic.in
2. निदेशक,  
जे0के0 कैंसर संस्थान,  
निकट रावतपुर क्रॉसिंग,  
कानपुर नगर।  
ई-गेल jkei1963@gmail.com

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985/2019, ओ0ए0 986/2019 एवं ओ0ए0 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 985/2019, ओ0ए0 986/2019 एवं ओ0ए0 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 में Learned Amicus Curiae द्वारा मा0 एन0जी0टी0 को स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है, जिसका अंश क्रमशः है :-

....3...." at Kanpur Nagar, she pointed out the status and ..... **The lack of adequate basic facilities in JK Cancer Hospital.** ..... Learned Amicus Curiae submits that image 12 of the report .....

7. Learned Amicus Curiae had made the following recommendations:-

"Recommendation Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas:

a. Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.

....9.... She has also submitted that she visited the cancer Hospital at Kanpur Nagar where she found the patients in very bad condition just waiting to die." .....

जनपद कानपुर शहर में चिन्हित कन्टामिनेटेड साइट का विवरण क्रमशः हैं :-

S.No.	Contaminated Site Name & Address	Latitude & Longitude
1.	Rakhi Mandi (Juhi Baburaiya), Kanpur	Latitude-26.44522, Longitude-80.322694
2.	Rakhi Mandi (Afeem Kothi), Kanpur	Latitude-26.45364, Longitude-80.334406
3.	Jajmau Industrial Area, Kanpur	Latitude- 26.40911, Longitude- 80.44404
4.	Rooma, Treatment Storage Disposal Facility, Kanpur	Latitude-28.63711, Longitude- 80.448279
5.	Panki Industrial Area, Kanpur	Latitude-26.46016, Longitude- 80.226849
6.	Nauriaya Kheda, Kanpur	Latitude-26.453965, Longitude- 80.268066
7.	Tejab Mill Campus, Anwarganj, Kanpur	Latitude-26.456382, Longitude- 80.320689

कू0पू0उ0.....

क्षेत्रीय कार्यालय : 5243, सद्भावना नगर, आवास विकास फेज-3, कल्यानपुर, कानपुर नगर- 208017

ई-गेल:- [rokanpur@uppcb.in](mailto:rokanpur@uppcb.in)

फोन : 2510999


2919

(2)

अतः उपरोक्त प्रकरण में आपसे अपेक्षा है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 में उल्लिखित तथ्यों के अनुक्रम में जे0के0 कैंसर संस्थान एवं कन्टामिनेटेड साइट के सम्बन्ध में वांछित कृत कार्यवाही सम्बन्धी अनुपालन आख्या यथाशीघ्र क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर नगर या ईमेल— rokanpur@uppcb.in में प्रेषित कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 अधिकरण में अनुपालन आख्या ससमय दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो सके। प्रकरण की सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि 22.01.2025 नियत है।

संलग्नक:—यथोक्त।


भवदीय

  
(डॉ० अमित मिश्रा)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पत्रांक एवं सम दिनांकित :-तदैव।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित महोदयों को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, कानपुर नगर।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



Annexure-9  
2020 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No : G44673 /C-2/NGT CELL-46/2025

दिनांक

Date : 17.01.2025

सेवा में,

अनु सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
अनुभाग-7,  
उ०प्र० शासन।

**विषय-** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा ई-मेल दिनांक 13.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :-

**Regarding mismanagement / water logging ground water contamination due to leaching from the Chromium dump site near Khanchandpur village, Rania.**

- In Village- Shivnathpurwa, Rania, Kanpur Dehat and nearby area the of chromium containing waste was illegally dumped by the BCS manufacturing industries established in district Kanpur Dehat and its adjoining districts.
- It is to mention here that CPCB has allotted the work of detailed survey and preparation of DPR and providing technical consulting services for the remediation of chromium contaminated area in district Kanpur Dehat to M/s ERM, New Delhi in year 2018. M/s ERM in their DPR mentioned about the Primary Study Area (PSA) including the village- Garhampur, Shivnathpurwa, Waste storage area and Village-Khanchandrapur.
- The remedial activities are planned in such a way that most contaminated areas are target first and then slowly progressing toward the areas of lesser impact/ contamination. Chromium deposits on the left side of the excavated site as mentioned by Amicus Curiae in their report are the area of having lesser impact/ contamination as per ERM's DPR table- 3.3, serial no. 4c. The said table is enclosed as **Annexure No.-1**.
- Further, regarding the deposits of chromium still lying in the area it is to submit that the heap of soil identified is actually the soil which was used to cover the HDPE liner lying over the Chromium waste before start of excavation by the UPSIDA. During excavation soil was removed and stored near the boundary of waste dump site. Residue of chromium contaminated waste resembles in yellow color (oxidized form of chromium when it comes in a contact of water/moisture) is the waste that is mixed with the soil which have to remediated on in-situ manner on the site as per the DPR prepared by the CPCB. On the excavated site of chromium, the rainwater has filled up and a water body has been created but the said water body is on the chromium dump, it is to submit that the area filled with rain water is not actually chromium dump but a low lying area was created after excavation of waste and further scrapping of soil mixed with chromium. Chromium contamination in the nearby area, which is already identified by the committee and sub-committee and the work order is already issued to both the operators of Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) namely M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat for scientifically disposal on pro-rata basis.

**Ground water contamination:**

- v. In Khanchandpur village, Rania, Kanpur Dehat and nearby areas the of chromium containing waste was illegally dumped by the BCS manufacturing industries established in and around the district Kanpur Dehat. The quality of ground water was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread up to Khanchandpur village towards south directions from the subject site up to distance of 1.5 km.
- vi. During various visits, Ground water samples were carried out from 14 locations of the surrounding villages namely, Gharampur, Shivnathpurva and Khanchandpur. Out of 14 samples, the concentration of Cr(VI) exceeded w.r.t., BIS-DW standard in 09 samples in the range of 0.17 mg/l to 11.59 mg/l. Year-wise Cr(VI) concentration trend in groundwater is enclosed as **Annexure No.-2**.

**Mechanism for Chromium monitoring in Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat**

- vii. Chief Secretary, Govt. of UP has directed to constitute a sub-committee comprising Additional District Magistrate (Admin.) Kanpur Dehat, Executive Officer, Public Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for monitoring at site/sites during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat and submit its physical and financial progress report to Committee from time to time. Accordingly a Sub-committee has been constituted vide letter no. 193/81-7-2022-44(writ)/ 2016 T.C-2 dated 26-05-2022 to monitor all the restoration/ remediation work periodically and sent report to the Committee. Copy of the letter dated 26.05.2022 is enclosed as **Annexure No.- 3**.
- viii. Work for safe and Scientific disposal of chromium containing hazardous waste illegally dumped at Gram Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat is allotted to 02 TSDF's namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat. Copy of MoU's are enclosed as **Annexure No.-4**.
- ix. For continuous monitoring of safe and scientific disposal of Chromium containing hazardous waste, Chairman, Sub-committee i.e. ADM(E), Kanpur Dehat, deputed staff of UP Pollution Control Board, Kanpur Dehat and Public Works Department, Kanpur Dehat vide order dated 09.12.2022. Copy of the order dated 09.12.2022 is enclosed as **Annexure No.-5**.
- x. In order to ensure qualitative disposal and monitoring of chromium containing hazardous waste, U.P. Pollution Control Board has developed a web portal www.hwms.co.in. Waste lifting from GPS enabled vehicles, weight and stabilization details are regularly uploaded on web portal.
- xi. The disposal of Chromium waste was started on 15.12.2022 and completed by 17.05.2023 for 85006 MT. Committee reviewed on site visit dated 19.05.2023 and decided in committee meeting 06.06.2023 that approximately 10000 MT Chromium Waste is lying on site. On 17.06.2023 work order was issued to both TSDF Operators namely (M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat) for disposal of remaining quantity on pro-rata basis and completed by 10.11.2023. Total quantity disposed after stabilization by M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat is 5500 MT and M/s U.P. Waste Management Project, Kumbhi, Kanpur Dehat is 89506 MT. Therefore, Total quantity disposed till now is 95006 MT.
- xii. The remaining approx 6000 MT chromium waste still dumped near tyre washing area & in front of M/s Natraj Industries, Umran is also allotted through work order issued on 23.08.2024 to both TSDF operators namely M/s U.P. Waste Management Project & M/s Bharat Oil and Waste Management Ltd., Kumbhi, Kanpur Dehat for scientifically disposal on pro-rata basis.  
Copy of the work orders dated 23.08.2024 are being collectively enclosed as **Annexure No. 6**.

**Suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano- Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium**

- xiii. Hon'ble National Green Tribunal vide its order dated 23.09.2022 passed in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 has directed UPPCB and CPCB to immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano-Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other places for removal of arsenic/fluoride. This shall be complied once disposal of Chromium waste completed from dump site. Draft Action Plan for the restoration of environment in terms of chromium contaminated soil & ground water has been prepared. Copy of the Draft Action Plan is enclosed as **Annexure No. 7**.

**Industrial ash dumping on the agricultural land and landfilling**

- xiv. District level committee constituted by District Magistrate Kanpur Dehat has already identified that ash is dumped on the road side as well as in low lying areas. On the observation of the committee, notices are issued to husk/coal ash generating industries & directed them to dispose the ash for the reclamation of low lying areas as per CPCB guidelines and guidelines must be followed during loading, unloading, storage, transportation of ash. Show cause notices against 03 industries have been issued by UPPCB for the violation of said guideline/directions on 17.01.2025. Copy of the Show cause notices dated 17.01.2025 is collectively enclosed as **Annexure No.-8**.

**Status of testing facilities in UPPCB for chromium, mercury and other heavy metals**

- xv. Facility for analysis of Chromium, Mercury and other heavy metals presently exists in the Central Laboratory at UPPCB, Head Office, Lucknow.

**Contamination in the Noon river**

- xvi. River Noon a tributary of River Yamuna is a monsoonal river/drain flowing in the district in the form of drain because there is no source of fresh water available for the river. The detailed survey of River Noon has been conducted by UPPCB. It originates from Narayanpur mauja, village Rehaniapur, district Kanpur Dehat and traverses through number of villages and carrying domestic discharges from these villages.
- xvii. Further, when it passes near Barojore toll plaza at Kanpur-Jhansi Highway, also takes domestic discharge from various other sources and effluent generated from two industries i.e. M/s H L Agro Product Pvt. Ltd. and M/s Kanpur Edibles Pvt. Ltd. Presently both these industries have installed zero liquid discharge facilities in their premises and are utilizing their treated effluent in the process within their premises itself. Detailed survey report of UPPCB is enclosed as **Annexure No. -9**

**TSDF sites at Kumbhi, namely M/s UP Waste Management Project and M/s Bharat Oil and Waste Management Pvt. Ltd.**

- xviii. Both the TSDF sites are regularly inspected by UPPCB and sampling of ground water is being done on quarterly basis and it is found complying with the norms for Total Chromium, Arsenic and Lead. Copy of monitoring reports are being collectively enclosed as **Annexure No. -10**.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में जनपद कानपुर देहात से सम्बंधित उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,



(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

Table 3.3 Extent of Contamination and Intervention Areas - AoC 3: Waste Storage Area

S. No.	Area Description	Number of Impacted Locations	Vertical Extent of Impact (mbgl)	Impacted Area (m <sup>2</sup> )	Impacted Volume (m <sup>3</sup> )	Remediation Area Name	Remarks
<i>Waste</i>							
1	Major Waste Storage Area	9	2	32,958	37,712	WSA: WD	Waste Mass - 62,225 MT
<b>Total</b>					<b>37,712</b>		
<i>Soil</i>							
1	Major Waste Storage Area	9	2-4	32,958	98,550	WSA: SoWSA	Soil Mass - 1,62,609 MT
2	Waris Chemicals	2	3.5	288	1,008	WSA: SoWC	Soil Mass - 1,700 MT
3	Trident Engineering	1	1	908	908	WSA: SoTE	Soil Mass - 1,500 MT
4a	PMGSY Road in front of Waris Chemicals	1	0.5	113	57	WSA: SoPMGSY WC	Soil Mass - 330 MT
4b	PMGSY Road in front of Blachsol Engineers	1	0.5	201	101	WSA: SoPMGSY BS	
4c	PMGSY Road in between Major Waste Storage Area and Storage Yard	1	1.5	28	42	WSA: SoPMGSY SY	
<b>Total</b>					<b>1,00,666</b>		
<i>Groundwater</i>							
1	At and around Major Waste Storage Area	8	50	NA	10 <sup>6</sup>	WSA: Gw	No exceedance in MW-08, MW-12 and MW-13 Indicates that the plume is delineated along the eastern and western edge.

**Notes:**

NA - Not Applicable

Density of soil assumed at 1,650 kg/m<sup>3</sup>

MT - Metric tonnes

2924

Annexure No-11

## Ground Water Samples

S.No	Sampling Point	Geo-coordinates		Cr(VI) concentration (mg/l) as on (0.05mg/l as per BIS)						
				Sampling by CPCB			Sampling by UPPCB			
				13.02.2023	19.05.2023	16.04.2024	04.04.2024	11.07.2024	07.09.2024	27.12.2024
<b>Village- Gharampur</b>										
1	HP-01	26°24'55" N	80°02'00" E	BDL	BDL	BDL	-	-	-	-
2	HP-02	26°24'48" N	80°02'08" E	BDL	BDL	BDL	-	-	-	-
3	RHPG1	26°24'49" N	80°02'07" E	-	-	5.57***	-	-	-	ND
<b>Village- Shivanthpurva</b>										
4	HP-03	26°24'30" N	80°02'28" E	1.2	0.2	BDL	-	-	-	9.06
5	HP-04	26°24'30" N	80°02'29" E	BDL	BDL	BDL	-	-	-	-
<b>Nr. To M/s Natraj Ltd</b>										
6	RBW-1	26°24'19" N	80°02'46" E	-	-	0.23***	-	-	-	-
<b>Village- Khanchandpur</b>										
7	RPNGBW	26°23'35" N	80°03'31" E	-	-	0.17***	-	-	-	0.11
8	HP-05	26°23'34" N	80°03'34" E	0.2	0.1	*	-	ND	ND	ND
9	HP-06	26°23'35" N	80°03'25" E	BDL	BDL	BDL	ND	-	-	-
10	HP-07	26°23'43" N	80°03'02" E	3.2	2.27	BDL	ND	-	-	ND
11	HP-08	26°23'43" N	80°03'02" E	0.1	0.49	**	11.59	-	-	3.57
12	HP-08 (A)			-	4.6	5.59	-	-	-	-
13	HP-09	26°23'40" N	80°02'57" E	BDL	BDL	0.27	3.66	-	-	ND
14	RBW-2	26°23'42" N	80°03'03" E	-	-	4.83***	-	-	-	-

\* Borewell motor was not working during sampling

\*\* No power during the sampling

\*\*\* New sampling location points

BDL- Below Detectable Limit

ND- Not Detectable


2925

## Chromium dump site by CPCB

S.No	Sampling Point	Geo-coordinates		Total Chromium concentration (in mg/l)
				16.04.2024
1	RS1	26°24'19" N	80°02'47" E	279.1
2	C-1	26°24'15" N	80°02'51" E	1863
3	C-2	26°24'14" N	80°02'52" E	1201
4	C-3	26°24'13" N	80°02'52" E	1454
5	C-4	26°24'12" N	80°02'52" E	1253
6	C-5	26°24'08" N	80°02'53" E	281.9
7	C-6	26°24'06" N	80°02'53" E	405.9
8	C-7	26°24'09" N	80°02'50" E	751.2
9	C-8	26°24'11" N	80°02'49" E	227

**Figure-1: Ground water sampling in village- Khanchandpur Shivnathpurva and Garhampur, Rania, Kanpur Dehat**






**Figure-2: Sampling of Chromium dump site and adjacent area at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat .**




Annexure- 4

Figure-3: Geo-tagging of ground water samples drawn.



## Annexure-5

Figure- 4: Year wise chromium (VI) concentration in ground water samples



**उत्प्रेषण शासन**  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7  
संख्या-NGT-193/81-7-2022-44(रिट)/2016 टी0सी0-2  
लखनऊ : दिनांक : 26 मई, 2022

**कार्यालय ज्ञाप**

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद ओ0ए0 संख्या-986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 23.11.2022 के अनुपालन में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित एक्सपर्ट कमेटी की दिनांक 13.05.2022 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को कानपुर देहात स्थित 02 संयुक्त टी0एस0डी0एफ0, जोकि राज्य सरकार द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी गयी भूमि पर एवं भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार से अनुदान प्राप्त कर स्थापित एवं संचालित हैं, के माध्यम से निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा संयुक्त टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु दरें निर्धारित करने हेतु समिति गठित की गयी है। उक्त समिति द्वारा निर्धारित दरों पर टी0एस0डी0एफ0 ऑपरेटर/आपरेटर्स द्वारा उठान एवं सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यादेश, मापन कार्यों का भौतिक सत्यापन, गुणवत्ता जांच एवं भुगतान की संस्तुति हेतु निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है :-

- |  |              |
|--|--------------|
| 1-अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात                           | - अध्यक्ष    |
| 2-क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात   | - सदस्य सचिव |
| 3-अधिकासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात | - सदस्य      |

उपसमिति द्वारा श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली की अध्यक्षता में गठित समिति के तकनीकी निर्देशन में क्रोमियम वेस्ट के वैज्ञानिक रूप से निस्तारण की कार्यवाही सम्पादित करायी जाएगी एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति की नियमित रूप से रिपोर्ट जिलाधिकारी, कानपुर देहात के माध्यम से अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा समिति को प्रेषित की जाएगी।



( मनोज सिंह )

अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि**-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
- 3- श्री वी0पी0 यादव, डायरेक्टर एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन-1, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।

- 4- क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
- 5- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रांतीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 6- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
( मनोज सिंह )  
अपर मुख्य सचिव।

7

ASR  
1/20

2933



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 130693

Agreement annexed.

*Barnard Co*  
 Uttar Pradesh Waste Management Project  
 (A Division of Re Sustainability Ltd.)  
 Plot No. 672 on NH-2 Sikandra Road, Vill. Kumbhi  
 Tehsil-Akbapur, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)

# 2934 AGREEMENT

BETWEEN

M/S UTTAR PRADESH WASTE MANAGEMENT PROJECT (A DIVISION OF  
RE SUSTAINABILITY LTD FORMERLY KNOWN AS RAMKY ENVIRO  
ENGINEERS LIMITED) PLOT NO-672, VILLAGE-KUMBHI, TEHSIL-  
AKBARPUR,

**DISTRICT-KANPUR DEHAT (U.P)**

AND

**ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (ADMIN.),  
KANPUR DEHAT**

FOR

THE PROJECT TITLED

"Scientific disposal of chromium waste dumped near Village  
Khanchandpur, Rania, District- Kanpur Dehat, U.P., by excavation,  
transportation to TSDF site, testing the sample, stabilization and  
disposal through TSDF situated at Village-Kumbhi, Tehsil-  
Akbarpur, District Kanpur Dehat" in compliance of the  
recommendations of the Committee constituted by Chief Secretary,  
Government of U.P. in order to ensure the compliance of Hon'ble  
NGT order dated 23.11.2021 in O.A. No. 985/2019.


Uttar Pradesh Waste Management Project  
(A Division of Re Sustainability Ltd.)  
Plot No 672 on NH-2 Sikandra Road, Vill. Kumbhi  
Tehsil-Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)

2935

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have executed this Agreement through their authorized representatives.

FOR AND ON BEHALF OF  
TSDF Operator

FOR AND ON BEHALF OF  
ADM (Admin), Kanpur Dehat

Signature   
 Name Designation: (Basant Kumar)  
 Project Head.  
 Place: Kanpur Dehat  
 Date: 12/11/2022



Uttar Pradesh Waste Management Corp.  
 A Division of Re Sustainability Ltd.  
 Plot No. 672 on NH-2 Sikandra Road, Vill Kanpur  
 Tehsil-Akbarpur, Distt. Kanpur Dehat (U.P.)



Signature   
 Name Designation: (Ashutosh Pandey)  
 Regional Officer (I.)  
 Kanpur Dehat

Place:

Date:

Witnesses:

- Witnesses:
1. PRASHANT MEHRA  

  2. Gourav Sechan  


1.   
ASHUTOSH PANDEY  
Regional Officer (I.)  
U.P. Pollution Control, Board  
Kanpur Dehat
2.   
U.P. Pollution Control, Board  
Kanpur Dehat  
P.D. PWD Kanpur Dehat

2936



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GC 130790

MOU attached



AGREEMENT  
2937

248

BETWEEN

M/S BHARAT OIL AND WASTE MANAGEMENT LTD.  
PLOT NO-672, VILLAGE-KUMBHI, TEHSIL-AKBARPUR,

DISTRICT-KANPUR DEHAT (U.P)

AND

ADDITIONAL DISTRICT MAGISTRATE (ADMIN.),  
KANPUR DEHAT

FOR

THE PROJECT TITLED

"Scientific disposal of chromium waste dumped near Village Khanchandpur, Rania, District- Kanpur Dehat, U.P., by excavation, transportation to TSDF site, testing the sample, stabilization and disposal through TSDF situated at Village- Kumbhi, Tehsil- Akbarpur, District Kanpur Dehat" in compliance of the recommendations of the Committee constituted by Chief Secretary, Government of U.P. in order to ensure the compliance of Hon'ble NGT order dated 23.11.2021 in O.A. No. 985/2019.



Asrani

2938

Forest and Climate Change Department, Govt. of U.P. as Arbitrator. The venue of arbitration shall be at Lucknow and language shall be English. Arbitration proceedings shall be conducted as per Arbitration & Conciliation Act, 1996. The decision of the Arbitrator shall be final and binding on the parties.

IN WITNESS WHERE OF the parties here to have executed this Agreement through their authorized representatives.

FOR AND ON BEHALF OF  
TSDF Operator



Signature Asrani

Name Designation: Om Prakash Asrani

Place: Kanpur dehat

Date: 05/11/2022

Witnesses:

1. Prince Singh  
(Plant Manager)  
BOWNL Kanpur Dehat

2. Vijay Kumari Pandey  
(Asst. Operation Mgr)  
BOWNL Kanpur Dehat

FOR AND ON BEHALF OF  
ADM (Admin), Kanpur Dehat

Signature (केशव नाथ गुप्ता)  
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
कानपुर देहात

Name Designation:

Place:

Date:

Witnesses:

1. Pandey

**ASHUTOSH PANDEY**  
Regional Officer (I.)  
U.P. Pollution Control, Board  
Kanpur Dehat

2. Vijaya  
05/11/22  
Executive Engrg.  
P.D. P.W.D. Kanpur  
Dehat

आदेश

खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु दो टी०एस०डी०एफ० ऑपरेटर्स को क्रमशः M/S Uttar Pradesh Waste Management Project, (Division of Ramky Enviro Engineers Ltd) कुम्भी, एवं Bharat Oil & Waste Management Ltd कुम्भी को इस कार्यालय द्वारा कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 को निर्गत किया गया है। उक्त टी०एस०डी०एफ० ऑपरेटर्स के द्वारा डम्प क्रोमियम वेस्ट स्थल से उठान करके डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण कुम्भी स्थित अपने निर्धारित स्थल पर किया जायेगा।

उक्त Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण एवं शुद्ध नाप-तौल हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेश दिनांक 17.11.2022 एवं अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, वारा, कानपुर देहात के आदेश दिनांक 01.12.2022 के द्वारा उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगायी गयी है। उक्त ड्यूटियों में संशोधन कर उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी निम्नवत् लगायी जाती है:-

क्र०	स्थल का नाम	तैनात किये गये अधिकारी का नाम व पदनाम
1	2	3
1	डम्प स्थल, खानचन्दपुर रनियाँ	श्री संदेश कुमार, अवर अभियन्ता, UPPCB
2	घर्मकांटा रनियाँ	1. श्री आशुतोष पाण्डेय, एम०टी०एस०, UPPCB 2. श्री आशीष शुक्ला, एल०ए०, UPPCB
3	घर्मकांटा एवं निस्तारण स्थल उ०प्र० वेस्ट मैनेजमेन्ट, कुम्भी	1. श्री आशीष विरवकर्मा, अनुभवण सहायक, UPPCB 2. श्री मनोज पाल, अवर अभियन्ता, PWD
4	घर्मकांटा एवं निस्तारण स्थल, भारत ऑयल एण्ड वेस्ट मैनेजमेन्ट, कुम्भी	1. श्री अनमोल राठौर, जे०आर०एस०, UPPCB 2. श्री श्रेष्ठ कुमार कुशवाहा, अवर अभियन्ता, PWD

नोट:- श्री महेश चन्द्र, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी उपर्युक्त भण्डारण स्थल खानचन्दपुर रनियाँ तथा निस्तारण स्थलों स्थित कुम्भी का नियमित रूप से भ्रमण एवं निरीक्षण कर Hazardous Chromium Waste के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण सम्बन्धी समस्त कार्यों का सतत पर्यवेक्षण करते रहेंगे तथा समय-समय पर अपने माते त्रुटियों का निराकरण कराते हुये उप समिति को यथाराम्य अवगत करायेगे।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(केशव नाथ गुप्ता)  
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

- 1 जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सावर अवलोकनार्थ प्रेषित।
- 2 अधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।
- 3 क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, कानपुर देहात।

# कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

## 2940

पत्र सं०-५५ / एस०टी०-प्रदूषण-को०वे०नि०-कार्यादेश-का०दे० / 2024 दिनांक 23 अगस्त 2024

### कार्यादेश

M/s Uttar Pradesh Waste Management Project  
(A Division of Re Sustainability Ltd  
formerly known as Ramky Enviro Engineers Limited)  
Plot no.-672, ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर,  
कानपुर देहात।

विषय:- कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 के अन्तर्गत ग्राम खानचन्दपुर रनियाँ कानपुर देहात में आवंटित मात्रा के निस्तारण उपरान्त अवशेष रह गये डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण एम०ओ०यू० की शर्तों के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि ग्राम खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु MOU पर हस्ताक्षर के उपरान्त आपको कार्यादेश सं०-1/ प्रदूषण-कार्यादेश/का०दे०-2022 दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था जिसके क्रम में आप द्वारा कार्यादेश में आवंटित मात्रा 80006 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट का उठान कर निस्तारित किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.05.2023 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त स्थल पर पूर्व में लगभग 10000 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया था। तत्कम में अवशेष डम्प, निस्तारण हेतु महोदय के स्तर से अपर मुख्य सचिव, वन्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, शासन, लखनऊ को दिनांक 26.05.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। तत्कम में आप द्वारा 9500 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट को निस्तारित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से श्री जी०रामबाबू, वैज्ञानिक-ई एवं श्री मनोज कुमार, वैज्ञानिक-बी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त डम्प स्थल पर वर्तमान में लगभग 5000-6000 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2024 में यह निर्णय लिया गया कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को प्रो-राटा बेसिस पर शेष बचे क्रोमियम वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण हेतु मात्राओं का आवंटन कर पूर्व में निष्पादित एम०ओ०यू० के माध्यम से शीघ्र सम्पादित की जाये एवं एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप कार्यादेश निर्गत किया जाये जिसे जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको 5700 एम०टी० (पांच हजार सात सौ मीट्रिक टन) तक अथवा वास्तविक भण्डारित क्रोमियम वेस्ट, जो भी न्यूनतम हो, मात्रा आवंटित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वर्षा के पूर्व आवंटित किये गये क्रोमियम वेस्ट को एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप Pro-rata बेसिस पर पूर्व की भाँति उठान कर सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण करते हुये बिल भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत करें। समस्त शर्तों पूर्व में निर्गत कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 एवं एम०ओ०यू० के अनुसार यथावत् लागू रहेगी।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डायरेक्ट एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
7. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।

(अमित कुमार)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
कानपुर देहात।



अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
कानपुर देहात।

# 2941

## कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

पत्र सं०-५३ / एस०टी०-प्रदूषण-को०वे०नि०-कार्यादेश-का०दे० / 2024 दिनांक 43 अगस्त 2024

### कार्यादेश

M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd.  
Plot no.-672, ग्राम-कुम्भी, तहसील-अकबरपुर,  
कानपुर देहात।

विषय:- कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 के अन्तर्गत ग्राम खानचन्दपुर रनियों कानपुर देहात में आवंटित मात्रा के निस्तारण उपरान्त अवशेष रह गये डम्प क्रोमियम वेस्ट का निस्तारण एम०ओ०यू० की शर्तों के अधीन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि ग्राम खानचन्दपुर रनियों, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण हेतु MOU पर हस्ताक्षर के उपरान्त आपको कार्यादेश सं०-1/ प्रदूषण-कार्यादेश/का०दे०-2022 दिनांक 15.11.2022 को जारी किया गया था जिसके क्रम में आप द्वारा कार्यादेश में आवंटित मात्रा 5000 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट का उठान कर निस्तारित किया जा चुका है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 19.05.2023 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया तथा उक्त स्थल पर पूर्व में लगभग 10000 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया था। तत्कम में अवशेष डम्प, निस्तारण हेतु महोदय के स्तर से अपर मुख्य सचिव, वन्य, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र०, शासन, लखनऊ को दिनांक 26.05.2023 को पत्र प्रेषित किया गया। तत्कम में आप द्वारा 500 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट को निस्तारित किया जा चुका है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली से श्री जी०रामबाबू, वैज्ञानिक-ई एवं श्री मनोज कुमार, वैज्ञानिक-बी द्वारा दिनांक 16.04.2024 को डम्प स्थल का निरीक्षण किया गया। उक्त डम्प स्थल पर वर्तमान में लगभग 5000-6000 मीट्रिक टन क्रोमियम वेस्ट अवशेष डम्प होना आंकलित किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या- दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 02.07.2024 में यह निर्णय लिया गया कि टी०एस०डी०एफ० आपरेटर्स को प्रो-राटा बेसिस पर शेष बचे क्रोमियम वेस्ट के ट्रीटमेन्ट एवं निस्तारण हेतु मात्राओं का आवंटन कर पूर्व में निष्पादित एम०ओ०यू० के माध्यम से शीघ्र सम्पादित की जाये एवं एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप कार्यादेश निर्गत किया जाये जिसे जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अनुमोदित किया गया है।

अतः पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक 26.05.2022 द्वारा गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार आपको 300 एम०टी० (तीन सौ मीट्रिक टन) तक अथवा वास्तविक भण्डारित क्रोमियम वेस्ट, जो भी न्यूनतम हो, मात्रा आवंटित करते हुये निर्देशित किया जाता है कि वर्षा के पूर्व आवंटित किये गये क्रोमियम वेस्ट को एम०ओ०यू० की शर्तों के अनुरूप Pro-rata बेसिस पर पूर्व की भांति उठान कर सुरक्षित एवं वैज्ञानिक निस्तारण करते हुये बिल भुगतान हेतु नियमानुसार प्रस्तुत करें। समस्त शर्तें पूर्व में निर्गत कार्यादेश दिनांक 15.11.2022 एवं एम०ओ०यू० के अनुसार यथावत् लागू रहेगी।

RECEIVED  
BY  
22/08/24  
27/8/24

03/09/2024

(अमित कुमार)

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)  
कानपुर देहात।

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. डायरेक्ट एण्ड हेड, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिवीजन-1, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली।
4. निदेशक तकनीकी, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली।
5. सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
7. अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, कानपुर देहात।



23-08-2024  
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

# 2942

## कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
कानपुर देहात।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7,  
उ0प्र0 शासन लखनऊ।

पत्रांक- 1424/R-130/2025

दिनांक- 20-1-25

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में विवरण निम्नवत् है:-

1. रनियां के खानचंदपुर गांव के पास डंप क्रोमियमवेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम खानचंदपुर, रनिया, कानपुर देहात में अवैध रूप से डंप किए गए क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान के लिए "नो प्रॉफिट नो लॉस पॉलिसी" के आधार पर टीएसडीएफ की दो कंपनियों मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट, कुंभी, अकबरपुर, कानपुर देहात को आवंटित किया गया है। क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान की निरंतर निगरानी के लिए, उप-समिति के अध्यक्ष एडीएम (प्रशासन), कानपुर देहात, ने दिनांक 09.12.2022 के आदेश के तहत यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात और लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया। क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के गुणवत्तापूर्ण निपटान और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक वेब पोर्टल [www.hwms.co.in](http://www.hwms.co.in) विकसित किया है, जिसमें जीपीएस युक्त वाहनों से क्रोमियम अपशिष्ट उठाने, वजन और स्थिरीकरण का विवरण नियमित रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी निगरानी मुख्यालय, यूपीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा भी की जाती है।

85006 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट का निपटान 15.12.2022 को शुरू किया गया और 17.05.2023 तक उठान पूरा कर लिया गया। समिति ने 19.05.2023 को साइट के दौरे पर समीक्षा की और समिति की बैठक 06.06.2023 में निर्णय लिया कि लगभग 10000 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट साइट पर पड़ा है। दिनांक 17.06.2023 को दोनों टीएसडीएफ ऑपरेटरों (मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट

.....2...

## 2943 (2)

लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात) को आनुपातिक आधार पर शेष मात्रा के निपटान के लिए कार्य आदेश जारी किया गया और 10.11.2023 तक पूरा किया गया। मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात द्वारा स्थिरीकरण के बाद निपटाई गई कुल मात्रा 5500 मीट्रिक टन है और मेसर्स यू.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुंभी, कानपुर देहात द्वारा 89506 मीट्रिक टन है। इस प्रकार अब तक निस्तारित की गयी कुल मात्रा 95006 मीट्रिक टन है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2024 के निरीक्षण के दौरान टायर धुलाई क्षेत्र के पास और मेसर्स नटराज इंडस्ट्रीज, उमरन के सामने अभी भी बचा हुआ अपशिष्ट लगभग 6000 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट आंकलित किया गया, जिसको 23.08.2024 को जारी कार्य आदेश के माध्यम से दोनों टीएसडीएफ संचालकों अर्थात् मेसर्स यू.पी. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात को आनुपातिक आधार पर वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु आवंटित किया गया है।

अग्रत्तर Amicus Curiae द्वारा की गयी आपत्ति-क्रोमियम अपशिष्ट अभी भी डम्प साइट के आस-पास पड़ा हुआ है एवं क्रोमियम डम्प पर ही वॉटर लॉगिंग पायी गयी स्थिति के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में विशेषज्ञ संस्थाओं-आई०आई०टी० कानपुर एवं ई०आर०एम०, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये डी०पी०आर० के आधार पर अपशिष्ट भण्डारण स्थान से क्रोमियम अपशिष्ट को प्रथम चरण में वैज्ञानिक तरीके से उठाकर निस्तारण किया जायेगा। तदोपरान्त कम संक्रमित क्षेत्र में रेमिडियेशन का कार्य दूसरे चरण में किया जायेगा। जल भराव क्रोमियम डम्प पर नहीं है बल्कि क्रोमियम अपशिष्ट के उठान के पश्चात मृदा मिश्रित क्रोमियम के स्कैपिंग से लो-लाईग एरिया बन जाने के कारण पाया गया है (संलग्नक:-1)।

### 2. ग्राम-खानचंदपुर में स्वास्थ्य परीक्षण के सम्बन्ध में।

मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 16.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम खानचंदपुर में क्रोमियम एवं मर्करी की जांच की गई तथा उनके रक्त/सीरम के नमूने दिनांक 21.10.2024 को सी.एस.आई.आर.-आई.आई.टी.आर., लखनऊ को भेजे गए तथा आई.आई.टी.आर. के पत्र दिनांक 14.11.2024 के अनुसार 29 व्यक्तियों की रिपोर्ट भेजी गई तथा रिपोर्ट में क्रोमियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई जबकि मर्करी या तो नहीं थी अथवा निर्धारित सीमा से कम थी। मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात ने बताया कि कानपुर देहात के रनिया क्षेत्र में खानचंदपुर, पालनपुरवा, चौहानपुरवा और यादवपुरवा गांवों में 2-3 शिविर लगाए जा रहे हैं। जिले में मेडिकल कॉलेज भी संचालित है, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर पहले से ही काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर इन शिविरों में उनकी सेवाएं भी ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त जनपद के रनियां स्थित ग्राम पालनपुरवा, चौहानपुरवा, यादवपुरवा एवं खानचंदपुर में प्रत्येक माह 2-3 बार नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर कुशल चिकित्सकों व पैरामेडिकल टीम के द्वारा क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। (संलग्नक-2)

### 3. ग्राम खानचंदपुर में जलापूर्ति के सम्बन्ध में।

अधिकांशी अभियंता, द्वितीय निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 31.12.2020 द्वारा अवगत कराया गया कि खानचंदपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर दिए गये हैं तथा योजना से सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है। खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड, सरवनखेड़ा, कानपुर देहात के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खानचंदपुर अब नवीन नगर पंचायत रनियां के अंतर्गत सम्मिलित हो गया है।

.....3....

b

अतः पेयजल योजना नगर पंचायत रनियां को ही हस्तगत की जायेगी। अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रनियां, कानपुर देहात को पेयजल आपूर्ति हेतु दिनांक 28.12.2024 के आदेश द्वारा पानी टैकरों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देशित किया गया। (संलग्नक-3) अग्रेत्तर अधिशाषी अभियंता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), कानपुर देहात के पत्र दिनांक 18.01.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम खानचंदपुर में गुणता प्रभावित एकल पेयजल योजना क्रियान्वित की गयी थी, जिसमें 200 मीटर गहरे नलकूप की बोरिंग की गयी थी। कालान्तर में इससे प्राप्त जल में कोमियम निर्धारित मात्रा से काफी अधिक पाया गया। उक्त स्थल पर पुनः 350 मीटर गहरे नलकूप की बोरिंग कराये जाने पर उससे प्राप्त जल में भी कोमियम की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक प्राप्त हुई, जिसके कारण उससे जलापूर्ति नहीं की गयी। खानचंदपुर की वर्तमान की आबादी लगभग 1726 है। उक्त ग्राम में खानचंदपुर सहित 04 टोलों में क्रमशः प्रसिद्धपुर, चौहानपुरवा, यादवपुरवा एवं पालपुरवा है। खानचंदपुर में कुल 29 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 20 हैण्डपम्प का जल कोमियम प्रभावित है, इन्हें लाल पेंट से कास द्वारा चिन्हांकित करा दिया गया है। कार्यालय द्वारा योजना को पुनः संचालित कराने हेतु जलकल स्थल से लगभग 1.40 कि०मी० की दूरी पर स्थित मजरे चौहानपुरवा में शुद्ध जल की उपलब्धता के आधार पर प्रांककलन बनाया गया है। अद्यतन स्थिति अनुसार खानचंदपुर पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम खानचंदपुर में 15 जुलाई, 2020 तक जलापूर्ति बहाल कर दी गयी थी। (संलग्नक-4)

#### 4. औद्योगिक राख के निस्तारण के सम्बन्ध में।

Amicus Curiae द्वारा अपनी मा० एन०जी०टी० के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में औद्योगिक राख को खेती योग्य भूमि में डालने के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा जिलास्तरीय समिति गठित की गयी थी, जिसके द्वारा सड़क के किनारे एवं लो-लाईग एरिया पर भू-भराव हेतु राख पड़ी हुयी पायी गयी थी, जिसके अनुक्रम में राख का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की गाइडलाइन के अनुरूप करने हेतु नोटिस जारी किये गये। तदोपरान्त 03 उद्योगों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अग्रेत्तर उद्योगों से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुरूप ही लो-लाईग एरिया में राख का निस्तारण करने हेतु अनुपालन कराया जा रहा है (संलग्नक:-5)।

#### 5. जनपद कानपुर देहात में जनित सीवेज के सम्बन्ध में।

अधिशाषी अधिकारी/नोडल निकाय, नगर पालिका परिषद, पुखरायां ने अपने पत्र संख्या-508/एन.पी.पी./2024-25 दिनांक 02.12.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि जनपद कानपुर देहात में लगभग 30.94 एमएलडी सीवेज उत्पन्न होता है, घरेलू अपशिष्ट जल/सीवेज के प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सेप्टिक टैंक और सोक पिट पर निर्भर हैं क्योंकि अभी तक कोई उचित सीवर नेटवर्क विकसित नहीं हुआ है। जिले से उत्पन्न सीवेज/घरेलू अपशिष्ट जल के उपचार के लिए वर्तमान में कोई एसटीपी/एफएसटीपी संचालित नहीं है। यूएलबी पुखराया,

h-

.....4....

2945

(4)

झींझक, रसूलाबाद, रनिया, रूरा, मूसानगर और राजपुर में एसटीपी के विकास के लिए डीपीआर प्रक्रियाधीन है तथा नगर पंचायत अकबरपुर से उत्पन्न सीवेज के उपचार के लिए 6 एमएलडी एसटीपी और 15 केएलडी एफएसटीपी प्रस्तावित है (संलग्नक:-6)

#### 6. नोन नदी में प्रदूषण के सम्बन्ध में

क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात द्वारा नोन नदी के प्रदूषण के सम्बन्ध में विस्तृत जांच करायी गयी, विस्तृत जांच के आधार पर अवगत कराया गया है कि नोन नदी में मुख्यतः विभिन्न ग्रामों से जनित सीवेज का प्रवाह होता है, नदी में जल का कोई स्रोत न होने के कारण वर्षा ऋतु में ही प्रवाह रहता है, विस्तृत जांच के आधार पर सीवेज उत्प्रवाह को रोकने के लिये प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध योजना तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है (संलग्नक:-7)।

उपरोक्त विवरण आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:-यथोपरि।

6  
20/11/25  
(आलोक सिंह)  
जिलाधिकारी  
कानपुर देहात

संख्या व दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि-सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ।

जिलाधिकारी  
कानपुर देहात

2946



क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
280, एन0एच0-19, रनियां, कानपुर देहात-209304



पत्रांक:- 1423/आर-130/2025

दिनांक:-18.01.2025

सेवा में,  
जिलाधिकारी,  
कानपुर देहात।

**विषय:-**मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करना चाहें। अवगत कराना है कि ग्राम खानचंदपुर, रनिया, कानपुर देहात में अवैध रूप से डंप किए गए क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान के लिए "नो प्रॉफिट नो लॉस पॉलिसी" के आधार पर टीएसडीएफ की दो कंपनियों मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड और मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट, कुंभी, अकबरपुर, कानपुर देहात को आवंटित किया गया है। क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान की निरंतर निगरानी के लिए, उप-समिति के अध्यक्ष एडीएम (ई), कानपुर देहात, ने दिनांक 09.12.2022 के आदेश के तहत यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात और लोक निर्माण विभाग, कानपुर देहात के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया। क्रोमियम युक्त खतरनाक कचरे के गुणवत्तापूर्ण निपटान और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक वेब पोर्टल [www.hwms.co.in](http://www.hwms.co.in) विकसित किया है, जिसमें जीपीएस सक्षम वाहनों से अपशिष्ट उठाने, वजन और स्थिरीकरण का विवरण नियमित रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है, जिसकी निगरानी मुख्यालय, यूपीपीसीबी के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

85006 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट का निपटान 15.12.2022 को शुरू किया गया और 17.05.2023 तक पूरा कर लिया गया। समिति ने 19.05.2023 को साइट के दौरे पर समीक्षा की और समिति की बैठक 06.06.2023 में निर्णय लिया कि लगभग 10000 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट साइट पर पड़ा है। दिनांक 17.06.2023 को दोनों टीएसडीएफ ऑपरेटरों (मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात) को आनुपातिक आधार पर शेष मात्रा के निपटान के लिए कार्य आदेश जारी किया गया और 10.11.2023 तक पूरा किया गया। मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात द्वारा स्थिरीकरण के बाद निपटाई गई कुल मात्रा 5500 मीट्रिक टन है और मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, कुंभी, कानपुर देहात द्वारा 89506 मीट्रिक टन है। इसलिए, अब तक निपटाई गई कुल मात्रा 95006 मीट्रिक टन है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2024 के निरीक्षण के दौरान टायर धुलाई क्षेत्र के पास और मेसर्स नटराज इंडस्ट्रीज, उमरन के सामने अभी भी बचा हुआ अपशिष्ट लगभग 6000 मीट्रिक टन क्रोमियम अपशिष्ट आंकलित किया गया, जिसको 23.08.2024 को जारी कार्य आदेश के माध्यम से दोनों टीएसडीएफ संचालकों अर्थात् मेसर्स यूपी वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट और मेसर्स भारत ऑयल एंड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड, कुंभी, कानपुर देहात को आनुपातिक आधार पर वैज्ञानिक तरीके से निपटान हेतु आवंटित किया जाता है।

कृ०प०उ०


2947

(2)

अग्रैत्तर Amicus Curiae द्वारा की गयी आपत्ति-कोमियम अपशिष्ट अभी भी डम्प साइट के आस-पास पड़ा हुआ है एवं कोमियम डम्प पर ही वॉटर लॉगिंग पायी गयी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि पूर्व में विशेषक संस्थाओं-आई0आई0टी0 कानपुर एवं ई0आर0एम0, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये डी0पी0आर0 के आधार पर अपशिष्ट भण्डारण स्थान से कोमियम अपशिष्ट को प्रथम चरण में वैज्ञानिक तरीके से उठाकर निस्तारण किया जायेगा। तदोपरान्त कम संकमित क्षेत्र में रेमिडियेशन का कार्य दूसरे चरण में किया जायेगा। जल भराव कोमियम डम्प पर नहीं है बल्कि कोमियम अपशिष्ट के उठान के पश्चात मृदा मिश्रित कोमियम के स्कैपिंग से लो-लाईग एरिया बन जाने के कारण पाया गया है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,

  
(मनोज कुमार चौरसिया)  
क्षेत्रीय अधिकारी

मा० हरित न्यायालय अधिकरण/विशेष ध्यानाकर्षण/समयबद्ध

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
कानपुर देहात।

सेवा में,

उप सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन'  
अनुभाग-7  
उ०प्र० शासन, लखनऊ।

पत्रांक-का०दे०/मु०चि०अ०/एन०जी०टी०/स्वास्थ्य परी०/आख्या/2025/6442

दिनांक-16.01.2025

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही के संबंध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एन०जी०टी०-30/81-7-2025 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० हरित न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आदेश OA No. 986/2019 In Re:Water Pollution by Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के संबंध में बैठक आयोजित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में मा० अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि जनपद के रनियां स्थित ग्राम खानचन्द्रपुर के प्रभावित निवासियों की पूर्व में क्रोमियम व मर्करी की जांच हेतु रक्त/सीरम नमूने को एकत्रित कर दिनांक 21.10.2024 को सी०एस०आई०आर०-भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उ०प्र० लखनऊ को भेजे गये। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनांक 14.11.2024 के द्वारा कुल 29 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रेषित रिपोर्ट में क्रोमियम की मात्रा मानक से ज्यादा है जबकि मर्करी की मात्रा मानक से कम अथवा नहीं है। (जांच रिपोर्ट संलग्न)

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार नामित विद्वान न्यायमित्र के द्वारा दिनांक 18 व 19.11.2024 को जनपद के प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक मरीज श्रीमती रामश्री, जो सिर दर्द, बुखार व अस्थमा से पीड़ित थी जिनको आवश्यक उपचार प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अनुपालन में जनपद के रनियां स्थित ग्राम खानचन्द्रपुर के आस-पास रहने वाले सूचीबद्ध 40 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवनखेड़ा के अन्तर्गत गठित एक कुशल चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रत्येक माह विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर उक्त 40 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। उक्त 40 सूचीबद्ध व्यक्तियों में श्रीमती रामश्री भी सम्मिलित है जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। (विगत माह नवम्बर व दिसम्बर 2024 की स्वास्थ्य रिपोर्ट संलग्न)

इसके अतिरिक्त जनपद के रनियां स्थित ग्राम पालनपुरवा, चौहानपुरवा, यादवपुरवा एवं खानचन्द्रपुर में प्रत्येक माह 2-3 बार नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर कुशल चिकित्सकों व पैरामेडिकल टीम के द्वारा क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। (रिपोर्ट संलग्न)

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि जनपद में मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गया है जिसमें विभिन्न विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्वास्थ्य शिविर में भेजकर आवश्यक उपचार प्रदान किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

16/1/25  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
कानपुर देहात

पत्रांक व दिनांक—यथोक्त।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर।
3. जिलाधिकारी कानपुर देहात।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
कानपुर देहात

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक- 884 B/40/R-130/2024-25

दिनांक- 28.12.2024

सेवा में,

अधिशायी अधिकारी,  
नगर पंचायत, रनियां,  
कानपुर देहात।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व में कार्यालय के पत्र दिनांक 05.07.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ग्राम खानचंदपुर में स्थित हैण्डपम्प में क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक होने एवं स्थानीय निवासियों द्वारा संक्रमित जल के प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के दृष्टिगत समिति एवं उपसमिति की आहूत बैठक में प्रश्नगत स्थल से डाउनस्ट्रीम में ग्राम-खानचंदपुर में हैण्डपम्प के जल के प्रयोग को रोके जाने एवं पूर्व की भांति स्थानीय निवासियों को टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये गये थे।

तारतम्य में पुनः निर्देशित किया जाता है कि ग्राम खानचंदपुर के स्थानीय निवासियों को जलापूर्ति हेतु टैंकरो की संख्या बढ़ा दी जाये, जिससे ग्राम-खानचंदपुर के ग्रामवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

A  
28.12.2024  
(अमित कुमार)अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
कानपुर देहात

संख्या व दिनांक- यथोपरि।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन),  
कानपुर देहात

कार्यालय जिलाधिकारी, कामपुर देहात।

पत्रांक: 884/का/प्र-130/2019

दिनांक: 05/07/2019

1. अधिशाषी अभियंता  
जल निगम (ग्रामीण), कामपुर देहात।
2. अधिशाषी अधिकारी  
नगर पंचायत, रनियां, कामपुर देहात।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 985/2019 In Re. Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur Dehat Uttar Pradesh With O.A. No. 986/2019 In Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar Uttar Pradesh के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No. 985/2019 In Re. Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur Dehat Uttar Pradesh With O.A. No. 986/2019 In Re: Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar Uttar Pradesh में पारित आदेश के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली एवं उपसमिति द्वारा ग्राम-खानचन्दपुर में भण्डारित क्रोमियम अपशिष्ट स्थल का संयुक्त निरीक्षण के दौरान क्रोमियम अपशिष्ट स्थल की संकमित मृदा एवं अप-स्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम के जल नमूने एकत्रित किये गये। उक्त नमूनों की विश्लेषण आख्यानुसार डाउन स्ट्रीम में स्थित बोरवेल के जल नमूने में क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक पायी गयी।

अग्रेतर दिनांक-02.07.2024 को ग्राम-खानचन्दपुर, रनियां, कामपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा गठित समिति एवं उपसमिति की आहूत बैठक में प्रश्नगत स्थल से डाउन स्ट्रीम में ग्राम-खानचन्दपुर में स्थित बोरवेल में क्रोमियम की मात्रा मानक से अधिक होने एवं स्थानीय निवासियों द्वारा संकमित जल के प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने के दृष्टिगत समिति एवं उपसमिति द्वारा बोरवेल के माध्यम से जलापूर्ति को रोके जाने एवं पूर्व की भांति स्थानीय निवासियों को टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त के परिपेक्ष्य में अपने विभाग से सम्बन्धित कृत कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(अमित कुमार)  
अपर जिलाधिकारी (प्र0)  
कानपुर देहात

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय, कामपुर देहात को अवलोकनार्थ।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)  
कानपुर देहात



अधिशारी अभियन्ता खण्ड कार्यालय  
 उत्तर प्रदेश जल निगम, (प्राचीण) कानपुर देहात।  
 E-Mail : ee\_cd\_kanpurdehat@yahoo.in

मो नं० : 9473942736

पत्रांक 214 / W-51 / 01


दिनांक 18/01/2025

ओ.ए. नं० 985/2019 एवं 986/2019 पर मा० एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 27.09.2019 के अनुपालन में, खानचन्द्रपुर, कानपुर देहात की पेयजल स्थिति के सम्बन्ध में आख्या

जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड सरवनखेड़ा के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में जल निगम द्वारा खानचन्द्रपुर ग्राम में गुणता प्रभावित एकल पेयजल योजना क्रियान्वित की गयी थी, जिसमें 200 मी. गहरे नलकूप की बोरिंग की गयी थी। योजनान्तर्गत सर्व प्रथम 200 मी. गहरे नलकूप की बोरिंग कराई गई। कालान्तर में इससे प्राप्त जल में क्रोमियम निर्धारित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में पाया गया। उक्त स्थल पर पुनः 350 मी. गहरे नलकूप की बोरिंग कराये जाने पर उससे प्राप्त जल में भी क्रोमियम की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक प्राप्त हुई, जिसके कारण उससे जलापूर्ति नहीं की गयी तथा वर्तमान में भी बन्द है। खानचन्द्रपुर की वर्तमान की आबादी लगभग 1726 है। उक्त ग्राम में खानचन्द्रपुर सहित 04 टोलों में क्रमशः प्रसिद्धपुर, चौहानपुरवा, यादवपुरवा एवं पालपुरवा है। खानचन्द्रपुर में कुल 29 नग हण्ड पम्प अधिष्ठापित हैं, जिनमें से 20 हण्डपम्प का जल क्रोमियम प्रभावित है, इन्हें लाल पेंट से क्रस द्वारा चिन्हांकित करा दिया गया है। चूंकि इनका रख-रखाव जिला पंचायत अधिकारी के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। अतः इन क्रोमियम प्रभावित 20 हण्डपम्पों को निकलवाने हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी को कार्यालय के पत्र दिनांक 11.10.2019 द्वारा लिखा गया है। खानचन्द्रपुर ग्राम में टैंकर के माध्यम से जलापूर्ति करने हेतु जिलाधिकारी, कानपुर देहात के पत्र दिनांक 03.10.2019 द्वारा अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत, अकबरपुर को आदेशित किया गया। अधिशारी अधिकारी, नगर पंचायत अकबरपुर, कानपुर देहात के पत्र 547/एन.पी.ए./2019-20 दिनांक 16.10.2019 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा टैंकरों से जलापूर्ति की जा रही है।

इस कार्यालय द्वारा योजना को पुनः संचालित कराने हेतु जलकल स्थल से लगभग 1.40 किमी. की दूरी पर स्थित मजरे चौहानपुरवा में शुद्ध जल की उपलब्धता के आधार पर प्राक्कलन बनाया गया।

अद्यतन स्थिति अनुसार खानचन्द्रपुर पेयजल योजनान्तर्गत ग्राम खानचन्द्रपुर में 15 जुलाई 2020 तक जलापूर्ति बहाल कर दी गयी थी। तदोपरान्त योजना का हस्तान्तरण ग्राम प्रधान खानचन्द्रपुर को कर दिया गया। वर्तमान में ग्राम खानचन्द्रपुर नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित होने के कारण उक्त योजना का रखरखाव सम्बन्धित नगर पंचायत रनियां, जनपद-कानपुर देहात के द्वारा किया जा रहा है। सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
 (एम०के० सिंह)  
 अधिशारी अभियन्ता

2953

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता,  
द्वितीय निर्माण खण्ड,  
उ०प्र० जल निगम,  
कानपुर देहात।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,  
नगर पंचायत-रनियाँ  
कानपुर देहात।

पत्रांक

1527

/ W-51

/ 30

दिनांक 31.12.2020

विषय- जनपद कानपुर देहात के ग्रामीण खॉनचन्दपुर पाइप पेयजल योजना के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि खण्ड द्वारा खॉनचन्दपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं तथा योजना से सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है। शासनादेश संख्या 1134/अड़तीस-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून 2011 एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ के पत्र सं० 1079/2042-0185 (योजना हस्तान्तरण)/19 दिनांक 11.10.2019 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा स्पष्ट निर्देश है कि एकल ग्राम पेयजल योजना के समस्त कार्यों को पूर्ण करने के उपरान्त रखरखाव एवं संचालन कार्य हेतु योजना ग्राम पंचायत को हस्तगत की जाये। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या-1469/डब्लू-51/29 दिनांक 20.12.2020 के द्वारा ग्राम पंचायत को योजना हस्तान्तरण हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सरवन्खेड़ा, कानपुर देहात के द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खॉनचन्दपुर अब नवीन नगर पंचायत रनियाँ के अन्तर्गत सम्मिलित हो गया है। अतः उक्त पेयजल योजना नगर पंचायत रनियाँ को ही हस्तगत की जायेगी।

अतः खॉनचन्दपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना का हस्तान्तरण प्रपत्र संलग्न कर हस्तगत हेतु सादर प्रेषित है। कृपया हस्तगत उपरान्त एक प्रति खण्ड कार्यालय को वापस करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार (पत्रावली दी प्रतिमें)

प्रतिनिधि

कृष्ण कांत चण्डावती  
Singer  
Te

भवदीय

(एम०के० सिंह)

अधिशाली अभियन्ता,

पृ० सं० 1527 / W-51 / 30 दिनांक 31.12.2020

प्रतिलिपि-

1. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. जिला विकास अधिकारी, कानपुर देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उपजिलाधिकारी, तहसील अकबरपुर, कानपुर देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. श्री रामसेवक सहायक अभियन्ता/श्री संजय सिंह, जू०हं० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि योजना का हस्तान्तरण कराते हुये अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अधिशाली अभियन्ता



7525900984//

VAB

23/09/20

7417082465

(SDM, Akbarpur)

Akbarpur

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण विभाग, उ०प्र० जल निगम, कानपुर देहात

शासनादेश संख्या 1134/अड़तीस-5-11-56 सम/2010, दिनांक 29 जून 2011 का संलग्नक

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन कार्यक्रम (भारत सरकार) के अन्तर्गत निर्मित पाइप पेयजल योजनाओं को हस्तान्तरित करने का रूप पत्र

खानचन्दपुर ग्रामीण पाइप पेयजल योजना

विकास खण्ड-सरवनखेड़ा

तहसील-अकबरपुर

जनपद- कानपुर देहात।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम/वर्ष 2011 की जनसंख्या कुल	योजना के लामान्वित मजरों के नाम	पेयजल योजना का जलकल परिसर	अधिष्ठापन का दिनांक	नया अथवा रिबोर ट्यूबवेल/पम्प हाउस	वितरण प्रणाली	राइजिंगमेन	शिरोपरि जलाशय	बाउण्ड्रीवाल एवं एप्रोच रोड	स्टाफ क्वार्टर, पम्प हाउस, नलकूप आदि	हस्तान्तरण का दिनांक	गृह संयोजन	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	खानचन्दपुर	खानचन्दपुर	2685	1. प्रसिद्धपुर 2. चौहानपुरवा 3. खानचन्दपुर	ग्राम खानचन्दपुर में जलकल परिसर निर्मित है।	दिसम्बर 2020	01 नग नये पूर्ण 01 नग रिबोर पूर्ण	13.43 किमी. पूर्ण स्टेण्ड पोस्ट 05 नग	1350 मी०	100 किली० / 10 मी० स्टेजिंग पूर्ण एवं 50 किली० / 12 मी० स्टेजिंग पूर्ण	पूर्ण	पम्प हाउस 02 नग पूर्ण नलकूप 02 नग पूर्ण स्टाफ क्वार्टर 01 नग पूर्ण	525 नग	योजना क्रियाशील एवं जनपयोगी है।

हस्तगत लेने वाले

अवलोकित

सहायक अभियन्ता / अवर अभियन्ता का नाम व हस्ताक्षर  
Assistant Engineer  
II C.D. U.P. Jal Nigam  
Matl, Kanpur Dehat

अवर अभियन्ता रनियां नगर  
पंचायत का नाम व हस्ताक्षर

अधिशासी अधिकारी का नाम व हस्ताक्षर

E:\JAL NIGAM DOCUMENTS 2020-21\Proforma Farmates\Pramard Pitra\WATER SUPPLY SCHEME Hand over praroop.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajman, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh with OA no. 528/2023 In Re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godharauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा गठित समिति की आख्या:-

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajman, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh with OA no. 528/2023 In Re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godharauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के सम्बन्धित अंश निम्नवत् हैं:-

".....10. Learned Amicus has submitted that the survey should be conducted by the District Magistrate, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur to find out the other areas where all kinds of hazardous waste have been dumped and which are creating health hazard and contaminating the ground water. We are of the view that this exercise should be carried out by concerned three District Magistrates and the report should be submitted before the Tribunal at least one week before the next date of hearing."

अग्रेतर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.05.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....3. One report along with covering letter of the District Magistrate, Kanpur Dehat dated 02.05.2024 has been filed but the report filed along with covering letter is not by the District Magistrate but by a Committee of Regional Officer, UPPCB, Kanpur Dehat and Deputy Commissioner, District Industries and Entrepreneurship Promotion Centre, Kanpur Dehat. As per the direction of the Tribunal, the report was required to be filed by the District Magistrate.."

".....4. Learned Amicus Curiae appearing in the matter has also expressed surprise on such a report which states that during inspection no contaminated dump was found which could cause any groundwater contamination or create health hazard. In view of the material which is available on record, we find it difficult to accept such a report.."

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन में जनपद-कानपुर देहात में ऐसे अन्य स्थल जहाँ हैजार्डस वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव एवं भू-गर्भीय जल प्रदूषित होने की सम्भावना है, को चिन्हित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा पत्रांक-788/सा०/आर-130/2024, दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारियों की समिति गठित की गयी एवं निर्देशित किया गया कि ऐसे स्थल जहाँ हैजार्डस वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव एवं भू-गर्भीय जल प्रदूषित हो रहा है, कि गहनता से जांच कर आख्या 15 दिन में प्रेषित करें।

उक्त आदेश के अनुक्रम में समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को निम्न सम्भावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया:-

1. औद्योगिक अस्थान, साइट-1, रनियां, कानपुर देहात।
2. औद्योगिक अस्थान, साइट-2, रनियां, कानपुर देहात।
3. यू०पी०एस०आई०डी०ए०, इण्डस्ट्रियल एरिया, जैनपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात।

4. यू०पी०एस०आई०डी०ए०, इण्डस्ट्रियल एरिया, ग्रोथ सेन्टर, जौनपुर, अकबरपुर, कानपुर देहात।
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी०एस०वाई०) रोड पर स्थित ग्राम-घरहमपुर, बिलुवाहार, शिवनाथपुरवा, मटियामऊ, कानपुर देहात।
6. कानपुर देहात में स्थापित/संचालित हैजार्डस वेस्ट का उपचार करने वाली 02 टी०एस०डी०एफ० इकाईयों के आस-पास एवं ग्राम-गज का पुरवा क्षेत्र।




Figure 1 औद्योगिक अस्थान, साइट-1, रनियां, में लो-लाइग एरिया में भण्डारित ऐग




Figure 2 औद्योगिक अस्थान साइट-1, रनियां में खाली प्लाट में भण्डारित प्लास्टिक अपशिष्ट




Figure 3 यू०पी०एस०आई०डी०ए० ग्रोथ सेन्टर, जौनपुर में सर्वोदाय के साबन्ध में

.....3...

2957

(3)




Figure 4 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर स्थित ग्राम-शिवनाथ पुरवा में सड़क के किनारे लो-लाइंग एरिया में भण्डारित हस्क ऐश



Figure 5 ग्राम-खानवंदपुर रनियां सड़क के किनारे लो-लाइंग एरिया में भण्डारित हस्क ऐश




Figure-6 टी०एस०डी०एफ० के निकट स्थित ग्राम गज का पुरवा में सर्वेक्षण के समय में

सर्वेक्षण के तथ्य:-

1. औद्योगिक अस्थान, साइट-1, रनियां, कानपुर देहात में खाली प्लाट में भण्डारित प्लास्टिक अपशिष्ट को हटाने हेतु प्लास्टिक की इकाईयों को नोटिस प्रेषित किया गया।
2. औद्योगिक अस्थान, रनियां, कानपुर देहात एवं कोमियम डम्प साइट से गुजरने वाले प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड के किनारे भण्डारित हस्क ऐश के सम्यन्ध में राइस हस्क को ईंधन के रूप में प्रयोग करने वाली इकाईयों को नोटिस जारी किया गया है कि किसी भी परिस्थिति में जनित हस्क ऐश को रोड के किनारे डालने के लिये ठेकेदारों को न दिया जाये एवं शपथ पत्र लेकर ही बाउण्ड्रीवॉल युक्त लो-लाइंग क्षेत्र में डालने के लिये दिया जाये।


AM


100  
44N


(A)


3. टी0एस0डी0एफ0 इकाईयों के पास स्थित गाम-गज का पुरता एवं कोमियम डम्प साइट खानचंदपुर के निकट स्थित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर स्थित ग्रामवासियों से वार्ता की गयी, जिनमें उनके द्वारा राख के खालने से वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायत की गयी एवं किसी भी प्रकार के अन्य परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारित होने के बारे में नहीं बताया गया।
4. निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्थानों से भूगर्भीय जल के नमूने एकत्र कर विश्लेषण हेतु केन्द्रीय प्रयोगशाला, लखनऊ में जमा कराये गये।


आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रस्तुत।


  
अधिसाक्षी अधिकारी  
नगर पंचायत, रनियां  
कानपुर देहात

  
जिला पंचायत राज  
अधिकारी  
कानपुर देहात

  
अधिसाक्षी अभियंता,  
उ0प्र0 जल निगम,  
कानपुर देहात

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
कानपुर देहात

  
उपायुक्त  
जिला उद्योग एवं उद्यमिता प्रोत्साहन केन्द्र  
कानपुर देहात

  
उपजिलाधिकारी  
अकबरपुर  
कानपुर देहात

1-श्याम नगर  
2-कृष्ण नगर  
3-सा  
4-जवाहर  
5-बेरी मो.  
6-शिवाजी न.  
1-श्याम नगर  
2-कृष्ण नगर  
3-सा  
4-जवाहर  
5-बेरी मो.  
6-शिवाजी न.

## कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक-  
लेवा में

२४४/का०/R-१३०/२०२४

दिनांक: 13/05/2024

1. उप जिलाधिकारी, अकबरपुर, कानपुर देहात।
2. उपायुक्त, जिला उद्योग एवं उद्योगिता प्रोत्साहन केन्द्र, कानपुर देहात।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात।
4. अधिशाषी अभियंता, उ०प्र० जल निगम, कानपुर देहात।
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पंचायत, रनियां, कानपुर देहात।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, कानपुर देहात।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 के सम्बन्धित अंश निम्नवत् हैं:-

".....10. Learned Amicus has submitted that the survey should be conducted by the District Magistrate, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur to find out the other areas where all kinds of hazardous waste have been dumped and which are creating health hazard and contaminating the ground water. We are of the view that this exercise should be carried out by concerned three District Magistrates and the report should be submitted before the Tribunal at least one week before the next date of hearing."

अग्रतर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 13.05.2024 को निम्न आदेश पारित किये गये हैं:-

".....3. One report along with covering letter of the District Magistrate, Kanpur Dehat dated 02.05.2024 has been filed but the report filed along with covering letter is not by the District Magistrate but by a Committee of Regional Officer, UPPCB, Kanpur Dehat and Deputy Commissioner, District Industries and Entrepreneurship Promotion Centre, Kanpur Dehat. As per the direction of the Tribunal, the report was required to be filed by the District Magistrate."

".....4. Learned Amicus Curiae appearing in the matter has also expressed surprise on such a report which states that during inspection no contaminated dump was found which could cause any groundwater contamination or create health hazard. In view of the material which is available on record, we find it difficult to accept such a report."

उपर्युक्त आदेश के अनुक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद-कानपुर देहात में ऐसे स्थल जहाँ हेजार्डस वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव तथा भूगर्भीय जल प्रदूषित हो रहा है, कि गहनता से जांच कर आख्या 15 दिवस के अंदर प्रेषित करें।

(आलोक सिंह)  
जिलाधिकारी  
कानपुर देहात

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका पुखरायां, जनपद कानपुर देहात। 271

पत्रांक .....508..... / न0पा0परि0पु0 / 2024-25

दिनांक 02/12/2024.....

सेवा में,


क्षेत्रीय कार्यालय  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एन0एच0-19 रनिया,  
कानपुर देहात।

विषय—OA. NO. 200 OF 2014 की सूचना प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि आप द्वारा जनपद की नगरीय निकायों से सम्बन्धित OA. NO. 200 OF 2014 की सूचना निर्धारित प्रारूप पर चाही गयी है।

अतः उक्त के अनुपालन में जनपद की नगरीय निकायों की सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।  
संलग्नक—उपरोक्तानुसार।

  
अधिसासी अधिकारी  
नगर पालिका पुखरायां,  
जनपद कानपुर देहात।


OA. NO. 200 OF 2014  
STATE OF UTTAR PRADESH

## DISTRICT NAME-KANPUR DEHAT

The information be provided in the following tabulated form :

Name of Drain	District/Town	if tapped or untapped	Quantity of sewage discharged from the drain	STP which the drain is proposed to be connected after tapping	Status of land allotted for STP	Status of funds provided for the STP	Timeline for making the STP functional	Timeline for completing the household connectivity to that STP
1-शिवाजी नगर नाला 2-इन्द्रा नगर नाला 3-राजीव नगर नाला 4-किटबई नगर नाला 5-सुभाष नगर नाला 6-मालवीय नगर नाला	नगर पालिका परिषद पुखरायां	Untapped	5 MLD	NA	नगर पंचायत अकबरपुर में खारजा नहर के पास राजस्व ग्राम अकबरपुर की गाटा सं० 738 रकबा 0.164 हे० में			
1-गांधी नगर मघई तालाब नाला 2-द्वारिकागज सुनाथा नाला	नगर पालिका परिषद डीप्रक	Untapped	2.5 MLD	NA	1640 वर्गमीटर भूमि जो मौके पर खाली हैमें 6.00 एमएलडी			
1-गांधी नगर पुष्पेय हॉस्पिटल से खारजा नहर तक नाला 2-नेहरू नगर कोतवाली के सामने से माइकोवेव तक नाला 3-नेहरू नगर शुक्ल तालाब से माइकोवेव के सामने तक नाला	नगर पंचायत अकबरपुर	Untapped	6.19 MLD	NA	एस०टी०पी० एवं 15 केएलडी एफ०एस०टी०पी० का निर्माण प्रस्तावित है, जिसपर कार्यालय अधिशाही अभियंता, निर्माण खण्ड, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) कानपुर देहात द्वारा कार्य कराया जाना प्रस्तावित है			
1-विकास नगर नाला 2-अशोक नगर नाला	नगर पंचायत सिकन्दरा	Untapped	1.5 MLD	NA				
1-शिवाजी नगर में मुन्ना चककी से भईयालाल के घर तक नाला 2-शिवाजी नगर में महावीर दिवारी के घर 3-साकेत नगर डा० बंगाली वाला नाला 4-जवाहर नगर डा० अम्बेडकर प्रतिमा नाला 5-बैरी मोड पाल होटल से अखिलेश अग्निहोत्री नाला 6-शिवाजी नगर बैरी मोड पाल होटल से शाहू जी के मकान तक नाला	नगर पंचायत शिवली	Untapped	1 MLD	NA				
1-श्याम नगर में विजय के मकान से पंचायत घर तक नाला 2-कृष्णा नगर में शिव मंदिर से छोटे के खेत तक नाला	नगर पंचायत डेरापुर	Untapped	1 MLD	NA				
1-शास्त्री नगर से नेहरू नगर नाला 2-कबीर नगर से विकास नगर नाला	नगर पंचायत रसूलाबाद	Untapped	2.5 MLD	NA				

1-नाली नगर थाना मोड़ से रेलवे पुलिया अण्डरपास तक कवर्ड नाला 2-नगौरा नगर में टैच प्रताप सिंह के मकान से रेलवे अण्डरपास तक नाला	नगर पंचायत रूरा	Untapped	1.75 MLD	NA
1-बुलंदी अम्बेडकर पार्क से विद्या मंदिर स्कूल तक 2-गद्दी दरवाजा शम्भू संखवार के मकान से तालाब तक 3-यातपुर रशीव बेग से राजा धानुक तक 4-पटेल नगर शिवाला पुलिया से एयरटेल टावर तक 5-पटेल नगर एयरटेल टावर से पेट्रोलपम्प तक 6-आजाद नगर बाबू टंकेदार के मकान से मीरसाहब के बगीचा तक	नगर पंचायत अमरौधा	Untapped	1 MLD	NA
1-बजरंग नगर चिटिकपुर नाला 2-श्यामसुंदर नगर सरदनखेड़ा मोड़ नाला	नगर पंचायत रनियाँ	Untapped	3 MLD	NA
1-लोहिया नगर दननपुर रोड़ नाला 2-अटल नगर ब्लॉक के पास नाला	नगर पंचायत राजपुर	Untapped	2 MLD	NA
1-घाई नं० ४ मार्ग के पास नाला 2-घाई नं० ४ शकील के घर से इरशाद अली के घर तक	नगर पंचायत मूसानगर	Untapped	2.5 MLD	NA
1-टीनटयाल नगर नाला 2-गांधी नगर नाला	नगर पंचायत कंचौसी	Untapped	1 MLD	NA


  
 जिलाधिकारी जल-संसाधन  
 नगर पंचायत राजपुर  
 जयपुर, राजस्थान

## क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ०ए० संख्या-985/2019, 986/2019 और 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में नामित Amicus Curiae का दिनांक 19.11.2024 को जनपद-कानपुर देहात में भ्रमण कर जांच एवं अनुश्रवण के दौरान जनपद में स्थित नोन नदी का निरीक्षण कार्य भी किया गया, निरीक्षण के समय उक्त नदी का जल प्रदूषित दृष्टिगत होने के कारण महादोया जी द्वारा नोन नदी का जल नमूना विश्लेषण कराये जाने हेतु एकत्र किया गया एवं निर्देशित किया गया कि नोन नदी को प्रदूषित करने वाले स्रोतों का पता लगाकर यथोचित कार्यवाही की जाये।

नोन नदी के सम्बन्ध में विवरण:-

- नोन नदी का उदगम बिन्दु नारायणपुर मौजा, दुर्गापुरवा, निकट-बन्नाजाखा से निकलकर ग्राम-रहनियांपुर बिगाई से होती हुयी बाराजोड़ टोल प्लाजा से निकलते हुये ग्राम-बार, ग्राम-नाथ का पुरवा, ग्राम-जरैला, ग्राम-करसा, ग्राम-शाहजहांपुर निनायां, ग्राम-जिठरौली, ग्राम-मुक्तापुर, ग्राम-सैंथा ग्राम-भरतपुर पियासी से होती हुयी जनपद-कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर जाती है। निरीक्षण के समय उपरोक्त सभी ग्रामों से घरेलू जल एवं सीवेज का उत्प्रवाह नोन नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया।
- उक्त नदी एक मानसूनी नदी है, जिसमें वर्षाकाल में ही जल प्रवाह रहता है अन्य मौसम में जल का प्रवाह स्थिर एवं कम रहता है।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 27.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024 एवं दिनांक 30.11.2024 को नोन नदी के उदगम से लेकर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित उद्योगों एवं अन्य स्रोतों को चिन्हित कर निरीक्षण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. मै० ओरियन्टल इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन/कैम्पस, बाराजोड़, समीपस्थ स्थित नोन नदी, अकबरपुर, कानपुर देहात।

उक्त के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित संदर्भित इकाई (हॉट मिक्स प्लांट) के आवासीय कालोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री राकेश पाठक, एच०आर० उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेन्टीनेन्स कर्मचारी 30-35 कैम्पस में रहते हैं एवं उनके भोजन के लिये परिसर में एक नग कैन्टीन स्थापित है। निरीक्षण के समय मेन्टीनेन्स कर्मचारियों के भोजन के लिये आवासीय परिसर में स्थापित कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निरस्तारण बिना शुद्धिकृत किये सीधे नोन नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उक्त आवासीय कालोनी परिसर में घरेलू मल जल के उपचार हेतु कोई भी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) स्थापित नहीं पायी गयी। आवासीय कालोनी के कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत कार्यालय से नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 10 कि०ली०/दिन क्षमता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. मै0 बाराजोड़ टोल प्लाजा आवासीय कालोनी, बाराजोड़, समीपस्थ स्थित नोन नदी, अकबरपुर, कानपुर देहात।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित उक्त इकाई (टोल प्लाजा) के आवासीय कालोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री संजय श्रीवास्तव, एच0आर0 उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आवासीय कालोनी में लगभग 80 कर्मचारी रहते हैं एवं उनके भोजन के लिये कालोनी परिसर में एक नग कैन्टीन स्थापित है। निरीक्षण के समय टोल प्लाजा के कर्मचारियों के भोजन के लिये परिसर में स्थापित कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा आवासीय कालोनी परिसर के अंदर कर्मचारियों द्वारा कपड़े धोने एवं नहाने से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया। आवासीय कालोनी परिसर के अंदर कर्मचारियों द्वारा कपड़े धोने एवं नहाने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे नोन नदी में बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त आवासीय कैम्पस परिसर में घरेलू मल जल के उपचार हेतु कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं पाया गया। आवासीय कैम्पस के कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित कराया गया है, जिसके अनुक्रम में इकाई द्वारा 10 कि०ली०/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

3. मै0 प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज, एन0एच0-2, कालपी रोड, बारा, कानपुर देहात।


महोदया के निर्देशों के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या लगभग-900 एवं अध्यापक एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग -55 है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के अंदर Boys and Girls का एक-एक Hostel स्थापित है, उक्त होस्टल में कुल 90 कमरे हैं, जिस हेतु कार्यालय अभिलेखानुसार उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त नहीं किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के अंदर 02 नग कैन्टीन दृष्टिगत हुईं, जिससे निकलने वाला किचन वेस्ट के शुद्धिकरण हेतु ई०टी०पी० स्थापित नहीं पाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त व्यवस्था यथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट स्थापित नहीं पाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हेतु सोकपिट/सेप्टिक टैंक स्थापित पाया गया। उक्त सेप्टिक टैंक से जनित उत्प्रवाह निरीक्षण के समय विद्यालय परिसर के बाहर एक तालाब में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिससे भूगर्भ जल प्रदूषित होना स्वाभाविक है, इसके साथ-साथ बरसात के समय तालाब में ओवर फ्लो होने के कारण नोन नदी का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से अत्यधिक मात्रा में जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना (सेप्टिक टैंक के आउटलेट) से एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित किया गया है।

4. मै0 एच0एल0 एग्री0 प्रोजेक्ट प्रा0लि0, गाटा संख्या- 1088-1092, उमरन, कानपुर देहात।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में उक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 27.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल भरद्वाज उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग परिसर में स्थापित जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्था सुचारू रूप संचालित पायी गयी। उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर ई0टी0पी0 स्थापित है। शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति मेन्टेन की जा रही है।

नोन नदी में मिलने वाला उमरन ड्रेन के सम्बन्ध में विवरण:-

- 1 विलवा, विलई, संतोषपुर, रहीमपुर, रामदिनपुरवा का घरेलू जल का पानी ग्राम उमरन झील में जाता है झील लगभग 02 बीघा, ग्राम उमरन में स्थित है। ग्राम उमरन से झील में होता हुआ घरेलू जल उमरन नाले के माध्यम से, कानपुर-झाँसी हाइवे पर Reliance Petrol Pump के सन्निकट हाइवे पार करता हुआ मद्दीपुरवा से होता हुआ नोन नदी में नाथ के पुरवा के पास मिलता है। उक्त नाले में फैंव्ट्री का उत्प्रवाह जाता हुआ नहीं दृष्टिगत हुआ, केवल घरेलू जल/वर्षाती मानी ही जाती है। नाला की सफाई न होने के कारण गंदा, कीचड़ युक्त दृष्टिगत हुआ। निरीक्षण के समय जल भराव पाया गया फलो नाले में नहीं पाया गया। स्थानीय लोगो द्वारा सूचना दी गयी उक्त नाले में जल का फलो केवल वर्षा के दिनों में रहता है अन्य दिनों में नहीं रहता है। अतः ग्राम-उमरन में झील में खरपतवार की साफ-सफाई एवं ड्रेन की साफ-सफाई कराया जाने के साथ-साथ उक्त ग्राम से निकलने वाले सीवेज उत्प्रवाह के ट्रीटमेन्ट की कार्ययोजना बनाना उचित होगा।




Note: village umran jheel  
Time: 03-12-2024 12:58  
Accuracy: 8.0 m  
Altitude: 82.0 ± 1.2 m  
Longitude: 80.03722  
Latitude: 26.402493

*Umran talab/Jheel*




Latitude: 26.400456  
Longitude: 80.036596  
Elevation: 142.94 ± 19 m  
Accuracy: 14.5 m  
Time: 05-12-2024 13:32  
Note: sample 2 near umran village

Scanned by MiniCam




Near Highway Reliance Petrol Pump Nala




Meeting point into None River near Maddipurwa

नोन नदी में मिलने वाला पतारी ड्रेन:-


- 1 रझवहा, घाटम्पुर नहर से निकलता हुआ पतारी ड्रेन कानपुर एडविल्स के सन्निकट पतारी ड्रेन का जल कानपुर जॉरसी-हाईवे पार करते हुए खानचन्द्रपुर गाँव से ग्राम विलसरायां में होता हुआ, उक्त नाला गाँव करसा के तालाब में मिलता है। तालाब से होता हुआ नोन नदी में ग्राम करसा में ही मिल जाता है। पतारी ड्रेन का पानी हल्का काला पाया।
- 2 मै० कानपुर एडविल्स प्रा०लि०, गाटा संख्या-190, 201, रनियां, कानपुर देहात उक्त ड्रेन के सन्निकट उद्योग स्थापित एवं संचालित है। उद्योग को उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिफाइण्ड ऑयल एवं वनस्पति इत्यादि के उत्पादन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु दिनांक 31.07.2029 तक निर्गत की गयी है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन में किया जाता है। घरेलू प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता का एस०टी०पी० स्थापित है। एस०टी०पी० से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता का ई०टी०पी० शून्य उत्प्रवाह (जेड०एल०डी० वेरड) पर स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह की स्थिति मेन्टेन की जाती पायी गयी। उक्त ड्रेन के पास हाईवे के आस-पास स्थित होटल्स/ढाबा एवं ग्राम आदि का सीवेज उत्प्रवाह भी सीधे ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। अतः उक्त ड्रेन में गन्दगी आदि की सफाई एवं सीवेज उत्प्रवाह को ड्रेन में रोके जाने ग्राम-करसा के तालाब की खरपतवार की साफ-सफाई हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना उचित होगा।



Starting point of Patari Drain near Village- Kisharwal from Rajhwaha Ghatampur Nahar




Latitude: 26.974255  
Longitude: 80.057793  
Altitude: 81.0±13 m  
Accuracy: 6.5 m  
Time: 03-12-2024 16:04  
Note: bilsaraya connecting to none river



Latitude: 26.369016  
Longitude: 80.057081  
Altitude: 69.0±16 m  
Accuracy: 10.0 m  
Time: 03-12-2024 16:14  
Note: vill karsa drain connectig to none river

*Patari Drain at Bilsarayam*



Latitude: 26.357176  
Longitude: 80.057063  
Elevation: 127.33±14 m  
Accuracy: 11.0 m  
Time: 03-12-2024 16:32  
Note: vill karsa jai kumbhi drain

Powered by Nove

*Patari Drain meeting point into Karsa pond*



Latitude: 26.353674  
Longitude: 80.051889  
Elevation: 140.31±12 m  
Accuracy: 7.4 m  
Time: 03-12-2024 16:59  
Note: vill karsa and path ka

*Meeting point of Patari Drain into None River*

अन्य बिन्दु:-

- औद्योगिक क्षेत्र रनियां में स्थित उद्योगों के औद्योगिक उत्प्रवाह एवं नगर पंचायत रनियां के आबादी के सीवेज उत्प्रवाह के निकासी हेतु रनियां में ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण प्रायः जल भराव की स्थिति बन जाती है। दिनांक 08.01.2020 को मण्डलीय उद्योग बन्धु कानपुर मण्डल, कानपुर की आहत बैठक के कार्यवृत्त मण्डलायुक्त महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये थे:-
- चूंकि संदर्भित क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है एवं समुचित ड्रेनेज सिस्टम का न होना इसमें एक बड़ी बाधा है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे क्षेत्र लगभग 30 वर्ग कि०मी० में ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने हेतु यू०पी०सी०डा०, सिंचाई विभाग, एन०एच०ए०आई०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डी०पी०आर० तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभागों से वाछित सूचना मांगी गयी है।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2020 को सम्पन्न उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में कानपुर देहात के रनियां क्षेत्र में ड्रेन से उत्सर्जित पानी के निकासी के सम्बन्ध में क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करते हुए अधिशाली अभियंता, यू०पी०सी०डा० के नेतृत्व में डी०पी०आर० तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- नगर पंचायत रनियां की आबादी से जनित सीवेज उत्प्रवाह हेतु कोई ड्रेनेज व्यवस्था एवं औद्योगिक उत्प्रवाह हेतु कोई अंतिम निस्तारण ड्रेन न होने के कारण प्रायः औद्योगिक जल एवं सीवेज उत्प्रवाह का सडकों के किनारे जमा होने की घटनायें प्रकाश में आया करती है।
- अवगत कराना है दक्षिण नोन नदी उथली एवं नियमित रूप से जल की उपलब्धता न होने के कारण वर्षाऋतु को छोड़कर अन्य समय उक्त नदियों में जल बाहव नहीं रहता है, जिसके कारण उत्प्रवाह का उचित डायल्युशन न होने के कारण शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह एवं अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह नदी में प्रवाहित होने के कारण नदी की जलगुणता प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है।

निरीक्षण के समय दक्षिणी नोन नदी के डाउनस्ट्रीम एवं अपस्ट्रीम से जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। दक्षिण नोन नदी में केवल वर्षा ऋतु में जल बहाव रहता है अन्य ऋतुओं में जल बहाव न होने के कारण नोन नदी के सन्निकट स्थित ग्रामों से जनित सीवेज एवं अशुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारण होने के कारण जगह-जगह पर जल भराव एवं खरपतवार इत्यादि होने की स्थिति बनी रहती है, नोन नदी एक नाम मात्र कि नदी रह गयी है, जिसमें अधिकांशतः जल सीवेज एवं घरेलू मल-जल आदि का होता है। नोन नदी की साफ-सफाई एवं जीर्णोद्धार किया जाना अति आवश्यक है। नदी में गिरने वाले सीवेज को रोकने हेतु एवं नदी में जल प्रवाह होने सम्बन्धी कार्ययोजना बनायी जाने की नितान्त आवश्यकता है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

*Signature*  
JRF

*Signature*  
02/01/25  
सहायक अभियंता

2023

# **Draft Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Kanpur Dehat, UP**



**Uttar Pradesh Pollution  
Control Board, Lucknow**



## ***Table of Content***

<b>1. Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2. Site Description</b>	<b>3</b>
<b>3. Issues and Strategy</b>	<b>3</b>
i) Remediation of Chromium Waste and Contaminated soil in area:	4
ii) Remediation of Contaminated Ground Water	4
iii) Supply of safe drinking water and clean water for domestic purposes	4
iv) Restoration of Public Health:	4
v) Survey of other hazardous waste site:	4
<b>4. Cost Estimates</b>	<b>5</b>
<b>5. Financial Arrangement:</b>	<b>6</b>
<b>6. Monitoring &amp; Evaluation</b>	<b>6</b>
<b>7. Action Points with Timeline</b>	<b>8</b>
(A)General	10
(B)Ground water remediation	10
(C)Remediation of Contaminated Soil	Error! Bookmark not defined.
(D)Clean Water Supply in Affected Area	Error! Bookmark not defined.
(F)Health Issues in Affected Area	Error! Bookmark not defined.
<b>Annexure</b>	<b>11</b>

## **1. Introduction**

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 23.09.2022 in O.A.985/2019 with O.A. No. 986/2019) directed UPPCB and CPCB to immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano - Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other places for removal of arsenic/fluoride. The relevant portion of the Hon'ble NGT order is as follows:

- i. Contaminated sites need to be remediated in terms of removing of the waste and transporting to TSDF, followed by due stabilization/immobilization*
- ii. Contaminated chrome bearing groundwater needs to be remediated by appropriate methodology and plan executed in a time bound manner. UPPCB and CPCB may immediately find out suitability of setting up of pilot plant model to treat chromium by way of setting up of RO/Ultra/Nano - Filtration process and application of Biotechnology to remove chromium as being done at other places for removal of arsenic/fluoride. This may be done in next three months and the cost of such demonstration/model project may be borne through EC funds of the UPPCB.*

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 04.03.2024 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 with O.A. No. 528/2023, the relevant portion of the order is as follows:

- i. Survey should be conducted by the District Magistrate, Kanpur Nagar, Kanpur Dehat and Fatehpur to find out the other areas where all kinds of hazardous waste have been dumped and which are creating health hazard and contaminating the ground water.*
- ii. UPPCB to place on record a time bound action plan to remediate the situation at all the places which are under consideration before the Tribunal in these three matters.*
- iii. UPPCB will also carry out the ground water profiling of the areas under consideration.*
- iv. UPPCB is directed to disclose full particulars of the manner in which the said waste has been treated and disposed of.*

Hon'ble National Green Tribunal vide order dated 27.11.2024 in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 with O.A. No. 528/2023, the relevant portion of the order is as follows:

***Learned Amicus Curie had made the following recommendations: -***

- a. ***Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas: Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.***
- b. ***Inquiry on non-operation of STPs in Kanpur Nagar due and immediate resolution of the same. In case, remediation will take long time then some temporary action plan must be pursued to stop pollution of Gangaji and Pandu River (keeping in mind the Maha Kumbh also).***
- c. ***Temporary remediation of sewage where the drains are yet to be tapped/ diverted to STPs.***
- d. ***Mapping and identification of heavy metal (chromium and ash) contaminated sites at Kanpur Dehat, Kanpur Nagar and Fatehpur. The people of affected areas must be provided with adequate water for life sustenance (which must include other chore than just drinking water).***
- e. ***Sampling of soil, groundwater and surface water of contaminated areas in the 3 districts and formulation of a time bound Action Plan.***
- f. ***River water monitoring: Water Quality Monitoring Index must include all biological, chemical, physical parameter for assessment of river health like FC, TC, pH, turbidity, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA), total hardness (TH) and calcium hardness (CaH), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), Pathogens, algae, chlorophyl count, bacteria, phytoplankton, dissolved oxygen (D.O.), sulphate (as SO<sub>4</sub> 2- ), nitrate (as NO<sub>3</sub>) and chloride (Cl- ), fluoride, arsenic levels. Some heavy metals like Iron, Zinc, Cadmium, Mercury, Nickel, lead and Chromium. temperature, turbidity, light transmission, sechi disk transmission etc. Similarly, GWQI (i.e. Ground water quality Index) with detailed parameters must be undertaken.***
- g. ***No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground."***

## 2. Site Description

The subject site is located north of National Highway-2 (NH-2) near Khan Chandpur village which is about 3 km west of the town of Rania, Kanpur Dehat, UP. The approach road to the subject site is a Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) Road leading north to villages Gharampur, Bilwahaar, Shivnathpurva and Matiamau. Sporadic waste dumps were also observed in two villages around the subject site, namely Shivnathpurva and Gharampur. Shivnathpurva is located about 300 meters west of the PMGSY road. Gharampur is located about 2,300 meters from the intersection of the PMGSY road with NH-2. The quality of ground water was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread up to Khanchandpur village towards south directions from the subject site up to distance of 1.5 km (**Location map enclosed as Annexure-1**).

## 3. Issues and Strategy

### i) Remediation of Chromium Waste and Contaminated soil in area:

In Khanchandpur village and nearby, Rania, Kanpur Dehat, the soil and ground water has been contaminated due to illegal dumping of chromium containing waste by the BCS manufacturing industries.

Hazardous Chromium waste illegally dumped at village Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh is being disposed through Common Treatment, Storage & Disposal facility (hereinafter referred to as "TSDF") situated at approximately 18 Km away at Kumbhi, Kanpur Dehat.

After removal of Chromium waste to TSDF, the contaminated soil will be analyzed and thereafter on the basis of results, contaminated soil will be stabilized through Bio-culture or Chemical treatment in-situ.

### ii) Remediation of Contaminated Ground Water:

The contaminated ground water needs to be remediated so that the contamination is eliminated. Remediation of Ground water will be based on Hydraulic containment with Pump and Treat system for which two types of well namely Source recovery wells and Hydraulic containment wells will be installed. Through source recovery wells, water will be pumped out, treated through ETP and treated water reused for irrigation purposes. In hydraulic containment wells, suitable bio-culture will be pumped inside the well and treatment will be done through bio-culture.

**iii) Sampling analysis of soil, groundwater and surface water of contaminated****Area:**

Indiscriminate dumping of chrome sludge has resulted contamination of soil at various locations around the site and the quality of groundwater was also impacted due to leaching of hexavalent chromium from the waste dump sites, the contaminated plume has spread upto Khanchandpur village towards south directions from the site upto 1.5 km.

The sub-committee in its meeting held 10.06.22 decided that sampling and analysis of hazardous waste, contaminated soil, groundwater shall be carried out by CPCB & UPPCB. Accordingly, Samples of ground water were collected around the dump site, which includes villages namely Gharampur, Shivnathpurva and Khanchandpur. Also, soil and waste samples were collected from the excavated site. The analysis results of ground water samples and soil samples collected during various visits are annexed as **Annexure-2, 3**.

During various visits, Groundwater samples were carried out from 15 locations of the surrounding villages namely, Gharampur, Shivnathpurva and Khanchandpur.

The corresponding groundwater sampling location map is given at **Annexure-4**. Out of 15 samples, the concentration of Cr(VI) exceeded w.r.t., BIS-DW standard in 09 samples in the range of 0.17 mg/l to 11.59 mg/l. Year-wise Cr(VI) concentration trend in groundwater is depicted at **Annexure-5**.

15 soil samples were collected from the dump site to a depth of 1 ft. Geo-coordinates of the sampling locations along with analysis results reveal the contamination in the range of 227-1863 mg/kg, which exceeded concentration of chromium(total) w.r.t., soil screening level for industrial land use (i.e. 87 mg/kg).

Some quantity of hazardous waste (Approx. 5000-6000 MT) is still lying which includes vehicle tyre washing unit constructed at the excavated site.

**iv) Supply of safe drinking water and clean water for domestic purposes:**

The supply of safe water to the resident of village Khanchandpur, Rania through Piped Water Supply System connected to over head tanks has been started since 15 July 2020 and ADM (E), Kanpur Dehat vide its letter ref.884/Gen./R-130/2024 dated 05.07.2024 directed the Executive Engineer, Jal Nigam (Rural), Kanpur Dehat and Executive Officer, Nagar Panchayat, Raniya, Kanpur Dehat to ensure the supply of clean drinking water via tanker to the resident of the above concerned area.

**v) Restoration of Public Health:**

**vi) Survey of other hazardous waste site:**

In the compliance of Hon'ble NGT order dated 04.03.2024 the committee has constituted by District Magistrate of Kanpur Dehat vides its letter reference no. 556/Gen./R-130/2024 dated 30.03.2024. The committee had visited the following areas in the district regarding dumping of all kind of Hazardous Wastes:-

1. Industrial estate site-1 & site-2, Rania, Akbarpur, Kanpur Dehat
2. UPSIDA (I) area, Growth Centre and Jainpur, Kanpur Dehat
3. Villages- Gharhampur, Bilwahaar, Bibain, Shivnathpurwa and Matiamau, Kanpur Dehat
4. Village- Gaj Ka Purwa, Kumbhi and nearby area around the two TSDFs in Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat.

At the time of inspection of Industrial Estate-1, Rania, Kanpur Dehat, plastic waste was found dumped in a open plot. For the removal of plastic waste notice issued to the plastic goods manufacturer units. Industrial estate, rania, Kanpur Dehat and near chromium dump site, in aside of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojna (PMGSY) road rise husk ash found dumped, for which notices have been issued to the industries using rise husk as fuel, to not dumped in road side/ open area.

**4. Cost Estimates****Cost for Complete remediation work:****i) Cost Estimates for Stabilization and Solidification at HWMF-Waste**

The disposal of hazardous waste will include Lifting, Transportation, Testing, Stabilization, & Disposal through Secured landfill (SLF). The Cr (VI) is needed to be reduced to Cr (III) by adding sulphuric acid and then FeSO<sub>4</sub>/ Sodium Meta bi-Sulphite or any other reducing chemical followed by mixing of lime powder/cement or any other stabilizing material. Treated Hazardous waste has to pass leachability test (TCLP) as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 before finally disposing in SLF. The quantity of material to be excavated and treated in the landfill comprises of chromium containing waste estimated to be 51,520 m<sup>3</sup> (85008 MT) @ Rs. 11583 per MT of Chromium Waste including all taxes and Institute Over Heads (IOH).

**ii) Estimated Capital Expenses (CAPEX)- Groundwater treatment (As per the DPR approved by CPCB)**

In total, the cost of installation of the treatment system is estimated to be INR 10 Crores. The components of this cost are presented in Table-3 below. The CAPEX

cost presented below is an estimate and does not consider inflation or other changes in the conditions.

**Table-1**

<b>Cost Estimates</b>	<b>Price (INR)/Unit</b>	<b>Estimated Cost (INR)</b>
Installation of abstraction wells (14)	Lump sum	65,03,700
Groundwater Treatment System	Lump sum	6,50,00,000
Laboratory	Lump sum	65,00,000
Health & Safety Measures	Lump sum	50,00,000
<b>Anticipated Capital Cost</b>	<b>Lump sum</b>	<b>8, 30,03,700</b>
Cost for Project Management	10% of the Capital Cost	83,00,370
Permitting, Engineering and other costs	5% of the Capital Cost	41,50,185
<b>Total for P &amp; T</b>		<b>9,54,54,255</b>
Installation of injection wells	Lump sum	5,22,96,050
Cost for Project Management	10% of the Capital Cost	52,29,605
Permitting, Engineering and other costs	5% of the Capital Cost	26,10,303
<b>Total</b>		<b>9,54,54,255</b>

## 5. Financial Arrangement:

- a) U.P. pollution control board has imposed environmental compensation (EC) of Rs. 280.01 Cr upon 08 industries which are responsible for dumping of illegal Chromium waste. The industries have filed appeal against them which is being heard by Hon'ble NGT. The amount of EC finalized by Hon'ble NGT will be recovered from industry and shall be transferred to ESCROW account operated by DM. Kanpur Dehat.

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 15.11.2019 in O.A. 985/2019 & O.A. 986/2019, till the recovery of above Environmental Compensation amount, the State Government will deposit requisite amount into ESCROW account. The amount for remediation of the affected area shall be spent from this account only.

- b) The department of Infrastructure and Industrial Development has been directed by the Chief Secretary to make the budgetary arrangement for above.

## 6. Monitoring & Evaluation

- a) **Monitoring Indicator:** The ground water quality and safe disposal of hazardous waste
- b) **Mechanism for monitoring:**
- The Chief Secretary, Govt. of UP has directed to constitute a sub-committee comprising of Additional District Magistrate (Admin.) Kanpur Dehat, Executive

Officer, Public Work Department, Kanpur Dehat and Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Kanpur Dehat for monitoring at site/sites during execution of project work for lifting and safe disposal of dumped Chromium Waste through existing TSDFs in Kanpur Dehat and submit its physical and financial progress report to Committee from time to time. Accordingly a Sub-committee has been constituted vide letter no. 193/81-7-2022-44(writ)/2016 T.C-2 dated 26-05-2022.

- The Sub-committee will monitor all the restoration/remediation work periodically and will report to the Committee.

c) **Summary of time to time Monitoring by Committee & Sub-committee:-**

- Safe and Scientific disposal of chromium containing hazardous waste illegally dumped at Gram Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat is allotted to two nos. of TSDF namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat based on “no profit no loss policy”.
- For continuous monitoring of safe and scientific disposal of chromium containing hazardous waste, Chairman, Sub-committee [ADM (E), Kanpur Dehat, deputed staff of UP Pollution Control Board, Kanpur Dehat and Public Works Department, Kanpur Dehat vide order dated 09.12.2022.
- In order to ensure qualitative disposal and monitoring of chromium containing hazardous waste, U.P. Pollution Control Board has developed a web portal [www.hwms.co.in](http://www.hwms.co.in). Waste lifting from GPS enabled vehicles, weight and stabilization details are regularly uploaded on web portal which is monitored by officers of HQ, UPPCB.
- Members of sub-committee has visited TSDF M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat for inspection of scientific disposal on dated 25.01.2023 and report has submitted to chairman sub-committee.
- On dated 13.02.2023 and 14.02.2023 CPCB, New Delhi (Committee Member) and Sub-committee visited the Chromium dump site at Khanchandpur and both of the TSDFs to verify that the lifting and disposal of Chromium waste have being as per the Standard Operating Procedure (SOP).
- On dated 21.03.2023 Oversight Committee, NGT, New Delhi visited TSDFs to verify that the lifting and disposal of Chromium waste in safe and scientific way.
- On dated 24.04.2023, Sub-committee visited the both of TSDF namely M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd and M/s U.P. Waste Management, Kumbhi, Akbarpur, Kanpur Dehat to verify the remediation work.
- Distirct Magistrate, Kanpur Dehat has also monitored on dated 16.05.2023 safe and scientific disposal of chromium containing hazardous waste.

## 2981

- Member of committee, Central Pollution Control Board and sub-committee has visited on dated 19.05.2023 chromium dump site and both TSDFs.
- Oversight Committee has visited on dated 08.11.2023 to monitor the Chromium dump site at Khanchandpur and both of the TSDFs.

## 7. Project Duration:

The project duration for removal of hazardous waste and disposal into TSDF is proposed to be 6 months from the start of work at site and for remediation of ground water, it is proposed for 5years, but it may be extended for further 10 years on the basis of improvement in the quality of ground water as well as the restoration of environment in affected area.

### Action Points with Timeline


S.No.	Action Points	Milestones	Timeline*	Concerned Department
<b>(A)</b>	<b>Ground Water Remediation</b>			
<b>(a)</b>	<b>Groundwater Collection</b>			<b>Agency appointed by State Govt.</b>
I		Mobilization	5 Days	
II		Installation of abstraction Wells	45 Days	
III		Installation of conveyance Piping	15 Days	
<b>(b)</b>	<b>Installation Of Water Treatment System</b>			<b>Agency appointed by State Govt.</b>
I		Construction of Groundwater Treatment System (GTS) comprising of collection tank, Reaction tank, Clarifier, Clarified water tank, Pressure Sand Filter (PSF), Granulated Activated Carbon (GAC) filter, treated water collection tank	90 Days	

II		Hydraulic Testing and Commissioning of treatment unit	05 Days	
III		Operation of treatment unit	As required till complete remediation of groundwater	
IV		Establishment of onsite laboratory with requisite equipment for analysis of ground water and treated water	45 Days	
V		Collection of groundwater treatment units outlet samples	Minimum 5 Samples in a day	
VI		Testing of ground water samples	40 Samples in a month	
VII		Installation of online monitoring system at outlet of water treatment system	10 Days before operation of water treatment system	
VIII		Installation of PTZ cameras at strategic location around the affected area and water treatment system	10 Days before operation of water treatment system	
IX		Treated Water reuse in Irrigation, Dust Suppression, Construction activity etc.	Regular Activity	
<b>(B)</b>	<b>Remediation of Contaminated Soils</b>			
<b>(a)</b>	<b>Excavation of contaminated soils</b>			<b>Agency appointed by State Govt.</b>
I		Mobilization	07 days	


## 2983

II		Preparation of land for staging area	30 days	
III		Excess, excavation	15 days	
iv		Validation sampling	15 days	
v		Treatment	30 days	
vi		Storage area	15 days	
(b)	backfilling, restoration and demobilizing			<b>Agency appointed by State Govt.</b>
		backfilling of areas identified for soil remediation	60 days	
(D)	<b>Clean Water Supply in affected area</b>			
(a)	<b>Pipe water supply in Village-Khanchandpur</b>			
		Over head tanks	Regular Activity	
		Piped connection to villagers	Regular Activity	
(b)	<b>Additional Supply through ULB, Rania</b>			
		Tankers supply for additional water demand	Regular Activity	

Annexure-1



Annexure-1





संदर्भ सं०

Ref. No. H22895 /सी-2/वायु-18/का०ब०जे०/25

दिनांक

Date 17/1/25

Annexure-18

सेवा में,

पंजीकृत

मै० वैभव एडिबल्स प्रा०लि०,  
ग्राम-लाटा मुबारकपुर, रनियां,  
कानपुर देहात।

यह कि मै० वैभव एडिबल्स प्रा०लि०, ग्राम-लाटा मुबारकपुर, रनियां, कानपुर देहात जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जो कि कच्चे माल के रूप में Crude Vegetable Oil, Edible Oil, Phosphoric Acid, Bleaching Earth, Activated Carbon, Citric Acid, Other Chemicals Etc का प्रयोग कर Refined Vegetable Oil-300 MT/Day के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-धारा-2(के) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat&RakhiMandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh with OA no. 528/2023 In Re: news report published in DainikJagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godharauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन में जनपद-कानपुर देहात में ऐसे अन्य स्थल जहाँ हैजार्डस वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव एवं भू-गर्भीय जल प्रदूषित होने की सम्भावना है, को चिन्हित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा पत्रांक-788/सा०/आर-130/2024, दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारियों की समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को आस-पास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। समिति के भ्रमण के समय औद्योगिक अस्थान, रनियां, कानपुर देहात एवं क्रोमियम डम्प साइट से गुजरने वाले प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड के किनारे हस्क ऐश भण्डारित पायी गयी। वहाँ के आस-पास के ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि हवा चलने पर उक्त राख आंखों में जाती है, जिससे आंख फूटने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है।

उपरोक्त के अनुपालन में उद्योग मै० वैभव एडिबल्स प्रा०लि०, ग्राम-लाटा मुबारकपुर, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 को किया गया। आख्यानसार इकाई में स्थापित ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले राइस हस्क से जनित हस्क ऐश को रोड के किनारे अथवा अन्यत्र स्थल पर डालने के लिये ठेकेदारों को न दिया जाये एवं ठेकेदारों से इस सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा राख का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.06.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब/उत्तर अप्राप्त है। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 09.01.2025 द्वारा अनुस्मारक हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब/उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात की संस्तुति आख्या दिनांक 10.01.2025 द्वारा इकाई मै० वैभव एडिबल्स प्रा०लि०, ग्राम-लाटा मुबारकपुर, रनियां, कानपुर देहात के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः निरीक्षण दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 के दृष्टिगत उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि क्यों न इकाई मै० वैभव एडिबल्स प्रा०लि०, ग्राम-लाटा मुबारकपुर, रनियां, कानपुर देहात की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 225010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522 2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010

Phone : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in

Website : www.uppcb.com Chemical do order



उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर इकाई के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विवरण सहित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atul Kumar Yadav -

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



संदर्भ सं०

Ref. No. H22893

1सी-2/वापु-45/का०ब० सं०/25

दिनांक

Date 17/1/25

सेवा में,

मै० कानपुर एडिबिल्स प्रा०लि०,  
प्लाट नं० 190-201, रनियां,  
कानपुर देहात।

पंजीकृत

यह कि मै० कानपुर एडिबिल्स प्रा०लि०, प्लाट नं० 190-201, रनियां, कानपुर देहात जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जो कि कच्चे माल के रूप में MOONGFALI(GROUND NUT), WASTE PLASTIC, KRAFT PAPER, TIN PLATE, GRANUL (HDPE), PLASTIC CHIP, RICE & PEDDY HUSK, MUSTERED SEED & GROUNDNUT SEED, ACID SLURY, AOS LIQUID, CAUSTIC LYE, CHINA CLAY, DOLOMITE, FATTY ACID OIL, SODA ASH, SALT, PERFUME, DOC, DORB, RICE POLISH, SOYA HUSK, SOYA DOC, CALCITE POWDER, SALT, MOLASSES, DDGS, CHHILKA CHURI, COTTON CAKE, COTTON SEED, MAIZE, RICE, WHEAT, SOYA SEED, MUSTERFD CAKE, GROUNDNUT CAKE, RICE BRAN (POLISH), CRUDE PALM OIL, CRUDE SOYABEAN OIL, CRUDE RICE BRAN OIL, CRUDE SUNFLOWER OIL, SOL. EXT. MUSTERAD OIL, SOL. EXT. GROUNDNUT OIL Etc. का प्रयोग कर Refined oil- 84000 MT/Month, VANASPATI - 6000 MT/Month, DE-OILED MEAL- 30000 MT/Month, CATTLE FEED- 37500 MT/Month, SOAP 12000 MT/Month, EXPELLER OIL-4000 MT/Month, HDPE JAR, GATTA, TIN PET BOTTLES- 660 MT/Month, POWER GENERATION PLANT-5.7 Mw/Hr, GROUND NUT (DANA)- 10500 MT/Month, GRANNUL (PLASTIC DANA)- 600 MT/Month, MUSTERED OIL- 4000 MT/Month & By Product FATTY ACID-2750 MT/Month & CHHILKA (MOONGFALI)- 4500 MT/Month के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-धारा-2(के) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh with OA no. 528/2023 In Re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godharauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन में जनपद-कानपुर देहात में ऐसे अन्य स्थल जहां हैजार्डरा वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव एवं भू-गर्भीय जल प्रदूषित होने की सम्भावना है, को चिन्हित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा पत्रांक-788/सा०/आर-130/2024, दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारियों की समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को आस-पास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। समिति के भ्रमण के समय औद्योगिक अस्थान, रनियां, कानपुर देहात एवं कोमियम डम्प साइट से गुजरने वाले प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड के किनारे हस्क ऐश भण्डारित पायी गयी। वहां के आस-पास के ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि हवा चलने पर उक्त राख आंखों में जाती है, जिससे आंख फूटने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है।

उपरोक्त के अनुपालन में उद्योग मै० कानपुर एडिबिल्स प्रा०लि०, प्लाट नं० 190-201, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 को किया गया। आख्यानुसार इकाई में स्थापित ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले राइस हस्क से जनित हस्क ऐश को रोड के किनारे अथवा अन्यत्र स्थल पर डालने के लिये ठेकेदारों को न दिया जाये एवं ठेकेदारों से इस सम्बन्ध में नोटराइज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा राख का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.06.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब/उत्तर अप्राप्त है। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 09.01.2025 द्वारा अनुस्मारक हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब/उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त नहीं है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात की संस्तुति आख्या दिनांक 10.01.2025 द्वारा इकाई मै० कानपुर एडिबिल्स प्रा०लि०, प्लाट नं० 190-201, रनियां, कानपुर देहात के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522-2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः निरीक्षण दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 के दृष्टिगत उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनांपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि क्यों न इकाई मै0 कानपुर एडिबिल्स प्रा0लि0, प्लाट नं0 190-201, रनियां, कानपुर देहात की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या की प्रति।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर इकाई के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विवरण सहित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)



संदर्भ सं०

Ref. No. H.22.894 /सी-2/वायु-42/का०बा०जी०/25

दिनांक

Date 17/11/25.....

सेवा में,

पंजीकृत

मै० मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०,  
चिराना रोड, विसायकपुर, रनियां,  
कानपुर देहात।

यह कि मै० मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, चिराना रोड, विसायकपुर, रनियां, कानपुर देहात जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, जो कि कच्चे माल के रूप में Tilhan Seed Etc का प्रयोग कर Refined Vegetable Oil -60 MT/Day & Vanaspati Ghee - 140 MT/Day के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-धारा-2(के) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh with OA no. 528/2023 In Re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godharauli village" के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 04.03.2024 एवं दिनांक 13.05.2024 के अनुपालन में जनपद-कानपुर देहात में ऐसे अन्य स्थल जहाँ हैजार्डस वेस्ट डम्प है एवं जिससे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव एवं भू-गर्भीय जल प्रदूषित होने की सम्भावना है, को चिन्हित किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय, कानपुर देहात द्वारा पत्रांक-788/सा०/आर-130/2024, दिनांक 13.06.2024 के माध्यम से जिलास्तरीय अधिकारियों की समिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं दिनांक 22.06.2024 को आस-पास के क्षेत्रों का भ्रमण किया गया। समिति के भ्रमण के समय औद्योगिक अस्थान, रनियां, कानपुर देहात एवं कोमियम डम्प साइट से गुजरने वाले प्रधानमंत्री सड़क योजना रोड के किनारे हस्क ऐश भण्डारित पायी गयी। वहाँ के आस-पास के ग्रामवासियों द्वारा अवगत कराया गया कि हवा चलने पर उक्त राख आंखों में जाती है, जिससे आंख फूटने की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है।

उपरोक्त के अनुपालन में उद्योग मै० मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, चिराना रोड, विसायकपुर, रनियां, कानपुर देहात का निरीक्षण गठित समिति द्वारा दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 को किया गया। आख्यानसार इकाई में स्थापित ब्वायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले राइस हस्क से जनित हस्क ऐश को रोड के किनारे अथवा अन्यत्र स्थल पर डालने के लिये ठेकेदारों को न दिया जाये एवं ठेकेदारों से इस सम्बन्ध में नोटिसाइज्ड शपथ पत्र प्राप्त किया जाये कि उनके द्वारा राख का निस्तारण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गाइडलाइन्स के अनुरूप ही किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 24.06.2024 द्वारा नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसका जवाब/उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में अप्राप्त है। पुनः क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 09.01.2025 द्वारा अनुस्मारक हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है, जिसका जवाब/उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय में अप्राप्त है।

क्षेत्रीय अधिकारी, कानपुर देहात की संस्तुति आख्या दिनांक 10.01.2025 द्वारा इकाई मै० मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, चिराना रोड, विसायकपुर, रनियां, कानपुर देहात के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। अतः निरीक्षण दिनांक 21.06.2024 एवं 22.06.2024 के दृष्टिगत उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं कि:-

1. यह कि क्यों न इकाई मै० मंटोरा ऑयल प्रोडक्ट्स प्रा० लि०, चिराना रोड, विसायकपुर, रनियां, कानपुर देहात की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

.....2.....

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010  
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831  
फैक्स : 0522 2720764, 2720676  
ई-मेल : info@uppcb.in  
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,  
Lucknow - 226 010  
Phone : 0522-2720828, 2720831  
Fax : 0522-2720764, 2720676  
E-mail : info@uppcb.in  
Website : www.uppcb.com Chemical do-order



उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग एवं उद्योग स्वामी का होगा।

संलग्नक: निरीक्षण आख्या की प्रति।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर इकाई के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु अधिरोपित की जाने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के विवरण सहित स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

*Atul Singh Yadav*  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
कानपुर देहात।

सेवा में,

उप सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
अनुभाग-7  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

पत्रांक-का0दे0/मु0चि0अ0/एन0जी0टी0/स्वास्थ्य परी0/आख्या/2025/6442

दिनांक-16.01.2025

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही के संबंध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एन0जी0टी0-30/81-7-2025 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 हरित न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित आदेश OA No. 986/2019 In Re:Water Pollution by Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के संबंध में बैठक आयोजित की गयी है। प्रश्नगत प्रकरण में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि जनपद के रनियां स्थित ग्राम खानचन्द्रपुर के प्रभावित निवासियों की पूर्व में क्रोमियम व मर्करी की जांच हेतु रक्त/सीरम नमूने को एकत्रित कर दिनांक 21.10.2024 को सी0एस0आई0आर0-भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ को भेजे गये। भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के पत्र दिनांक 14.11.2024 के द्वारा कुल 29 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रेषित रिपोर्ट में क्रोमियम की मात्रा मानक से ज्यादा है जबकि मर्करी की मात्रा मानक से कम अथवा नहीं है। (जांच रिपोर्ट संलग्न)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशानुसार नामित विद्वान न्यायमित्र के द्वारा दिनांक 18 व 19.11.2024 को जनपद के प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक मरीज श्रीमती रामश्री, जो सिर दर्द, बुखार व अस्थमा से पीड़ित थी जिनको आवश्यक उपचार प्रदान करने के निर्देश दिये गये।

उक्त के अनुपालन में जनपद के रनियां स्थित ग्राम खानचन्द्रपुर के आस-पास रहने वाले सूचीबद्ध 40 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सरवनखेड़ा के अन्तर्गत गठित एक कुशल चिकित्सकीय टीम द्वारा प्रत्येक माह विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर उक्त 40 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। उक्त 40 सूचीबद्ध व्यक्तियों में श्रीमती रामश्री भी सम्मिलित है जिनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया गया। (विगत माह नवम्बर व दिसम्बर 2024 की स्वास्थ्य रिपोर्ट संलग्न)

इसके अतिरिक्त जनपद के रनियां स्थित ग्राम पालनपुरवा, चौहानपुरवा, यादवपुरवा एवं खानचन्द्रपुर में प्रत्येक माह 2-3 बार नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कर कुशल चिकित्सकों व पैरामेडिकल टीम के द्वारा क्षेत्र के निवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उन्हें आवश्यक उपचार प्रदान किया जा रहा है। (रिपोर्ट संलग्न)

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि जनपद में मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हो गया है जिसमें विभिन्न विधा के विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त हैं। भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को स्वास्थ्य शिविर में भेजकर आवश्यक उपचार प्रदान किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

H  
16/1/25  
मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
कानपुर देहात

2993

पत्रांक व दिनांक—यथोक्त ।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।
2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कानपुर मण्डल कानपुर ।
3. जिलाधिकारी कानपुर देहात ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी  
कानपुर देहात



सीएसआईआर - भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW - 226001 U.P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2628227 Email: director@iitrindia.org, www.iitrindia.org



Date: 13.11.2024

### ANALYSIS REPORT

1. Sample Registry No. : TS-4241 (I - XXIX)
2. Nature of Sample : Serum Samples
3. Sealed/Unsealed : Unsealed
4. Number of samples : 29
5. Date of Sample Received : 23.10.2024
6. Date of Analysis : 05.11.2024
7. Parameters to be analysed : Analysis of Chromium and Mercury
8. Sample collected by : CMO, Kanpur Dehat
9. Results :

S. No.	Sample code	Patient name	Chromium ng/ml	Mercury* ng/ml
1	TS-4241 (I)	Mangali Prasad	12.95	3.50
2	TS-4241 (II)	Sahjahan	7.25	0.60
3	TS-4241 (III)	Nanhi	14.45	0.30
4	TS-4241 (IV)	Ram Shree	2.40	BDL
5	TS-4241 (V)	Baburam	45.35	0.3
6	TS-4241 (VI)	Sanno	4.20	BDL
7	TS-4241 (VII)	Jareena	3.75	BDL
8	TS-4241 (VIII)	Bhura Ali	12.65	0.10
9	TS-4241 (IX)	Reshma	7.40	0.70
10	TS-4241 (X)	Shivani	1.95	0.30
11	TS-4241 (XI)	Neetu	1.70	0.20
12	TS-4241 (XII)	Divyanshi	1.75	BDL
13	TS-4241 (XIII)	Ram Gopal	3.65	BDL
14	TS-4241 (XIV)	Shree Devi	2.20	BDL
15	TS-4241 (V)	Mamta Devi	3.25	BDL
16	TS-4241 (XVI)	Vidhya Devi	4.20	BDL
17	TS-4241 (XVII)	Mithilesh	4.65	BDL
18	TS-4241 (XVIII)	Rama Devi	7.30	0.10



सीएसआईआर - भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW - 226001 U.P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2628227 Email: director@iitrindia.org, www.iitrindia.org



19	TS-4241 (XIX)	Raju	2.45	BDL
20	TS-4241 (XX)	Madhai	3.85	BDL
21	TS-4241 (XXI)	Seema	4.40	BDL
22	TS-4241 (XXII)	Vinay	4.45	BDL
23	TS-4241 (XXIII)	Pranjul	2.90	BDL
24	TS-4241 (XXIV)	Arun	4.70	BDL
25	TS-4241 (XXV)	Urmila Devi	17.05	BDL
26	TS-4241 (XXVI)	Budhana	2.70	BDL
27	TS-4241 (XXVII)	Sulekha Yadav	8.25	BDL
28	TS-4241 (XXVIII)	Prashant	5.75	BDL
29	TS-4241 (XXIX)	Amit	2.50	BDL

Instrument used for Chromium analysis: ICP-MS (iCAP- RQ, Thermo Fisher Scientific)  
 Instrument used for Mercury analysis: Direct Mercury Analyser (Milestone)  
 BDL: Below Detection Limit  
 \*Detection Limit of Hg: 0.01 ng/ml

- Note: 1. The report pertains to the sample tested only.  
 2. This report shall not be used or produced in fragments.  
 3. This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor.  
 4. IITR is not a regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances.

doan  
 13/11/24  
 Analyst Signature

Dr. D. K. Patel  
 Head  
 Analytical Chemistry Division



सीएसआईआर - भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW - 226001 U.P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2628227 Email: director@iitrindia.org, www.iitrindia.org



Date: 13.11.2024

### ANALYSIS REPORT

1. Sample Registry No. : TS-4240 (I - XXIX)
2. Nature of Sample : Blood Samples
3. Sealed/Unsealed : Unsealed
4. Number of samples : 29
5. Date of Sample Received : 23.10.2024
6. Date of Analysis : 05.11.2024
7. Parameters to be analysed : Analysis of Chromium and Mercury
8. Sample collected by : CMO, Kanpur Dehat
9. Results :

S. No.	Sample code	Patient name	Chromium ng/ml	Mercury* ng/ml
1	TS-4240 (I)	Mangali Prasad	25.90	0.80
2	TS-4240 (II)	Sahjahan	15.00	0.30
3	TS-4240 (III)	Nanhi	30.65	0.40
4	TS-4240 (IV)	Ram Shree	6.15	0.20
5	TS-4240 (V)	Baburam	70.70	0.20
6	TS-4240 (VI)	Sanno	14.10	0.20
7	TS-4240 (VII)	Jareena	8.35	0.10
8	TS-4240 (VIII)	Bhura Ali	30.50	0.50
9	TS-4240 (IX)	Reshma	16.95	1.00
10	TS-4240 (X)	Shivani	5.35	0.20
11	TS-4240 (XI)	Neetu	3.40	1.30
12	TS-4240 (XII)	Divyanshi	4.10	1.10
13	TS-4240 (XIII)	Ram Gopal	4.75	0.60
14	TS-4240 (XIV)	Shree Devi	3.40	BDL
15	TS-4240 (V)	Mamta Devi	4.20	BDL
16	TS-4240 (XVI)	Vidhya Devi	5.25	0.20
17	TS-4240 (XVIII)	Mithilesh	6.95	BDL
18	TS-4240 (XVIII)	Rama Devi	4.85	BDL



सीएसआईआर - भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान  
 CSIR- INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY RESEARCH  
 विषविज्ञान भवन, 31, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ - 226001, उत्तर प्रदेश, भारत  
 VISHVIGYAN BHAWAN, 31, MAHATMA GANDHI MARG, LUCKNOW - 226001 U.P., INDIA  
 Phone: +91-522-2217497 Fax: +91-522-2628227 Email: director@iitrindia.org, www.iitrindia.org



19	TS-4240 (XIX)	Raju	4.10	BDL
20	TS-4240 (XX)	Madhai	9.00	BDL
21	TS-4240 (XXI)	Seema	5.25	BDL
22	TS-4240 (XXII)	Vinay	4.25	BDL
23	TS-4240 (XXIII)	Pranjul	7.80	0.10
24	TS-4240 (XXIV)	Arun	5.75	0.10
25	TS-4240 (XXV)	Urmila Devi	20.90	0.70
26	TS-4240 (XXVI)	Budhana	5.40	0.10
27	TS-4240 (XXVII)	Sulekha Yadav	3.50	0.10
28	TS-4240 (XXVIII)	Prashant	3.90	BDL
29	TS-4240 (XXIX)	Amit	4.30	0.30

Instrument used for Chromium analysis: ICP-MS (iCAP- RQ, Thermo Fisher Scientific)  
 Instrument used for Mercury analysis: Direct Mercury Analyser (Milestone)  
 BDL: Below Detection Limit  
 \*Detection Limit of Hg: 0.01 ng/ml

- Note: 1. The report pertains to the sample tested only.  
 2. This report shall not be used or produced in fragments.  
 3. This report shall not be used for any other purpose than declared by the sponsor.  
 4. IITR is not a regulatory and certifying agency hence no part of this report should be used for legal purposes under any circumstances.

*shekhar*  
 13/11/2024  
 Analyst Signature

*Dr. D. K. Patel*  
 13/11/2024  
 Dr. D. K. Patel  
 Head  
 Analytical Chemistry Division

**HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE CHAUHANPURWA, KHANCHANDPUR  
SARWANKHERA**

309

2998

**NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED**

**DATE: 01/12/2024**

BRONCHITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
0	9	0	0	0	4	0	1
M/F	M/F 5/4	M/F	M/F	M/F	M/F 1/3	M/F	M/F 0/1
LOWER BACK PAIN	LM	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	FEVER	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
2	0	3	0	0	1	0	4
M/F 1/1	M/F	M/F 3/0	M/F	M/F	M/F 0/1	M/F	M/F 2/2
ANCE	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	PHARYNGITIS	SINUSITIS
1	1	0	0	1	0	0	7
M/F 0/1	M/F 0/1	M/F	M/F	M/F 0/1	M/F	M/F	M/F 2/5

TOTAL PATIENT	34
MALE	14
FEMALE	20

CAMP DONE ON 01/12/2024 AT CHAUHANPURWA KHANCHANDPUR BY, DR VISHAL BHASIN, ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MRYUNISH PERVEJ,. TOTAL 34 PERSONS WERE SEEN ,INVESTIGATION ;RBS OF 7 PERSON WAS DONE; Hb OF 4 PERSONS WERE DONE

  
 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
 राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-रनिथी  
 कानपुर देहात

## HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE YADAVPURWA, KHANCHANDPUR SARWANKHERA

NOTE: DURING SCREENING /HEALTH CAMP NO POSITVIE CASE OF CARCINOMA OR  
MALIGNANCY DETECTED

DATE :01/12/2024

BRONCHITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
0	3	1	0	0	5	0	1
M/F	M/F 1/3	M/F 0/1	M/F	M/F	M/F 4/1	M/F	M/F 1/0
LOWER BACK PAIN	LM	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	UTI	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
2	0	2	0	2	0	0	1
M/F 2/0	M/F	M/F 2/0	M/F	M/F 2/0	M/F	M/F	M/F 0/1
ANCE	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	PHARYNGITIS	SINUSITIS
3	2	2	0	0	0	1	4
M/F 1/2	M/F 1/1	M/F 1/1	M/F	M/F	M/F	M/F 0/1	M/F 1/3

TOTAL PATIENT	29
MALE	16
FEMALE	13

CAMP DONE ON 01/12/2024 AT YADAVPURWA KHANCHANDPUR BY, DR VISHAL BHASIN, ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MRYUNISH PERVEJ,. TOTAL 29 PERSONS WERE SEEN ,INVESTIGATION ;RBS OF 4 PERSON WAS DONE; Hb OF 2 PERSONS WERE DONE

  
 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
 शहीद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-पुनर्वा  
 सारनपुर संखवा

**HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE PALANPURWA, KHANCHANDPUR  
SARWANKHERA**

311

3000

**NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED**

**DATE : 17/12/2024**

BRONCHITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
0	5	2	0	0	5	0	0
M/F	M/F 3/2	M/F 2/0	M/F	M/F	M/F 2/3	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	COPD	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	UTI	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
2	1	2	0	1	2	0	3
M/F 1/1	M/F 0/1	M/F 0/2	M/F	M/F 1/0	M/F 1/1	M/F	M/F 3/0
ANCE	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	PHARYNGITIS	SINUSITIS
2	0	1	0	0	0	1	4
M/F 1/1	M/F	M/F 1/0	M/F	M/F	M/F	M/F 1/0	M/F 0/4

TOTAL PATIENT	31
MALE	16
FEMALE	15

CAMP DONE ON 17/12/2024 AT PALANPURWA KHANCHANDPUR BY, DR VISHAL BHASIN, ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MR YUNISH PERVEJ,. TOTAL 31 PERSONS WERE SEEN ,INVESTIGATION ;RBS OF 8 PERSON WAS DONE; Hb OF 3 PERSONS WERE DONE

  
 पंचसरी चिकित्सा अस्पताल  
 राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-रुनिस  
 कानपुर देहात

## HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE PALANPURWA, KHANCHANDPUR SARWANKHERA

**NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED**

**DATE: 05/11/2024**

BRONCHITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
4	6	1	0	1	7	0	0
M/F 1/3	M/F 1/5	M/F 0/1	M/F	M/F 0/1	M/F 3/4	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	LM	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	FEVER	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
2	0	2	1	2	0	0	0
M/F 0/2	M/F	M/F 0/2	M/F 0/1	M/F 0/2	M/F	M/F	M/F
ANC	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	ACNE	SINUSITIS
1	1	1	0	0	0	0	3
M/F 0/1	M/F 0/1	M/F 1/0	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F 1/2

TOTAL PATIENT	32
MALE	07
FEMALE	25

CAMP DONE ON 05/11/2024 AT PALANPURWA KHANCHANDPUR BY DR RUCHI SRIVASTAV, DR VISHAL BHASIN, DR ANAND SANKHWAR ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MR AMARKANT, Mr ASHISH SINGH BHW. TOTAL 32 PERSONS WERE SEEN, INVESTIGATION ; RBS OF 5 PERSON WAS DONE ; MP OF 3 PERSONS WERE DONE ; Hb OF 3 PERSONS WERE DONE

  
 ग्रामारी चिकित्सा अधिकारी  
 राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-रुनिया  
 कानपुर देहात

**HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE CHAUHANPURWA, KHANCHANDPUR  
SARWANKHERA**

313

**NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED**

**DATE : 11/11/2024**

BRONCHITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
4	5	1	0	0	6	0	2
M/F 3/1	M/F 3/2	M/F 1/0	M/F	M/F	M/F 5/1	M/F	M/F 0/2
LOWER BACK PAIN	LM	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	FEVER	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
5	0	0	0	3	1	0	1
M/F 1/4	M/F	M/F	M/F	M/F 2/1	M/F 0/1	M/F	M/F 0/1
CSOM	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	ACNE	SINUSITIS
1	0	0	0	0	1	1	4
M/F 1/0	M/F	M/F	M/F	M/F	M/F 0/1	M/F 0/1	M/F 0/4

TOTAL PATIENT	35
MALE	16
FEMALE	19

CAMP DONE ON 11/11/2024 AT CHAUHANPURWA KHANCHANDPUR BY DR RUCHI SRIVASTAV, DR VISHAL BHASIN, DR ANAND SANKHWAR ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MR AMARKANT, Mr ASHISH SINGH BHW. TOTAL 32 PERSONS WERE SEEN, INVESTIGATION ; RBS OF 5 PERSON WAS DONE ; MP OF 3 PERSONS WERE DONE ; Hb OF 2 PERSONS WERE DONE

  
 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
 सर्वोच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-रुनिया  
 कानपुर देहात

# HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE YADAVPURWA, KHANCHANDPUR SARWANKHERA

314

**NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED**

**DATE: 14/11/2024**

PHARYNGITIS	SKIN RASH	GASTRITIS	ORAL ULCER	BOILS	JOINT PAIN	HT	T2DM
2	2	0	0	0	2	0	1
M/F 1/1	M/F 2/0	M/F	M/F	M/F	M/F 2/0	M/F	M/F 0/1
LOWER BACK PAIN	LM	CONJUNCTIVITIS	HEADACHE	FEVER	FUC TRAUMA	NON HEALING ULCER	COMMON COLD
2	0	3	0	2	0	0	7
M/F 0/2	M/F	M/F 2/1	M/F	M/F 1/1	M/F	M/F	M/F 2/5
UTI	PAIN ABDOMEN	GERD	CALF PAIN	TOOTHACHE	FROZEN SHOULDER	ACNE	SINUSITIS
1	0	1	0	0	0	5	2
M/F 1/0	M/F	M/F 0/1	M/F	M/F	M/F	M/F 1/4	M/F 1/1

TOTAL PATIENT	30
MALE	13
FEMALE	17


CAMP DONE ON 14/11/2024 AT YADAVPURWA KHANCHANDPUR BY DR RUCHI SRIVASTAV, DR VISHAL BHASIN, DR ANAND SANKHWAR ALONG WITH PHARMACIST MR SANDEEP YADAV AND LT MR AMARKANT, Mr ASHISH SINGH BHW. TOTAL 32 PERSONS WERE SEEN, INVESTIGATION ;RBS OF 4 PERSON WAS DONE ;MP OF 2 PERSONS WERE DONE; Hb OF 2 PERSONS WERE DONE

  
 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
 राष्ट्रीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र-रुनिसी  
 खानपुर देहात

# 3004 SPECIAL HEALTH CAMP AT KHANCHANDPUR

## DATE 17-12-2024


S. No.	Name	Age/Sex	Father/Husband	Address	Follow up Case of	Any New Complains	Treatment
1	Mangali Prasad	64Y/Male	S/O Rajaram	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NO FRESH COMPLAIN
2	Sahjahan	46Y/Female	W/O Chhote	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
3	Nanhi	49Y/Female	W/O Suresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Diclofenac Gel
4	Ram Shree	69Y/Female	W/O Baijnath	Khanchandpur	COPD	NO FRESH COMPLAIN	Salbutamol Inhaler given
5	Baburam	69Y/Male	S/O Maiku	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
6	Sanno	39Y/Female	W/O Irsad	Khanchandpur	Seizure Disorder	NO FRESH COMPLAIN. Taking Medication from Kanpur.	CT BRAIN FORM GIVEN WITH Tab Calcium & Diclofenac gel
7	Jareena	45Y/Female	W/O Lallan	Khanchandpur	HTN	NO FRESH COMPLAIN	Tab Amlodepine 5 mg 1 OD Tab Calcium
8	Bhura Ali	58Y/Male	S/O Ramjani	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
9	Reshama	38Y/Female	W/O Rahis	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
10	Shivani	18Y/Female	D/O Sanjay	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
11	Neetu	39Y/Female	W/O Rajesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
12	Divyanshi	16Y/Female	D/O Kaushal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
13	Sonu	30Y/Male	S/O Santosh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
14	Arun	37Y/Male	S/O Naresh	Khanchandpur	Bronchial Asthama on Levosalbutamol Inhaler	NO FRESH COMPLAIN	Salbutamol Inhaler given
15	Ajeet Singh	Y/Male	S/O Jagdish	Khanchandpur		OUT OF STATION	
16	Mayank	16Y/Male	S/O Brijesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
17	Ram Gopal	82Y/Male	S/O Murarilal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NO FRESH COMPLAIN
18	Ajay	Y/Male	S/O Devi Prasad	Khanchandpur		OUT OF COUNTRY	
19	Shree Devi	45Y/Female	W/O Pappu	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium given
20	Mamta Devi	32Y/Female	W/O Naresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL

  
 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
 नदी० प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-रनियाँ  
 कानपुर देहात

3005

## SPECIAL HEALTH CAMP AT KHANCHANDPUR DATED-17/12/2024

S. No.	Name	Age/Sex	Father/ Husband Name	Address	Follow up Case of	Any New Complains	Treatment
21	Vidhya Devi	45Y/Female	W/O Ramkishan	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium & Diclofenac gel
22	Mithilesh	37Y/Female	W/O Vijay Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium & Diclofenac gel
23	Rama Devi	36Y/Female	W/O Mathura	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
24	Raju	50Y/Male	S/O Shivram	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
25	Madhai	54Y/Female	W/O Shipahi	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
26	Seema	31Y/Female	W/O Ravi	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
27	Vinay	Y/Male	S/O Awadhesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
28	Pranjul	20Y/Female	D/O jaswant	Khanchandpur		SHE HAS GOT MARRIED	
29	Arun	33Y/Male	S/O Suresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
30	Manoj	27Y/Male	S/O Rajelal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab ANTACID
31	Suneeta Devi	45Y/Female	W/O Sanjay	Khanchandpur	<b>She Expired On Dated- 19-08-2024 Due to Road Traffic Accident</b>		
32	Sudhanshu	17Y/Male	S/O Mathura Prasad	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
33	Urmila Devi	59Y/Female	W/O Surendra Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
34	Budhana	53Y/Female	W/O Shivraj Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Cap Omeprazole
35	Uma Devi	50Y/Female	W/O Radhe Lal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
36	Sahil Pal	24Y/Male	S/O Surendra Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
37	Reeta Devi	38Y/Female	W/O Ajay Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
38	Sulekha Yadav	40Y/Female	W/O Brajesh Yadav	Khanchandpur	T2DM	NO FRESH COMPLAIN	Tab Metformine 500 mg 1 OD
39	Prashant	17Y/Male	S/O Santosh Kumar	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium
40	Amit	Y/Male	S/O Ashok	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Tab Calcium

  
 आधिकारी  
 कक्षा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-रनियाँ  
 कानपुर देहात

## SPECIAL HEALTH CAMP AT KHANCHANDPUR DATED-16/11/2024

S. No.	Name	Age/Sex	Father/ Husband	Address	Follow up Case of	Any New Complains	Treatment
1	Mangali Prasad	64Y/Male	S/O Rajaram	Khanchandpur	NIL	He Was not in house.No fresh complain.As per grand daughter KANAK. anti fungal cream was asked	ANTI FUNGAI CREAM GIVEN
2	Sahjahan	46Y/Female	W/O Chhote	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
3	Nanhi	49Y/Female	W/O Suresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
4	Ram Shree	69Y/Female	W/O Bajinath	Khanchandpur	COPD	NO FRESH COMPLAIN	Tab LCZ
5	Baburam	69Y/Male	S/O Maiku	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
6	Sanno	39Y/Female	W/O Irsad	Khanchandpur	Seizure Disorder	NO FRESH COMPLAIN, Taking Medication from Kanpur.	Syp Calcium given
7	Jarcena	45Y/Female	W/O Lallan	Khanchandpur	HTN	NO FRESH COMPLAIN	Tab Amlodipine 5 mg 1 OD. Syp Calcium
8	Bhura Ali	58Y/Male	S/O Ramjani	Khanchandpur	NIL	He Was not in house.No fresh complain.As per his Daughter Miss Rizwana	NIL
9	Reshama	38Y/Female	W/O Rahis	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium given
10	Shivani	18Y/Female	D/O Sanjay	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
11	Nechu	39Y/Female	W/O Rajesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
12	Divyanshi	16Y/Female	D/O Kaushal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium given
13	Sonu	30Y/Male	S/O Santosh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
14	Arun	37Y/Male	S/O Naresh	Khanchandpur	Bronchial Asthama on Levosalbutamol Inhaler	NO FRESH COMPLAIN	NIL
15	Ajeet Singh	Y/Male	S/O Jagdish	Khanchandpur	NIL	OUT OF STATION	NIL
16	Mayank	16Y/Male	S/O Brijesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी  
श्रीमती प्रशान्तिका खारव्य केंद्र-बीनियां  
ताजपुर देवार

3007

17	Ram Gopal	82Y/Male	S/O Murarital	Khanchandpur	NIL	He was not in hause or near by farms. As per family no fresh complain.	NIL
18	Ajay	Y/Male	S/O Devi Prasad	Khanchandpur		OUT OF COUNTRY	
19	Shree Devi	45Y/Female	W/O Pappu	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
20	Manita Devi	32Y/Female	W/O Naresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL

  
 प्रमारी विकितसा अधिकारी  
 नवीन प्रथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मुनियाँ  
 कानपुर देहात

**SPECIAL HEALTH CAMP AT KHANCHANDPUR DATED- 16/11/2024**

S. No.	Name	Age/Sex	Father/ Husband Name	Address	Follow up Case of	Any New Complains	Treatment
21	Vidhya Devi	45Y/Female	W/O Ramkishan	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
22	Mithilesh	37Y/Female	W/O Vijay Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
23	Rama Devi	36Y/Female	W/O Mathura	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
24	Raju	50Y/Male	S/O Shivram	Khanchandpur		Mr RAJU not present at his hause.	
25	Madhai	54Y/Female	W/O Shipahi	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
26	Seema	31Y/Female	W/O Ravi	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
27	Vinay	Y/Male	S/O Awadhesh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
28	Pranjul	20Y/Female	D/O jaswant	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
29	Arun	33Y/Male	S/O Suresh	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
30	Manoj	27Y/Male	S/O Rajelal	Khanchandpur		He Was not in hause.No fresh complain. As per his	anti fungal cream given
31	Suneeta Devi	45Y/Female	W/O Sanjay	Khanchandpur		<b>She Expired On Dated- 19-08-2024 Due to Road Traffic Accident</b>	
32	Sudhanshu	17Y/Male	S/O Mathura Prasad	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
33	Urmila Devi	59Y/Female	W/O Surendra Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
34	Budhana	53Y/Female	W/O Shivraj Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
35	Uma Devi	50Y/Female	W/O Radhe Lal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	Syp Calcium
36	Sahil Pal	24Y/Male	S/O Surendra Pal	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL
37	Reeta Devi	38Y/Female	W/O Ajay Pal	Khanchandpur		OUT STATION	
38	Sulekha Yadav	40Y/Female	W/O Brajesh Yadav	Khanchandpur	T2DM	NO FRESH COMPLAIN	Tab Metformine 500 mg 1 OD
39	Prashant	17Y/Male	S/O Santosh Kumar	Khanchandpur		OUT STATION	
40	Arnit	Y/Male	S/O Ashok	Khanchandpur	NIL	NO FRESH COMPLAIN	NIL

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

राजीव प्रयागिक स्वास्थ्य केन्द्र-सुनियॉ

कानपुर देहात

3008

## क्षेत्रीय कार्यालय उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कानपुर देहात

कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ०ए० संख्या-985/2019, 986/2019 और 528/2023 में पारित आदेश दिनांक 27.09.2024 के अनुपालन में नामित Amicus Curiae का दिनांक 19.11.2024 को जनपद-कानपुर देहात में भ्रमण कर जांच एवं अनुश्रवण के दौरान जनपद में स्थित नोन नदी का निरीक्षण कार्य भी किया गया, निरीक्षण के समय उक्त नदी का जल प्रदूषित दृष्टिगत होने के कारण महादोया जी द्वारा नोन नदी का जल नमूना विश्लेषण कराये जाने हेतु एकत्र किया गया एवं निर्देशित किया गया कि नोन नदी को प्रदूषित करने वाले स्रोतों का पता लगाकर यथोचित कार्यवाही की जाये।

नोन नदी के सम्बन्ध में विवरण:-

➤ नोन नदी का उद्गम बिन्दु नारायणपुर मौजा, दुर्गापुरवा, निकट-बन्नाजाखा से निकलकर ग्राम-रहनियांपुर बिगाई से होती हुयी बाराजोड़ टोल प्लाजा से निकलते हुये ग्राम-बार, ग्राम-नाथ का पुरवा, ग्राम-जरैला, ग्राम-करसा, ग्राम-शाहजहांपुर निनायां, ग्राम-जिठरौली, ग्राम-मुक्तापुर, ग्राम-सैंथा ग्राम-भरतपुर पियासी से होती हुयी जनपद-कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश कर जाती है। निरीक्षण के समय उपरोक्त सभी ग्रामों से घरेलू जल एवं सीवेज का उत्प्रवाह नोन नदी में निस्तारित किया जाता पाया गया।

➤ उक्त नदी एक मानसूनी नदी है, जिसमें वर्षाकाल में ही जल प्रवाह रहता है अन्य मौसम में जल का प्रवाह स्थिर एवं कम रहता है।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 27.11.2024, 28.11.2024, 29.11.2024 एवं दिनांक 30.11.2024 को नोन नदी के उद्गम से लेकर अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में स्थित उद्योगों एवं अन्य स्रोतों को चिन्हित कर निरीक्षण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. मै० ओरियन्टल इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन/कैम्पस, बाराजोड़, समीपस्थ स्थित नोन नदी, अकबरपुर, कानपुर देहात।

उक्त के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित संदर्भित इकाई (हॉट मिक्स प्लांट) के आवासीय कालोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री राकेश पाठक, एच०आर० उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि मेन्टीनेन्स कर्मचारी 30-35 कैम्पस में रहते हैं एवं उनके भोजन के लिये परिसर में एक नग कैन्टीन स्थापित है। निरीक्षण के समय मेन्टीनेन्स कर्मचारियों के भोजन के लिये आवासीय परिसर में स्थापित कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये सीधे नोन नदी में निस्तारित होता हुआ पाया गया। उक्त आवासीय कालोनी परिसर में घरेलू मल जल के उपचार हेतु कोई भी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस०टी०पी०) स्थापित नहीं पायी गयी। आवासीय कालोनी के कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत कार्यालय से नोटिस प्रेषित किया गया, जिसके अनुक्रम में जनित उत्प्रवाह के शुद्धीकरण हेतु 10 कि०ली०/दिन क्षमता सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. मै0 बाराजोड़ टोल प्लाजा आवासीय कालोनी, बाराजोड़, समीपस्थ स्थित नोन नदी, अकबरपुर, कानपुर देहात।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित उक्त इकाई (टोल प्लाजा) के आवासीय कालोनी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री संजय श्रीवास्तव, एच0आर0 उपस्थित थे। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त आवासीय कालोनी में लगभग 80 कर्मचारी रहते हैं एवं उनके भोजन के लिये कालोनी परिसर में एक नग कैन्टीन स्थापित है। निरीक्षण के समय टोल प्लाजा के कर्मचारियों के भोजन के लिये परिसर में स्थापित कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह तथा आवासीय कालोनी परिसर के अंदर कर्मचारियों द्वारा कपड़े धोने एवं नहाने से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु एस0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया। आवासीय कालोनी परिसर के अंदर कर्मचारियों द्वारा कपड़े धोने एवं नहाने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह सीधे नोन नदी में बिना शुद्धिकृत किये निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त आवासीय कैम्पस परिसर में घरेलू मल जल के उपचार हेतु कोई भी सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट (एस0टी0पी0) स्थापित नहीं पाया गया। आवासीय कैम्पस के कैन्टीन से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित कराया गया है, जिसके अनुक्रम में इकाई द्वारा 10 कि0ली0/दिन क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

3. मै0 प्रभात इंजीनियरिंग कॉलेज, एन0एच0-2, कालपी रोड़, बारा, कानपुर देहात।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में नोन नदी के समीपस्थ स्थित उक्त इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या लगभग-900 एवं अध्यापक एवं कर्मचारियों की संख्या लगभग -55 है तथा इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के अंदर Boys and Girls का एक-एक Hostel स्थापित है, उक्त होस्टल में कुल 90 कमरे हैं, जिस हेतु कार्यालय अभिलेखानुसार उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त नहीं किया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर के अंदर 02 नग कैन्टीन दृष्टिगत हुयीं, जिससे निकलने वाला किचन वेस्ट के शुद्धिकरण हेतु ई0टी0पी0 स्थापित नहीं पाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु उपयुक्त व्यवस्था यथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट स्थापित नहीं पाया गया। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह हेतु सोकपिट/सेप्टिक टैंक स्थापित पाया गया। उक्त सेप्टिक टैंक से जनित उत्प्रवाह निरीक्षण के समय विद्यालय परिसर के बाहर एक तालाब में निस्तारित होता हुआ पाया गया, जिससे भूगर्भ जल प्रदूषित होना स्वाभाविक है, इसके साथ-साथ बरसात के समय तालाब में ओवर फ्लो होने के कारण नोन नदी का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर से अत्यधिक मात्रा में जनित घरेलू जल-मल/नहाने धोने से जनित अशुद्धिकृत उत्प्रवाह का जल नमूना (सेप्टिक टैंक के आउटलेट) से एकत्र कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला, कानपुर नगर में जमा कराया गया है, विश्लेषण आख्या अपेक्षित है तथा उद्योग को उक्त कमियों के दृष्टिगत नोटिस प्रेषित किया गया है।

4. मै0 एच0एल0 एग्रो0 प्रोडक्ट प्रा0लि0, गाटा संख्या- 1088-1092, उमरन, कानपुर देहात।

महोदया के निर्देशों के अनुपालन में उक्त उद्योग का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 27.11.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री विशाल भरद्वाज उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग परिसर में स्थापित जल एवं वायु प्रदूषण व्यवस्था सुचारू रूप संचालित पायी गयी। उद्योग में शून्य उत्प्रवाह निस्तारण पद्धति पर ई0टी0पी0 स्थापित है। शून्य उत्प्रवाह निस्तारण की स्थिति मेन्टेन की जा रही है।

नोन नदी में मिलने वाला उमरन ड्रेन के सम्बन्ध में विवरण:-

- 1 विलवा, विलई, संतोषपुर, रहीमपुर, रामदिनपुरवा का घरेलू जल का पानी ग्राम उमरन झील में जाता है झील लगभग 02 बीघा, ग्राम उमरन में स्थित है। ग्राम उमरन से झील में होता हुआ घरेलू जल उमरन नाले के माध्यम से, कानपुर-झाँसी हाइवे पर Reliance Petrol Pump के सन्निकट हाइवे पार करता हुआ मद्दीपुरवा से होता हुआ नोन नदी में नाथ के पुरवा के पास मिलता है। उक्त नाले में फैंक्री का उत्प्रवाह जाता हुआ नहीं दृष्टिगत हुआ, केवल घरेलू जल/वर्षाती मानी ही जाती है। नाला की सफाई न होने के कारण गंदा, कीचड़ युक्त दृष्टिगत हुआ। निरीक्षण के समय जल भराव पाया गया पलो नाले में नहीं पाया गया। स्थानीय लोगो द्वारा सूचना दी गयी उक्त नाले में जल का पलो केवल वर्षा के दिनों में रहता है अन्य दिनों में नहीं रहता है। अतः ग्राम-उमरन में झील में खरपतवार की साफ-सफाई एवं ड्रेन की साफ-सफाई कराया जाने के साथ-साथ उक्त ग्राम से निकलने वाले सीवेज उत्प्रवाह के ट्रीटमेन्ट की कार्ययोजना बनाना उचित होगा।



Note: village umran jheel  
Time: 03-12-2024 12:28  
Accuracy: 8.0 m  
Altitude: 82.0±1.2 m  
Longitude: 80.037182  
Latitude: 26.402463

*Umran talab/Jheel*



Note: sample 2 near umran village  
Time: 03-12-2024 13:32  
Accuracy: 14.5 m  
Elevation: 142.94±1.9 m  
Longitude: 80.036596  
Latitude: 26.400456

Powered by NoteCam

*Umran talab/Jheel outlet point nala*

3013



Latitude: 26.391844  
Longitude: 80.034738  
Elevation: 141.11±19 m  
Accuracy: 7.6 m  
Time: 03-12-2024 13:14  
Note: 1 sample near NHAI highway beside reliance pump

Powered by NoteCam

*Near Highway Reliance Petrol Pump Nala*



Latitude: 26.382548  
Longitude: 80.037566  
Elevation: 128.38±12 m  
Accuracy: 5.9 m  
Time: 03-12-2024 15:48  
Note: none river near village maddipurwa

Powered by NoteCam

*Meeting point into None River near Maddipurwa*

# 3014

नोन नदी में मिलने वाला पतारी ड्रेन:-

- 1 रझवहा, घाटमपुर नहर से निकलता हुआ पतारी ड्रेन कानपुर एडविल्स के सन्निकट पतारी ड्रेन का जल कानपुर झाँसी-हाईवे पार करते हुए खानचन्द्रपुर गाँव से ग्राम विलसरायां में होता हुआ, उक्त नाला गाँव करसा के तालाब में मिलता है। तालाब से होता हुआ नोन नदी में ग्राम करसा में ही मिल जाता है। पतारी ड्रेन का पानी हल्का काला पाया।
- 2 मै0 कानपुर एडविल्स प्रा0लि0, गाटा संख्या-190, 201, रनियां, कानपुर देहात उक्त ड्रेन के सन्निकट उद्योग स्थापित एवं संचालित है। उद्योग को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिफाइण्ड ऑयल एवं वनस्पति इत्यादि के उत्पादन हेतु सहमति जल एवं सहमति वायु दिनांक 31.07.2029 तक निर्गत की गयी है। उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू एवं औद्योगिक प्रयोजन में किया जाता है। घरेलू प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता का एस0टी0पी0 स्थापित है। एस0टी0पी0 से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह को पुनः प्रयोग कर लिया जाता है। औद्योगिक प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु उपयुक्त क्षमता का ई0टी0पी0 शून्य उत्प्रवाह (जेड0एल0डी0 बेस्ड) पर स्थापित है। निरीक्षण के समय उद्योग द्वारा शून्य उत्प्रवाह की स्थिति मेन्टेन की जाती पायी गयी। उक्त ड्रेन के पास हाईवे के आस-पास स्थित होटल्स/ढाबा एवं ग्राम आदि का सीवेज उत्प्रवाह भी सीधे ड्रेन में निस्तारित किया जाता है। अतः उक्त ड्रेन में गन्दगी आदि की सफाई एवं सीवेज उत्प्रवाह को ड्रेन में रोके जाने ग्राम-करसा के तालाब की खरपतवार की साफ-सफाई हेतु कार्ययोजना तैयार किया जाना उचित होगा।



Starting point of Patari Drain near Village- Kisharwal from Rajhwaha Ghatampur Nahar



*Patari Drain at Bilsarayan*

3016



*Patari Drain meeting point into Karsa pond*





*Meeting point of Patari Drain into None River*

अन्य बिन्दु:-

- औद्योगिक क्षेत्र रनियां में स्थित उद्योगों के औद्योगिक उत्प्रवाह एवं नगर पंचायत रनियां के आबादी के सीवेज उत्प्रवाह के निकासी हेतु रनियां में ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण प्रायः जल भराव की स्थिति बन जाती है। दिनांक 08.01.2020 को मण्डलीय उद्योग बन्धु, कानपुर मण्डल, कानपुर की आहूत बैठक के कार्यवृत्त मण्डलायुक्त महोदय द्वारा निम्नवत् निर्देश प्रदान किये गये थे:-
- चूंकि संदर्भित क्षेत्र औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है एवं समुचित ड्रेनेज सिस्टम का न होना इसमें एक बड़ी बाधा है। अतः यह अत्यंत आवश्यक है। इस पूरे क्षेत्र लगभग 30 वर्ग कि०मी० में ड्रेनेज सिस्टम बनाये जाने हेतु यू०पी०सी०डा०, सिंचाई विभाग, एन०एच०ए०आई०, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से डी०पी०आर० तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभागों से वाछित सूचना मांगी गयी है।
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 19.03.2020 को सम्पन्न उच्च स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठक में कानपुर देहात के रनियां क्षेत्र में ड्रेन से उत्सर्जित पानी के निकासी के सम्बन्ध में क्षेत्र का विस्तृत सर्वे करते हुए अधिशासी अभियंता, यू०पी०सी०डा० के नेतृत्व में डी०पी०आर० तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
- नगर पंचायत रनियां की आबादी से जनित सीवेज उत्प्रवाह हेतु कोई ड्रेनेज व्यवस्था एवं औद्योगिक उत्प्रवाह हेतु कोई अंतिम निस्तारण ड्रेन न होने के कारण प्रायः औद्योगिक जल एवं सीवेज उत्प्रवाह का सड़कों के किनारे जमा होने की घटनायें प्रकाश में आया करती है।
- अवगत कराना है दक्षिण नोन नदी उथली एवं नियमित रूप से जल की उपलब्धता न होने के कारण वर्षाऋतु को छोड़कर अन्य समय उक्त नदियों में जल बाहव नहीं रहता है, जिसके कारण उत्प्रवाह का उचित डायल्युशन न होने के कारण शुद्धिकृत औद्योगिक उत्प्रवाह एवं अशुद्धिकृत सीवेज उत्प्रवाह नदी में प्रवाहित होने के कारण नदी की जलगुणता प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है।

निरीक्षण के समय दक्षिणी नोन नदी के डाउनस्ट्रीम एवं अपस्ट्रीम से जल नमूना एकत्र कर विश्लेषण हेतु उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशाला में जमा कराया गया है। दक्षिण नोन नदी में केवल वर्षा ऋतु में जल बहाव रहता है अन्य ऋतुओं में जल बहाव न होने के कारण नोन नदी के सन्निकट स्थित ग्रामों से जनित सीवेज एवं अशुद्धिकृत उत्प्रवाह निस्तारण होने के कारण जगह-जगह पर जल भराव एवं खरपतवार इत्यादि होने की स्थिति बनी रहती है, नोन नदी एक नाम मात्र कि नदी रह गयी है, जिसमें अधिकांशतः जल सीवेज एवं घरेलू मल-जल आदि का होता है। नोन नदी की साफ-सफाई एवं जीर्णोद्धार किया जाना अति आवश्यक है। नदी में गिरने वाले सीवेज को रोकने हेतु एवं नदी में जल प्रवाह होने सम्बन्धी कार्ययोजना बनायी जाने की नितान्त आवश्यकता है। निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

  
J.R.F.

  
02/01/25  
श्री० प० अ० अभियंता



# 3018

## CENTRAL LABORATORY

**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



### TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)

**Ref No: 27995488/CENTRAL/2024**

**Date:13/09/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell-1
- 2- **Address:** M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Gata No 672, Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (JRF) & Anmol Rathor (JRF)
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Liter Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 29/08/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/08/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.1387	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	ND	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0015	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
**Reeta**  
**Keshav**  
**Reeta Keshav (ASO)**

Digitally signed by  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.09.13  
 16:33:47+05'30'

**RAM GOPAL**  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**

Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.09.13  
 16:34:02 +05'30'



**3019**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 27995089/CENTRAL/2024**

**Date:13/09/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell No-2
- 2- **Address:** M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Gata No 672, Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (JRF) & Anmol Rathor (JRF)
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Liter Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 29/08/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/08/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	1.2863	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.0640	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0023	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Reeta  
 Keshav  
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.09.13  
 16:36:33 +0530'

**RAM**  
**GOPAL**  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory

Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.09.13  
 16:36:49 +0530'



**3020**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 27995623/CENTRAL/2024**

**Date:13/09/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell No.- 3
- 2- **Address:** M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Gata No 672, Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (JRF) & Anmol Rathor (JRF)
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Liter Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 29/08/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/08/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.3005	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.0223	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0023	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Reeta Keshav  
 Reeta Keshav (ASO)

**RAM**  
**GOPAL**  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory



**3021**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 27995966/CENTRAL/2024**

**Date:13/09/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell No- 4
- 2- **Address:** M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Gata No 672, Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (JRF) & Anmol Rathor (JRF)
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Liter Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 29/08/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/08/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.0798	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	ND	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0009	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed by Reeta  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.09.13 16:31:32  
 +05'30'  
**Reeta Keshav (ASO)**

Digitally signed by RAM  
 GOPAL  
 Date: 2024.09.13  
 16:31:47 +05'30'  
**RAM GOPAL**  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



**3022**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 27996215/CENTRAL/2024**

**Date:13/09/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell No- 5
- 2- **Address:** M/s Bharat Oil & Waste Management Ltd., Gata No 672, Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (JRF) & Anmol Rathor (JRF)
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 2 Liter Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 29/08/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 30/08/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	3.5815	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.0551	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	ND	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Reeta Keshav  
 Keshav  
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.09.13  
 16:26:31 +05'30'

**RAM GOPAL**  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory

Digitally signed by RAM  
 GOPAL  
 Date: 2024.09.13 16:26:54  
 +05'30'



**3023**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318204/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.01, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.2088	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.1217	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0042	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Jyoti Tiwari (SA)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed by Reeta  
 Keshav  
 Date: 2024.10.21 11:24:47  
**Reeta Keshav (ASO)**

**RAM**  
**GOPAL**  
 Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:25:00 +05'30'  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



**3024**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318254/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.02, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.0730	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.0367	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0023	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Jyoti Tiwari (SA)]**

**Authorized by**  
 Reeta Keshav  
 Reeta Keshav (ASO)  
Digitally signed by Reeta Keshav  
 Date: 2024.10.21 11:23:45

**RAM  
 GOPAL**  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory  
Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:23:58 +05'30'



**3025**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318257/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.03, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.1137	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.5323	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0034	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Jyoti Tiwari (SA)]**

**Authorized by**  
**Reeta**  
**Keshav**  
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.10.21  
 11:22:49 +05'30'

**RAM**  
**GOPAL**  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**

Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:22:49 +05'30'



**3026**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318260/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.04, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.0458	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.4472	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0045	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Jyoti Tiwari (SA)]**

**Authorized by**  
**Reeta Keshav**  
 Digitally signed by  
 Reeta Keshav  
 Date: 2024.10.21  
 11:21:39 +05'30'

**RAM  
 GOPAL**  
 Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:21:39 +05'30'  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



**3027**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318263/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.05,UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.0458	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.2273	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0026	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Reeta Keshav  
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by Reeta Keshav  
 Date: 2024.10.21 11:20:06

**RAM  
 GOPAL**  
 Chief Environmental Officer  
 Central Laboratory

Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:20:19 +05'30'



**3028**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318266/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.06, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.0594	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.7903	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0063	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed by Reeta  
 Keshav  
 Date: 2024.10.21 11:19:09  
**Reeta Keshav (ASO)**

**RAM**  
**GOPAL**  
 Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 11:19:21 +05'30'  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



**3029**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
**Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010**



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318269/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.07, UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	ND	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.6994	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0058	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed by Reeta  
 Keshav  
 Date: 2024.10.21 12:05:23  
**Reeta Keshav (ASO)**

**RAM**  
**GOPAL**  
 Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 12:06:00 +05'30'  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



**3030**  
**CENTRAL LABORATORY**  
**UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD**  
 Building. No TC-12V Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010



**TEST REPORT: WATER LABORATORY(GROUND WATER)**

**Ref No: 28318272/CENTRAL/2024**

**Date:21/10/2024**

- 1- **Sample Location:** Borewell no.08,UP WASTE MANAGEMENT
- 2- **Address:** Vill.Kumbhi
- 3- **Distirct:** Kanpur dehat
- 4- **Sample Source:** TubeWell
- 5- **Type of sample :** Ground Water
- 6- **Sample Collected By :** Ayank Bajpai (J.R.F)& Ashish kr.(MA))
- 7- **Odour :** None
- 8- **Quantity and Packing :** 1 Lt. Plastic Jerican
- 9- **Date of Sample Collection :** 21/09/2024
- 10- **Analys Indented by :** RO KanpurDehat
- 11- **Date of sample receipt in Lab :** 23/09/2024

Parameter	Unit	Standards Source: IS 10500:2012(2nd Rev.) Required Acceptable Limit	Results	Detection Range
Total Chromium, APHA 24th Ed. 3111-B: 2023	mg/l	0.05	ND	0.05-1000 mg/l
Lead, APHA 24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	0.01	ND	0.09-1000 mg/l
Iron, APHA 24thEd.3111- B: 2023	mg/l	0.30	0.4126	0.05-1000 mg/l
Zinc, APHA24th Ed.3111-B: 2023	mg/l	5	0.1129	0.01-1000mg/l
*Arsenic, APHA 24th Ed. 3114-Hydride Generation AAS Method 2023	mg/l	0.01	0.0022	-

These standards are subject to revision

\*Non-NABL Parameters.

Note : 1 The results in the Test Report relate only to the items tested: 2. The report shall not be reproduced-except in full, without the written permission of laboratory. 3. The test report pertains to the sample as received in Lab.

Remark:\* - NA

**Analysed by**  
**[Dr Mamta Pandey(SA)]**

**Authorized by**  
 Digitally signed by Reeta  
 Keshav  
 Date: 2024.10.21 12:07:38  
 Reeta Keshav (ASO)

Digitally signed by  
 RAM GOPAL  
 Date: 2024.10.21  
 12:07:57 +0530  
**RAM GOPAL**  
**Chief Environmental Officer**  
**Central Laboratory**



संदर्भ सं०

Ref. No : G44672 /C-2/NGT CELL-46/2025

Annexure-22 342

3031 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

दिनांक

Date : 17.01.2025

सेवा में,

अनु सचिव,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
अनुभाग-7,  
उ०प्र० शासन।

**विषय—** मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 “highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhraul village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा OA No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH OA No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh With OA No.528/2023 In re: news report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 “highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhraul village के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छायाप्रति संलग्न)। इस सम्बंध में अवगत कराना है कि Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में क्षेत्रीय अधिकारी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्रांक जी 01357/एनजीटी/ओ०ए०-528/2023/2025 दिनांक 13.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिन्दुवार आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार बिन्दुवार विवरण निम्नवत है :-

**Chromium deposit outside M/s MLMP Food Pvt. Ltd. near Village-Gudhraul**

- i. M/s Madhuchandra Technochem Pvt Ltd. Gudhraul is a dump yard site near MLMP Food Pvt. Ltd., Village-Gudhraul and during the inspection of the site by the officers of Regional Office, UPPCB, Prayagraj on 09.01.2025, a greenish yellow hazardous waste sludge was found dumped at the site and according to the representative of the unit this was dumped long time back. 09 samples of these dumped sludge and 4 hand pump water samples of the affected area were collected.

**Health issues like coughing, breathing problems, swelling of limbs and skin issues in village-Gudhraul.**

- ii. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj has sent a letter No. G 01321/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 to CMO, Fatehpur to provide information about medical checkups and remedial measures from health point of view and provide action taken report within 05 days from Gram Panchayat Gudhraul and other affected areas. CMO, Fatehpur vide his letter No. Mu.Chi.A./Gudhraul/ Suchna/2024-25/11157 dated 10.01.2025 has informed that in the affected areas the block level rapid response team has organized camps and no new patient affected by Chromium and Mercury was found. Copy of the letters dated 03.01.2025 and 10.01.2025 are collectively enclosed as **Annexure No.-1.**

**Ash and chromium deposited on land near the water body, and chromium plume lying on the Baniya Kheda Road.**

- iii. Inspection of the above area was carried out jointly by the officials of IITR and UPPCB on 11.01.2025 and total of 64 samples were collected from the areas given below :

1. Abhaypur, Gudhrali -38 sample
2. Aung Ambuj Nagar Road, Abhaypur - 16 sample
3. Chhiwali, Rashulpur - 06 sample
4. Nurshing College, Chhiwali Abhaypur -04 samples

Analysis Reports of the samples collected by IITR is awaited.

In the Baniya Kheda road, Gudhrauli, District Fatehpur, Ash disposal was found and Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letter No. G 01224/R-220/2024 dated 12.12.2024 had directed M/s R.P. Industries and vide letter No. G 01229/S-627/2024 dated 12.12.2024 has directed M/s Shayamanand Industries, Village-Gudhrauli, Bindki not to dispose the Ash along the road and ensure its safe and scientific disposal. Copy of the letters dated 12.12.2024 are collectively enclosed as **Annexure No.-2**.

**For Providing Clean Drinking water in the affected area of Gudhrauli**

- iv. 11 Handpumps in village Gudhrauli have been de-assembled /sealed. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letter No. G 01322/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 has sought information from Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Fatehpur regarding their departmental action towards providing clean drinking water to the residents of village Gudhrauli and other affected area. Copy of the letter dated 03.01.2025 is enclosed as **Annexure No.-3**.
- v. Executive Engineer, UP Jal Nigam (Rural), Fatehpur vide his letter No. 90/M-21/01 dated 09.01.2025 has replied that clean drinking water is being provided in village Gudhrauli and Abhaypur under Gudhrauli Gram Payjal Yojna and Abhaypur Gram Payjal Yojna respectively. Copy of the letter dated 09.01.2025 is enclosed as **Annexure No.-4**.

**No further construction be allowed on area/ site that have chromium deposition under the ground**

- vi. Regional Officer, UPPCB, Prayagraj vide its letter No. G 01323/NGT OA No. 528/2023/2025 dated 03.01.2025 has informed that the SDM, Bindki under whom the jurisdiction of the affected area falls to ensure compliance with the recommendation made by the learned Amicus Curiae in Gram Panchayat Gudhrauli and other chromium affected areas. Copy of the letter dated 03.01.2025 is enclosed as **Annexure No.-5**.

**Evaluation of Dumped Chromium Waste Quantity and its concentration at Gudhrauli, District- Fatehpur.**

- vii. For evaluation of dumped chromium waste and its concentration at Gudhrauli, UPPCB has engaged CSIR-IITR Lucknow vide letter No. H18707/C-2/NGT-654/24 dated 16.10.2024 for a total project cost of Rs 47,20,000/- with a timeline of completing the project in 5 months. CSIR-IITR Lucknow has carried out the survey of Village Gudhrauli and other affected areas on 11.01.2025 and collected 64 soil samples from different locations. Detailed survey and analysis report of CSIR-IITR is awaited. Copy of the letter dated 16.10.2024 is enclosed as **Annexure No.-6**.

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन में Amicus Curiae द्वारा मा० एन०जी०टी० में दाखिल की गयी अंतरिम रिपोर्ट में दिये गये observations के सम्बंध में जनपद फतेहपुर से सम्बंधित उपरोक्त आख्या सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक—यथोपरि।

भवदीय,



(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव



# क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

## REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD



आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक 601321 / NUTOMA.NA. 528/2023/2025

दिनांक 03/01/2025

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,  
फतेहपुर।

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण  
अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

समयबद्ध

ई-मेल/पंजीकृत डाक द्वारा

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 985/2019 (आई0ए0 नं0 568/2024) **In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh with Original Application No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh with Original Application No. 528/2023 In re : News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 22125/सी-2/एन0जी0टी0-654/24, दिनांक 02.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 नं0 में दिनांक 27.11.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये विद्वान न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने अंतरिम रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया। अंतरिम रिपोर्ट दी गयी संस्तुति का उल्लेख मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश में किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"..... 7. Learned Amicus Curiae had made the following recommendations:-  
"Recommendation

- Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas:
- Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.
  - Inquiry on non-operation of STPs in Kanpur Nagar due and immediate resolution of the same. In case, remediation will take long time then some temporary action plan must be pursued to stop pollution of Gangaji and Pandu River (keeping in mind the Maha Kumbh also).
  - Temporary remediation of sewage where the drains are yet to be tapped/ diverted to STPs.
  - Mapping and identification of heavy metal (chromium and ash) contaminated sites at Kanpur Dehat, Kanpur nagar and Fatehpur. The people of affected areas must be provided with adequate water for life sustenance (which must include other chore than just drinking water).
  - Sampling of soil, groundwater and surface water of contaminated areas in the 3 districts and formulation of a time bound Action Plan.
  - River water monitoring: Water Quality Monitoring Index must include all biological, chemical, physical parameter for assessment of river health like FC, TC, pH, turbidity, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA), total hardness (TH)and calcium hardness (CaH), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), Pathogens, algae,

(2)

chlorophyl count, bacteria, phytoplankton, dissolved oxygen (D.O.), sulphate (as SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>), nitrate (as NO<sub>3</sub>) and chloride (Cl<sup>-</sup>), fluoride, arsenic levels. Some heavy metals like Iron, Zinc, Cadmium, Mercury, Nickel, lead and Chromium. temperature, turbidity, light transmission, sechi disk transmission etc. Similarly, GWQI (i.e. Ground water quality Index) with detailed parameters must be undertaken.

- g. No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground.....”

अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2025 को नियत है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 एवं मा0 विद्वान न्यायमित्र की अंतरिम रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि ग्राम पंचायत-गुधरौली एवं अन्य क्रोमियम प्रभावित क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा कराये गये स्वास्थ्य परीक्षण, समाधान हेतु की गयी कार्यवाही एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य योजना 05 दिवस में इस कार्यालय के ई-मेल आई0डी0 roprayagraj@uppcb.in एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के ई-मेल आई0डी0 ceo2@uppcb.in पर प्रत्येक दशा में प्रेषित करने का कष्ट करें। अग्रेतर अवगत हों कि प्रश्नगत प्रकरण में रिपोर्ट अगली सुनवाई के एक सप्ताह पूर्व मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना है।


भवदीय,

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

  
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)  
क्षेत्रीय अधिकारी

पृ0सं0 एवं दिनांक: उपरोक्त।  
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
क्षेत्रीय अधिकारी



3035

## कार्यालय-मुख्य चिकित्साधिकारी, फतेहपुर

पत्रांक:- मु0चि0अ0/गोधरौली/सूचना/2024-25/11157

दिनांक 10.01.25

क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

झूसी प्रयागराज

विषय-ग्राम गोधरौली ब्लाक मलवां जनपद फतेहपुर की चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में।  
महोदय

आपके पत्रांक- GO1321/NGTOANQ 528/2023/2025 दिनांक 03.01.2025 के क्रम में अवगत कराना है, कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 नं0 में दिनांक 27.11.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये विद्वान न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने अंतरिम रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया। अंतरिम रिपोर्ट दी गयी संस्तुति का उल्लेख मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश के क्रम में निम्न गतिविधियां सम्पादित की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत है।

1. प्रभावित ग्राम में समय-समय पर ब्लाक स्तरीय रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा कैंप लगाकर प्रभावित व्यक्तियों का उपचार किया जा रहा है। दिनांक 10.01.2025 को ब्लाक स्तरीय रैपिड रिस्पान्स टीम द्वारा कैंप लगाया गया, जहां पर वरोमियम एवं मरकरी से प्रभावित कोई भी नया रोगी नहीं पाया गया।
2. दिनांक 18.09.2024 को उक्त ग्राम से 10 चिन्हित व्यक्तियों का ब्लड एवं सीरम सैम्पल एकत्र कर CHIR- IITR Lucknow भेजा गया। उक्त संस्थान द्वारा दिनांक 03.10.2024 को विश्लेषण रिपोर्ट प्रेषित की गयी, जिसकी प्रति संलग्न है।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
फतेहपुर

तददिनांक

पत्रांक:- मु0चि0अ0/गोधरौली/सूचना/2024-25

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0।
2. अपर निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान उ0प्र0 लखनऊ
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रयागराज मण्डल प्रयागराज।
4. जिलाधिकारी, फतेहपुर।
5. कार्यालय प्रति।

मुख्य चिकित्साधिकारी  
फतेहपुर



# 3036

## क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD



आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूँसी, प्रयागराज- 211019

Email-roprayagraj@uppcb.in

पत्रांक G01322/ NUT OA. NO. 528/2023/2025

दिनांक 03/01/2025

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता,  
उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण),  
फतेहपुर-212601

मा० एन०जी०टी० प्रकरण  
अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण  
समयबद्ध  
ई-मेल/पंजीकृत डाक द्वारा

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ०ए० नं० 985/2019 (आई०ए० नं० 568/2024) In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh with Original Application No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh with Original Application No. 528/2023 In re : News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 22125/सी-2/एन०जी०टी०-654/24, दिनांक 02.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा० एन०जी०टी० द्वारा प्रश्नगत ओ०ए० नं० में दिनांक 27.11.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा० अधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये विद्वान न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने अंतरिम रिपोर्ट मा० एन०जी०टी० में दाखिल किया गया। अंतरिम रिपोर्ट दी गयी संस्तुति का उल्लेख मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश में किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"..... 7. Learned Amicus Curiae had made the following recommendations:-  
"Recommendation

Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas:

- h. Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.
- i. Inquiry on non-operation of STPs in Kanpur Nagar due and immediate resolution of the same. In case, remediation will take long time then some temporary action plan must be pursued to stop pollution of Gangaji and Pandu River (keeping in mind the Maha Kumbh also).
- j. Temporary remediation of sewage where the drains are yet to be tapped/ diverted to STPs.
- k. Mapping and identification of heavy metal (chromium and ash) contaminated sites at Kanpur Dehat, Kanpur nagar and Fatehpur. The people of affected areas must be provided with adequate water for life sustenance (which must include other chore than just drinking water).
- l. Sampling of soil, groundwater and surface water of contaminated areas in the 3 districts and formulation of a time bound Action Plan.
- m. River water monitoring: Water Quality Monitoring Index must include all biological, chemical, physical parameter for assessment of river health like FC, TC, pH, turbidity, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA), total hardness (TH) and calcium hardness (CaH), chemical

oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), Pathogens, algae, chlorophyll count, bacteria, phytoplankton, dissolved oxygen (D.O.), sulphate (as SO<sub>4</sub> 2- ), nitrate (as NO<sub>3</sub>) and chloride (Cl- ), fluoride, arsenic levels. Some heavy metals like Iron, Zinc, Cadmium, Mercury, Nickel, lead and Chromium. temperature, turbidity, light transmission, sechi disk transmission etc. Similarly, GWQI (i.e. Ground water quality Index) with detailed parameters must be undertaken.

- n. No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground.....”

अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2025 को नियत है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 एवं मा0 विद्वान न्यायमित्र की अंतरिम रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि ग्राम पंचायत-गुधरौली एवं अन्य क्रोमियम प्रभावित क्षेत्र में आपके विभाग द्वारा कराये जा रहे स्वच्छ जल आपूर्ति का विस्तृत विवरण एवं कार्य योजना सम्बन्धी रिपोर्ट 05 दिवस में इस कार्यालय के ई-मेल आई0डी0 roprayagraj@uppcb.in एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के ई-मेल आई0डी0 ceo2@uppcb.in पर प्रत्येक दशा में प्रेषित करने का कष्ट करें। अग्रेतर अवगत हों कि प्रश्नगत प्रकरण में रिपोर्ट अगली सुनवाई के एक सप्ताह पूर्व मा0 अधिकरण में दाखिल किया जाना है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0 एवं दिनांक: उपरोक्त।  
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)  
क्षेत्रीय अधिकारी

03/1/25  
Ranjit Singh

क्षेत्रीय अधिकारी

03/1/25  
Ranjit Singh



# उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिकासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ०प्र० जल निगम,

फतेहपुर-212601

पत्रांक : 50 / M-21 / 01 दिनांक : 09-01-2025  
सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,  
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,  
प्रयागराज।

विषय :- मान्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A.No. 985/2019 (I.A.No. 568/2024) in Re. Water pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur Uttar Pradesh with original application No. 986/2019 In Re: News report published in Dainik Jagran dated 14/08/2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrouli village" व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक GO 1322/NGT OA-NQ-528/2023/2025 दिनांक 03.01.2025 के सन्दर्भ में अवगत करना है कि क्रोमियम प्रभावित ग्राम क्रमशः गोधरौली, अमयपुर में जलापूर्ति हेतु पेयजल योजना के द्वारा किया जा रहा है। योजना के मुख्य बिन्दु आपको सुलभ सन्दर्भ हेतु निम्नानुसार सादर प्रेषित है:-

**गोधरौली:-** योजना का नाम- गोधरौली ग्राम पेयजल योजना, वि०ख०-मलवां, जनपद-फतेहपुर।

कार्यक्रम का नाम- गुणता प्रभावित।

अनुमानित लागत- 226.75 लाख।

प्रस्तापित मुख्य कार्य का विवरण:-

1. नलकूप :- 01 नग
2. पम्पिंग प्लाण्ट:- 01 नग
3. पम्प हाउस:- 01 नग
4. क्लोरीनेटर:- 01 नग
5. राइजिंग मेन- 50 मी० (150 एम०एम० डी०आई-के०-9)
6. वितरण प्रणाली:- 14211 मी०
7. शिरोपरि जलाशय:- 01नग (250 किली०/16 मी० स्टेजिंग)

**अमयपुर:-** योजना का नाम- अमयपुर ग्राम पेयजल योजना, वि०ख०-मलवां, जनपद-फतेहपुर।

कार्यक्रम का नाम- विश्व बैंक सहायतित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता कार्यक्रम (नीर निर्मल परियोजना)

बैच-2

अनुमानित लागत- 490.34 लाख।

प्रस्तापित मुख्य कार्य का विवरण:-

1. नलकूप :- 01 नग (जोन-1) एवं 01 नग (जोन-2)
2. पम्पिंग प्लाण्ट:- 01 नग(जोन-1) एवं 01 नग (जोन-2)
3. पम्प हाउस:- 01 नग(जोन-1) एवं 01 नग (जोन-2)
4. क्लोरीनेटर:- 01 नग (जोन-1) एवं 01 नग (जोन-2)
5. राइजिंग मेन- 30 मी० (150 एम०एम० डी०आई-के०-7) (जोन-1)  
30 मी०(80 एम०एम० डी०आई-के०-7) (जोन-2)
6. वितरण प्रणाली:- 30063 मी०
7. शिरोपरि जलाशय:- 01नग (225 किली०/20 मी० स्टेजिंग) जोन-1  
01 नग(100 किली०/12 मी० स्टेजिंग) जोन-2

भवदीय,

(सौमित्र)

अधिकासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर को सादर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

अधिकासी अभियन्ता

# 3039

## क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

### REGIONAL OFFICE, U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर-10, योजना संख्या-3, झूली, प्रयागराज- 211019

Email-roprava@uppcb.in

पत्रांक 901323 / NUT OA-NR-520/2023 / 2025

दिनांक 03/01/2025

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,  
बिन्दकी,  
फतेहपुर।

Regd.

**विषय:-** मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 985/2019 (आई0ए0 नं0 568/2024) In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau Kanpur Uttar Pradesh with Original Application No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania Kanpur Dehat & Rakhi Mandi Kanpur Nagar Uttar Pradesh with Original Application No. 528/2023 In re : News report published in Dainik Jagran dated 14.08.2023 "highlights a growing concern regarding industrial pollution in the Godhrauli village" व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या एच 22125/सी-2/एन0जी0टी0-654/24, दिनांक 02.01.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 नं0 में दिनांक 27.11.2024 को आदेश पारित किया गया है। मा0 अधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये विद्वान न्यायमित्र (Amicus Curiae) ने अंतरिम रिपोर्ट मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किया गया। अंतरिम रिपोर्ट में दी गयी संस्तुति का उल्लेख मा0 अधिकरण द्वारा दिनांक 27.11.2024 को पारित आदेश में किया गया है, जो निम्नवत् है :-

"..... 7. Learned Amicus Curiae had made the following recommendations:-

"Recommendation

Urgent Action is required for safeguarding life and health of people in contaminated areas:

- Immediate medical camps for affected populations and blood/ serum sampling by CSIR- IITR, Lucknow.
- Inquiry on non-operation of STPs in Kanpur Nagar due and immediate resolution of the same. In case, remediation will take long time then some temporary action plan must be pursued to stop pollution of Gangaji and Pandu River (keeping in mind the Maha Kumbh also).
- Temporary remediation of sewage where the drains are yet to be tapped/ diverted to STPs.
- Mapping and identification of heavy metal (chromium and ash) contaminated sites at Kanpur Dehat, Kanpur nagar and Fatehpur. The people of affected areas must be provided with adequate water for life sustenance (which must include other chore than just drinking water).
- Sampling of soil, groundwater and surface water of contaminated areas in the 3 districts and formulation of a time bound Action Plan.
- River water monitoring: Water Quality Monitoring Index must include all biological, chemical, physical parameter for assessment of river health like FC, TC, pH, turbidity, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), total alkalinity (TA), total hardness (TH) and calcium hardness (CaH), chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD), Pathogens, algae,

3040  
(2)

chlorophyll count, bacteria, phytoplankton, dissolved oxygen (D.O.), sulphate (as SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>), nitrate (as NO<sub>3</sub>) and chloride (Cl<sup>-</sup>), fluoride, arsenic levels. Some heavy metals like Iron, Zinc, Cadmium, Mercury, Nickel, lead and Chromium. temperature, turbidity, light transmission, sechi disk transmission etc. Similarly, GWQI (i.e. Ground water quality Index) with detailed parameters must be undertaken.

- g. No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground.....”

अवगत कराना है कि मा0 अधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 22.01.2025 को नियत है। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.11.2024 एवं विद्वान न्यायमित्र (Amicus Curiae) की अंतरिम रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित कि ग्राम पंचायत-गुधरौली एवं अन्य क्रोमियम प्रभावित क्षेत्र में सुझाव के “बिन्दु संख्या u. **No further construction be allowed on areas/ sites that have chromium deposition under the ground**” पर अनुपालन किये जाने हेतु अपने स्तर से समुचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0 एवं दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, फतेहपुर।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

भवदीय,

03/1/25  
(डॉ0 एस0सी0 शुक्ला)  
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c  
Rahul Singh

03/1/25  
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c  
Rahul Singh



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
3041  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Annexure-27 ३५६

संदर्भ सं०

Ref. No.

सेवा में,

डा० के०सी० खुल्बे  
हेड, रिसर्च प्लानिंग एण्ड बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन,  
सीएसआईआर-भारतीय विष अनुसंधान संस्थान,  
लखनऊ।

दिनांक

Date 16/10/24

विषय- ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट के कियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय में दिनांक 09.10.2024 को अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सीएसआईआर-आईआईटीआर के अधिकारियों के साथ सम्पन्न बैठक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु CSIR-IITR, Lucknow के पत्र दिनांक 13.05.2024 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार प्रोजेक्ट की कुल लागत धनराशि रूपये 47,20,000/- है। उक्त प्रोजेक्ट के सम्बंध में UPPCB and CSIR-IITR, Lucknow द्वारा MoU की हस्ताक्षरित किया गया है।

उक्त बैठक दिनांक 09.10.2024 में ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट के कियान्वयन के सम्बंध में विस्तृत चर्चा की गयी तथा बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

1. ग्राम-गुधरौली, जनपद फतेहपुर में डम्प कोमियम वेस्ट की मात्रा एवं सांद्रता के आंकलन हेतु प्रोजेक्ट की प्रगति रिपोर्ट प्रतिमाह बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्टडी प्रोजेक्ट की कुल लागत की 70 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान एम०ओ०यू० के अनुसार फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
3. ग्राम-गुधरौली, जनपद-फतेहपुर के आसपास के क्षेत्र का भी सर्वेक्षण करके कोमियम वेस्ट डम्पिंग के सम्बंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

अतः आपसे अपेक्षा है कि उक्त बैठक दिनांक 09.10.2024 में स्टडी प्रोजेक्ट के सम्बंध में लिये गये उपरोक्त निर्णयों के अनुरूप यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(संजीव कुमार सिंह)  
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि-

1. निदेशक, सीएसआईआर-भारतीय विष अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. लेखा प्रभारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस आशय से कि प्रोजेक्ट हेतु उपरोक्तानुसार धनराशि अवमुक्त कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सीएसआईआर-आई०आई०टी०आर० के सम्बंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर प्रकरण में आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए वांछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा अनुपालनात्मक रिपोर्ट ससमय बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,  
लखनऊ - 226 010

दूरभाष : 0522-2720828, 2720831

फैक्स : 0522-2720764, 2720676

ई-मेल : info@uppcb.in

T.C-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

PHONE : 0522-2720828, 2720831

Fax : 0522-2720764, 2720676

E-mail : info@uppcb.in